आई.एस.एस.एन. 2230—7044 पुलिस विज्ञान

वर्ष - 32 अंक 130 जनवरी-मार्च, 2015

वर्ष - 32 अंक 130 जनवरी-मार्च, 2015

पुलिस विज्ञान

(त्रैमासिक पत्रिका)
जनवरी-मार्च, 2015

सलाहकार समिति

राजन गुप्ता
महानिदेशक

आर.के. किणि ए.
विशेष महानिदेशक

एल. मोहंती
महानिरीक्षक (एस. एंड पी.)

सुनील कपूर
उप महानिरीक्षक (एस. एंड पी.)

संपादक : **दिवाकर शर्मा**

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
ब्लाक-11, 3 एवं 4 मंजिल
सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003
011-71213215

संपादकीय

पुलिस विज्ञान त्रैमासिक पत्रिका का जनवरी-मार्च, 2015 का अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि संपादक मंडल का यह प्रयास रहता है कि पत्रिका में पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान व अन्य संबंधित विषयों की प्रामाणिक व प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए। अतः अपराधों को सुलझाने में पुलिसकर्मियों द्वारा किस प्रकार की कार्य-प्रणाली अपनाई जाए, अपराधों से निपटने तथा अपराध होने की संभावनाओं से संबंधित कुछ ओजस्वी विचार तथा प्रेस की भूमिका पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो आम पुलिसकर्मी के साथ सभी वर्ग के लिए उपयोगी होते हैं।

इस अंक में इस बार पुलिस-कर्मियों के लिए **देश में बढ़ती मानव तस्करी व उसे काबू करने के उपाय, आहार, वस्तु और निर्माण पदार्थों में मिलावट और न्यायिक विज्ञान की भूमिका, भारत में बालकों का संरक्षण एवं पुलिस, लोक अदालत : शीघ्र न्याय हेतु बढ़ती लोकप्रियता, पंचायतों में राजनैतिक सहभागिता के अन्य आयाम : भ्रष्टाचार, न्यायालयिक कीटक विज्ञान, भारतीय पुलिस की डरावनी छवि : कारण एवं निवारण, अपराधों को नियंत्रित करने में पुलिस की रणनीति** से संबंधित लेख हैं। पत्रिका के सुधी पाठक पत्रिका को और अधिक सूचनाप्रद व उपयोगी बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा है कि पत्रिका में सम्मिलित सभी लेख पाठकों को उपयोगी लगेंगे और वे अपने विचारों से संपादक मंडल को अवगत कराते रहेंगे। आपके विचारों का सहर्ष स्वागत है।

दिवाकर शर्मा
संपादक

वर्ष - 32 अंक 130 जनवरी-मार्च, 2015

समीक्षा समिति के सदस्य

प्रो. एम.जैड. खान, नई दिल्ली
श्री एस.वी.एम. त्रिपाठी, लखनऊ
प्रो. अरुणा भारद्वाज, नई दिल्ली
प्रो. जे.डी. शर्मा, सागर (म.प्र.)
प्रो. स्नेहलता टंडन, नई दिल्ली
डा. दीप्ति श्रीवास्तव, भोपाल
प्रो. वी.के. कपूर, जम्मू
डा. शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, मेरठ
डा. अरविंद तिवारी, मुंबई
डा. उपनीत लल्ली, चंडीगढ़
श्री वी.वी. सरदाना, फरीदाबाद
श्री सुनील कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

अनुक्रम

देश में बढ़ती मानव तस्करी व उसे काबू करने के उपाय
• *मनोज शर्मा* ---------- *7*

आहार, वस्तु और निर्माण पदार्थों में मिलावट और न्यायिक विज्ञान की भूमिका
• *अरुण कुमार पाठक* ---------- *14*

भारत में बालकों का संरक्षण एवं पुलिस
• *जालम सिंह* ---------- *18*

लोक अदालत : शीघ्र न्याय हेतु बढ़ती लोकप्रियता
• *आशीष जायसवाल* ---------- *24*

पंचायतों में राजनैतिक सहभागिता के अन्य आयाम : भ्रष्टाचार
• *डा. आर.के. सक्सैना, डा. प्रीति सिकरवार* ---------- *33*

न्यायालयिक कीटक विज्ञान
• *डा. बी.डी. माली* ---------- *39*

भारतीय पुलिस की डरावनी छवि : कारण एवं निवारण
• *डा. तरुण कुमार शर्मा* ---------- *42*

अपराधों को नियंत्रित करने में पुलिस की रणनीति
• *एस.पी. सिंह*---------- *48*

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

कवर डिजायन : राहुल कुमार

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : ओम प्रकाशन, डी-46, विवेक विहार (भूतल), दिल्ली-110095

देश में बढ़ती मानव तस्करी व उसे काबू करने के उपाय

मनोज शर्मा, उपनिरीक्षक (आशुलिपिक)
एस.एस.बी सीमांत मुख्यालय, सिलीगुड़ी (प.बं.)

इस लेख के माध्यम से सुरक्षा बलों, पुलिस व विभिन्न सरकारी संस्थाओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं को यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया है कि मानव तस्करी आज पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन गई है। जिस पर हम तभी काबू पा सकते हैं जब इसके प्रति हम आम जनमानस को सजग एवं सचेत करने के अपने इरादों पर कामयाब हो पाएंगे। लेखक ने इस लेख में मानव तस्करी के विभिन्न पहलुओं, मानव तस्करों की पहचान एवं इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर विस्तार से चर्चा की है।

किसी भी मनुष्य को गुलाम नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चा, किशोर-किशोरी, महिला, पुरुष तस्करी के पात्र नहीं हैं। आइए! हम सब मिल-जुलकर मानव तस्करी जैसे घिनौने अपराध पर अपनी चुप्पी तोड़ें और इसे समूल नष्ट करने का अथक प्रयास करें। ऐसे अपराध पर हम अपनी सहनशक्ति खत्म करें। यही समय की मांग है और प्रत्येक जनमानस की नैतिक जिम्मेदारी है और कर्तव्य भी।

मानव तस्करी आज समूचे विश्व के लिए समस्या बनती जा रही है। इसके तहत देश के मासूम बच्चों, किशोर-किशोरियों एवं महिलाओं को बहला-फुसलाकर देश के विभिन्न प्रांतों एवं बाहरी मुल्कों में इनका बेखौफ आदान-प्रदान किया जा रहा है। ज्यादातर परिस्थितियों में यह देखा गया है कि ये बच्चे, किशोर-किशोरियां एवं महिलाएं, बेसहारा, निरीह, वंचित, शोषित, अशिक्षित, अत्यधिक निर्धन परिवारों, दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से ताल्लुकात रखते हैं। मानव तस्कर इन्हें लोक-लुभावन स्वप्न दिखाकर व इन्हें अच्छी नौकरी, पैसा एवं ऐशो आराम की जिंदगी प्रदान करने का लोभ देकर इन्हें अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को सुपुर्द कर देते हैं। मानव तस्कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिन लोगों के हाथों में इन निरीह लोगों को सुपूर्द करते हैं वे इनसे देह व्यापार करवाते हैं, चोरी-डकैती करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं, इन्हें आतंकवाद का प्रशिक्षण देकर राष्ट्र विरोधी बनाते हैं, इन्हें नशा-खुरानी गिरोहों के सरगनाओं में शामिल करते हैं तथा अन्य घिनौने अपराधों में इन्हें लिप्त कर वे वहां से रफूचक्कर हो जाते हैं। बाद में ऐसा पाया गया है कि जो भी निरीह मानव इन मानव तस्करों के जाल में फंसकर अपराधों में संलिप्त हो जाता है उसका दोबारा अपने घर वापस लौटना मुश्किल हो जाता है।

इस बात की कतई अनदेखी नहीं की जा सकती कि आज मानव तस्करी ने न सिर्फ भारतवर्ष अपितु पूरे एशिया महाद्वीप को अपने चंगुल में ले लिया है। मानव तस्करों का यह अवैध व्यापार आज उनके लिए करोड़ों रुपये कमाने का एक अच्छा धंधा बन गया है। इस धंधे में दुनियाभर के लोगों का वस्तुओं के समान इस्तेमाल कर शोषण किया जा रहा है। *आज मानव तस्करी एक बेहद लाभदायक अपराध बन गया है, जो नियोक्ताओं के लिए बहुत कम जोखिम भरा है और इसका असर किसी भी व्यक्ति पर आसानी से हो जाता है।* मानव तस्करी आज समाज के बड़े-बड़े ठेकेदारों और कर्णधारों की नाक नीचे फल-फूल रहा है।

यह काला धंधा मानवता, सभ्यता और कानून-व्यवस्था के साथ-साथ हमारे धर्मों को ही न सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था को भी लचर बना रहा है। वर्तमान समय में विश्व के बहुत से देशों को जिन चुनौतियों का सामना करना है, उनमें से मानव तस्करी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। विश्व स्तर

पर प्रकाशित होनेवाले कुछ आंकड़ों से पता चलता है कि पूरे विश्व में ढाई करोड़ से अधिक लोग मानव तस्करी की भेंट चढ़े हैं और मानव तस्करी में लिप्त लोगों ने इस अमानवीय व गैर कानूनी व्यापार से अरबों रुपये कमाए हैं। ये मानव तस्कर वैसे लोग होते हैं, जो समाज के गरीब तबकों में अपनी अच्छी-खासी पैठ बनाए रखते हैं और वहां पर अपनी जान-पहचानवालों से घनिष्ठ एवं मधुर संबंध स्थापित कर अथवा दलालों के माध्यम से इनको अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं।

मानव तस्कर लोगों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए प्रारंभ में उन्हें कुछ उपहार, पैसा एवं अन्य मूल्यवान सामग्री उपलब्ध कराकर उनका दिल जीतते हैं और बाद में उन निरीह लोगों, बच्चों को भीख मांगने, चोरी करने जैसे विभिन्न अपराधों में धकेल देते हैं। मानव तस्करी का सबसे अधिक स्पष्ट व पीड़ादायक पहलू यह है कि अधिकांश मामलों में लोग स्वेच्छा से इसके लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसके परिणामों के बारे में सही जानकारी नहीं होती है। ये मानव तस्कर पश्चिमी देशों में लोगों को भेजने के लिए बहुत ही शातिर तरीके से उनका शिकार करते हैं।

भारत में चाइल्ड और वुमन राइट्स को बड़ा झटका देते हुए यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक भारत मानव तस्करी का बड़ा बाजार बन चुका है और देश की राजधानी दिल्ली मानव तस्करों के लिए पसंदीदा जगह बनती जा रही है, जहां देश भर से बच्चों और महिलाओं को लाकर न केवल आस-पास के इलाकों बल्कि विदेशों में भी भेजा जा रहा है। अपनी संस्कृति के लिए दुनियाभर में मशहूर भारत तेजी से मानव तस्करी के लिए बदनाम हो रहा है। भारत में मानव तस्करी को लेकर *संयुक्त राष्ट्र संघ* की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2009 से 2011 के बीच लगभग 1,77,660 बच्चे लापता हुए जिनमें से 1,22,190 बच्चों का पता चल सका, जबकि अभी भी 55 हजार से ज्यादा बच्चे लापता हैं जिनमें से 64 फीसदी यानी लगभग 35,615 नाबालिग लड़कियां हैं। वहीं इस बीच करीब 1 लाख 60 हजार महिलाएं लापता हुईं जिनमें से सिर्फ 1 लाख 3 हजार महिलाओं का ही पता चल सका है। वहीं लगभग 56 हजार महिलाएं अब भी लापता हैं (सभी आंकड़े एनसीआरबी की गृह मंत्रालय को सौंपी गयी रिपोर्ट से लिए गए हैं।)

यूनाइटेड नेशंस आफिस आफ ड्रग एवं क्राइम द्वारा 2013 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पश्चिम बंगाल से 19 हजार से भी ज्यादा महिलाएं एवं शिशु लापता हैं। हालांकि इस रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 6 हजार महिलाएं एवं बच्चे अपने परिवारों में वापस आ चुके हैं। ये 6 हजार महिलाएं एवं बच्चे अपनी थोड़ी जागरूकता, 'सजगता एवं सचेतता' की वजह से, टेलीफोन, दूर संचार माध्यमों, रेल यातायात के माध्यम द्वारा इन तस्करों के चुंगल से बचने एवं भागने में कामयाब हो सके हैं।

मार्च, 2012 में लोकसभा में स्टेट क्राइम ब्यूरो द्वारा प्रेषित किए गए तथ्यों के मुताबिक वर्ष 2011 तक भारतवर्ष में लगभग 7917 नाबालिग लड़कियां अपने घरों से लापता थीं। इनमें पश्चिम बंगाल की 3311 नाबालिग लड़कियों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इन मासूम बच्चों की तस्करी के बाद न तो तस्कर ही कहीं दिखाई देते हैं और न ही कोई जान-पहचान का आदमी ही उन्हें मिल पाता है।

यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही प्रकाशित अपनी वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि मानव तस्करी के माध्यम से लाए गए बच्चों को नक्सली अपने नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं यह भी बताया गया है कि नक्सली ऐसे बच्चों का मानव बमों के रूप में उन्हें प्रशिक्षण देने के उपरांत आज इस्तेमाल कर रहे हैं।

मानव तस्करी के महत्वपूर्ण कारण—समाज में मानव तस्करी के पनपने का मुख्य कारण गरीबी, बेरोजगारी, लोगों में रातोरात अमीर बनने की लालसा, पिछड़ापन, समाज में व्याप्त कुरीतियां एवं भेदभाव,

अशिक्षा व रसूकदार लोगों द्वारा किया जा रहा शोषण मुख्य कारण है। मानव तस्करी के कारण बाल श्रम, जबरन विवाह, भिक्षाटन, बंधुआ मजदूरी तथा अन्य विभिन्न प्रकार की कुरीतियों का जन्म होता है।

बाल श्रम—गरीब माता-पिता अपने बच्चों का उचित पालन-पोषण न कर पाने की वजह से तथा अपनी पारिवारिक व आर्थिक समस्या के कारण उन्हें पैसे वालों एवं दलालों के हाथों बेच देते हैं। उन दलालों द्वारा उन शिशुओं को बड़े-बड़े कारखानों, होटलों, ढाबों, चाय की दुकानों, रईसों के घरों में काम करने तथा बड़े-बड़े मोटर गैरेजों इत्यादि में लगा दिया जाता है। उन बाल श्रमिकों के लिए दिनभर काम कर अपने घर-परिवार के लिए धन-दौलत कमाना तो दूर अपने लिए दो जून की रोटियां तक भी अर्जित कर पाना मुश्किल होता है। साथ ही उन्हें उनके रईस मालिकों की गंदी एवं भद्दी गालियों का सामना करना पड़ता है तथा शारीरिक शोषण भी झेलना पड़ता है। इस सिलसिले में सबसे दुःखद पहलू यह है कि इस दिशा में सरकार द्वारा अब तक उठाए गए सारे कदम विफल साबित हो रहे हैं। यहां यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी कि "देश में बाल श्रम को रोकने वाली कई संस्थाएं आज विफल साबित हो रही हैं"।

भिक्षावृत्ति—प्रायः देखा गया है कि मानव तस्करों द्वारा अल्पायु, निःसहाय बच्चों को उनके परिवारों से दूर ले जाकर भिक्षावृत्ति के धंधे में उतार दिया जाता है। वे भीख मंगवाने वाले तस्कर उन मासूमों को गुमराह करने में इतने शातिर होते हैं कि कोई आम जनमानस उन पर शक नहीं कर पाता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ये तस्कर उन मासूमों के हाथ-पैर काटकर उन्हें अपंग एवं विकलांग बना देते हैं, क्योंकि वे इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि आम लोग ऐसे अपंग भिखारी बच्चों पर तरस खाकर उन्हें स्वेच्छा से भीख दे देंगे और भीख मंगवाने वाले उनके पैसे से आसानी से बिना कुछ किए ही ऐशो-आराम की जिंदगी जीते रहेंगे। वे दलाल उन नौनिहालों को बड़े-बड़े प्रसिद्ध मंदिरों, मेलों, रेलवे स्टेशनों बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने हेतु लगा देते हैं और शाम को उनके द्वारा मांगी गई रकम को जबरन उनसे छीन लेते हैं और उन्हें दो जून की रोटी तक भी नसीब नहीं होती। इतना ही नहीं, उन तस्करों एवं दलालों द्वारा उन नौनिहालों पर जघन्य अपराध एवं यौन उत्पीड़न जैसे कुकृत्य भी किए जाते हैं और उनके विरोध करने की दशा में उन्हें लात-घूसों एवं डंडों से भी पीटा जाता है। उन तस्करों द्वारा उन नौनिहालों को बचा-खुचा खाना दिया जाता है और विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों जैसे—शराब, चरस, अफीम, गांजा, बीड़ी-सिगरेट, तंबाकू इत्यादि की लतों का आदी बना दिया जाता है, जिसकी वजह से वे अपना मानसिक संतुलन खोकर अपने परिवार को भूल जाते हैं।

जबरन शादी—भारत के विभिन्न राज्यों—जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि में दूसरे राज्यों के बेसहारा एवं गरीब परिवारों की लड़कियों को वहां के उच्च परिवारों में शादी का झांसा देकर वे तस्कर उनसे मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रारंभ में मानव तस्कर गांव की किशोरियों को झांसा देकर उनसे खुद ही शादी रचा लेते हैं और बाद में ऐसी लड़कियों को मोटी रकम लेकर उपरोक्त राज्यों में बेच दिया जाता है। ऐसी जानकारी मिली है कि पूर्वोत्तर राज्यों—पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की महिलाओं और लड़कियों का पंजाब व हरियाणा समेत कम महिला पुरुष अनुपात वाले राज्यों में बलपूर्वक विवाह कराया जा रहा है। उनमें से कुछ को उनके नए परिवार के लोग विवाह के बाद जबरन वेश्यावृत्ति या मजदूरी में धकेल देते हैं। इस प्रवृत्ति के बढ़ने का मुख्य कारण है कन्या भ्रूण हत्या। प्रायः कुछ वर्षों से भारत के कुछ प्रदेशों में कन्या भ्रूण हत्या बहुत ही तेजी से बढ़ी है। असभ्य समाज एवं अशिक्षित वर्ग के लोगों के मन में कहीं-न-कहीं यह बात छिपी रहती है कि उन्हें अपना वंश चलाने के लिए लड़के की जरूरत है, इसलिए वह महिलाओं की कोख में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच करवाकर कन्या होने

की दशा में उसे पहले ही समाप्त कर देते हैं। जिसके कारण लड़कों एवं लड़कियों के अनुपात में दिनोदिन भारी अंतर आता चला जा रहा है।

गोद लेने का मोह—आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के लोगों को ऐसे मानव तस्कर झांसा देते हैं कि यदि वे अपने बच्चे को किसी बड़े परिवार के लोगों को गोद दे देते हैं तो वे उनके बेटे-बेटियों को अच्छी जिंदगी दिलवा देंगे। इसके बदले में प्रारंभ में वे दलाल उन बच्चों के माता-पिताओं को कुछ पैसे व सुविधाएं भी मुहैया करा देते हैं, किंतु ऐसा पाया गया है कि उन मानव तस्करों द्वारा लालच देकर लाए गए बच्चों को कुछ दिनों बाद रईस लोगों एवं आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को ऊंची रकमों में बेच दिया जाता है। यह भी देखा गया है कि ऐसे लड़के तथा लड़कियों को विदेशों तक में भेजा जा रहा है जहां से वे लड़के एवं लड़कियां अपने परिवारों में कभी भी वापस नहीं आ पाते हैं।

मानव अंगों का व्यावसाय—मानव तस्करी करनेवाले जोर-जबर्दस्ती या धन का लालच देकर गरीब तबकों के किशोर-किशोरियों को खरीद लेते हैं तथा उनको नशा देकर चालाकी से उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को निकालकर पैसे वालों के बच्चों एवं नामीग्रामी हस्तियों के शरीरों में प्रत्यारोपित करने हेतु बेच देते हैं। इसके कारण मानव तस्करों के चंगुल में फंसे ऐसे लोग शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से अत्यंत दुर्बल हो जाते हैं, कभी-कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि इस तरह से उनकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है।

एशिया महाद्वीप के अन्य देशों में भी नारियों की तस्करी—अगर आप हालिया सर्वेक्षणों पर नजर डाले तो स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ वर्षों में एशिया महाद्वीप में नारियों की तस्करी में बहुत ही तेजी के साथ इजाफा हुआ है। किशोरियों को मानव तस्करों द्वारा खरीदकर धनवानों के व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए बेचना एक आम बात बन गई है। यहां पर कुछ दलाल एवं कुख्यात छवि वाले लोग ऐसी किशोरियों को देह व्यापार में उतारकर उनकी गंदी एवं अश्लील फिल्में तैयार करते हैं तथा उन अश्लील फिल्मों की सी.डी. तैयार करके भारत में ही नहीं विदेशों तक में वितरित करके रातोरात अमीर बन रहे हैं, जो भारतीय रीति-रिवाजों एवं परंपराओं तथा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर कुठाराघात है।

देह व्यापार के धंधे में संलिप्त करना—किशोरियों को मानव तस्कर खरीदकर शहरों के बड़े-बड़े होटलों, बारों, डांस क्लबों, बाडी मसाज केंद्रों, मालों में काल गर्ल के रूप में पेश कर वेश्यावृत्ति के धंधों में लिप्त करवा देते हैं, जो आज दलालों की आमदनी का मुख्य जरिया बन गया है। यहां तक कि कम उम्र वाली लड़कियों को ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन देकर उनके शरीर को समय से पहले ही पूर्ण विकसित कर दिया जाता है। यह सब कुकृत्य दलालों द्वारा एक ही मकसद से किए जाते हैं कि उन मासूमों को उनके शारीरिक आकर्षण की मुंह मांगी कीमत मिल जाए। आंकड़ों की माने तो मानव तस्करी का शिकार होने वाली हर किशोरी एवं महिला तस्करी करने वाले गुट के लिए दो लाख डालर से अधिक आमदनी का साधन होती है।

घरेलू हिंसा—कई बार देखा गया है कि कई परिवारों में महिलाओं एवं बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। कई परिवारों द्वारा बहुओं से दान-दहेज के रूप में बहुमूल्य वस्तुएं एवं नकद पैसों की मांग की जाती है और उसका चुकता न करने की दशा में उन पर शारीरिक अत्याचार किया जाता है। यहां तक कि उन्हें जलाकर मार देने तक की घटनाएं सामने आती रहती हैं। भारतीय महिलाओं और लड़कियों के साथ पश्चिमी एशिया में अस्थाई विवाह किया जाना आम बात बन गई है और कहा जाता है कि ऐसे विवाहों के बहाने भी नारी का यौन शोषण किया जाता है। पति द्वारा की जाने वाली घरेलू हिंसा का शिकार होने से बचने के लिए भागने वाली महिलाओं और बाल विवाह करवाई गईं लड़कियों की मानव तस्करी की आशंका बहुत ही ज्यादा रहती है।

मानव तस्करी अथवा अवैध व्यापार के पहचान के तरीके—मानव तस्करी के माध्यम से होने वाले लोगों को पहचानने के यूं तो कई तरीके हैं परंतु मानव तस्करी के माध्यम से होने वाले लोगों की हम निम्न खूबियों के माध्यम से पहचान कर सकते हैं।

● किसी भी व्यक्ति के स्थान का रहस्यमय तरीके से समय-समय पर बदला जाना।

● मानव तस्करों के चंगुल में आने वाले स्थानीय भाषा से अपरिचित होते हैं और ऐसा हो सकता है कि उन्हें अपने घर या काम का भी पता न हो।

● मानव तस्करों के चंगुल में फंसे लोग खुद को सीधे संबोधित किए जाने पर वे दूसरों को अपनी ओर से बात करने को कहते हैं।

● उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वे किसी और के इशारे पर कार्य कर रहे हों।

● उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनकी गतिविधियों को कहीं ओर से नियंत्रित किया जा रहा है और उन पर निगरानी रखी जा रही है।

● उनके शरीर पर चोटों के निशान हो सकते हैं जिन्हें देखकर ऐसा प्रकट होता है कि उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए उनके साथ मार-पीट की गई है।

● हो सकता है कि वे अपनी अप्रवासी स्थिति का खुलासा करने से डरते हों।

● उनके पासपोर्ट अथवा पहचान दस्तावेज उनके कब्जे में न हों तथा उनके दस्तावेजों को किसी और के द्वारा आयोजित किया जा रहा हो।

● उनके पास नकल किए गए दस्तावेज हो सकते हैं।

● वे ऐसे स्थानों में पाए जा सकते हैं जो लोगों का शोषण करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हों।

● हो सकता है कि उन्हें सजा के माध्यम से अनुशासित किया जा रहा हो तथा वे अपने काम की परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए बातचीत करने में असमर्थ हो सकते हैं।

● संभव है कि उन्हें अपने श्रम के बदले में कम या कोई भी तनख्वाह न मिल रही हो तथा वे अपनी आमदनी का उपयोग करने में सक्षम न हों।

● हो सकता है कि वे जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक काम कर रहे हों एवं संभव है कि उन्हें अपने काम से हों छुट्टियां न मिलती हो।

● हो सकता है कि वे गरीब या अवमानक आवास में रह रहे हों और वे चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में असमर्थ हों।

● उनकी सामाजिक बातचीत सीमित हो सकती है तथा उनका अपने परिवारों के साथ या उनके तत्काल वातावरण के बारे में लोगों के साथ संपर्क सीमित हो सकता है।

● हो सकता है कि वे खुलकर दूसरों के साथ संवाद करने में असमर्थ हों और वे ऋण चुकाने के लिए बंधे हुए हों।

मानव तस्करी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां एवं बरती जाने वाली सावधानियां

● ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, गरीबों, अशिक्षित, बेसहारा, निरीह, निरक्षर लोगों को इस विषय में सजग, सचेत एवं जागरूक रहने की जरूरत है। जाने-अनजाने, कोई भी व्यक्ति अगर आपके किशोर-किशोरियों, महिलाओं, बच्चों को ऊंचे घरानों में विवाह, ऊंची सरकारी एवं गैर-सरकारी नौकरियों, उच्च घरानों के लोगों द्वारा गोद लेने, रुपये-पैसों इत्यादि का कोई लालच देता हो, तब यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि किसी लालच में न आकर शीघ्रता से उसकी अच्छाई-बुराई पर गहनता से विचार-विमर्श करें। इस प्रकार के लोगों के बारे में ग्राम मुखिया, पुलिस, सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं से संपर्क साधें और उनसे इस प्रकार के लोगों के बारे में बातचीत करें। इस प्रकार के लोगों का अपने पास संपूर्ण पता—ठिकाना, फोटो, फिल्म इत्यादि रखना अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति के साथ आप अपने बच्चों,

किशोरों को नौकरी एवं अन्य व्यवसाय आदि के लिए भेजते हैं तो उनके साथ खुद जाएं या फिर अपनी जान-पहचान के किसी व्यक्ति को भेजें तथा जहां आपके बच्चों को नौकरी या अन्य व्यवसाय में लिप्त किया गया है वहां पर कुछ दिन रहकर उसकी संपूर्ण जानकारी लें।

● मानव तस्करी पर रोक के लिए भारत द्वारा न्यूनतम मानकों का भी पूरी तरह पालन न किए जाने का संकेत देते हुए एक *अमेरिकी रिपोर्ट* में कहा गया है कि *"देश को हर प्रकार की मानव तस्करी के मामलों में अभियोजन और दोषसिद्धि बढ़ानी चाहिए"*। ऐसा करने से आप इस प्रकार के सफेदपोश लोगों, दलालों के वास्तविक मंसूबों से भलीभांति अवगत हो सकते हैं और अपने बच्चों को इस प्रकार के कुकृत्यों में फंसने से बचा सकते हैं। आपको कदापि इन दलालों एवं जाने माने लोगों के बहकावे-फुसलावे में नहीं आना चाहिए। उनकी गहराई तक पहुंचने के बाद ही कोई अग्रिम कदम उठाना चाहिए।

● यदि कोई अनजान या संदेहास्पद व्यक्ति उच्च घराने के लड़कों को साथ लेकर गरीब परिवारों की लड़कियों से शादी का प्रस्ताव लेकर आता है और उन्हें यह लालच देता है कि यह लड़का विदेश में बहुत ऊंची नौकरी करता है और यह आपकी लड़की को बहुत सारी सुख-सुविधाएं देगा तथा आपकी लड़की विदेश में रहेगी तो ऐसा कोई प्रस्ताव आने की दशा में बिलकुल सचेत हो जाना चाहिए और ऐसे लड़कों एवं दलालों के बारे में क्षेत्र के सम्मानित जनों, गणमान्य व्यक्तियों, ग्राम प्रधान, सरकारी संस्थाओं, क्लबों के सदस्यों, जिला पंचायतों के सदस्यों से विचार-विमर्श करना चाहिए और उनकी वास्तविकता को पहचाने बिना कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाना चाहिए। जरा-सा भी संदेह होने की दशा में आप तुरंत 100 नंबर पर काल करके पुलिस को बताए।

● यात्रा के दौरान अगर आपसे कोई अनजान व्यक्ति प्लेटफार्म या ट्रेन में यह लालच देता है कि आपके बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं एवं व्यवसाय देंगे तथा अन्य लोकलुभावन प्रस्ताव पेश करता हो तो आपको ऐसी दशा में तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और रेलवे पुलिस, सशस्त्र सीमा बल तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क साधना चाहिए। अगर आपके किशोर-किशोरियां एवं बच्चे किसी दलाल के कुचक्र में फंस जाते हैं, तो ऐसी दशा में चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 पर तुरंत संपर्क करना चाहिए।

● बड़े-बड़े शहरों में अक्सर देखा गया है कि किशोरियों को किसी अनजान व्यक्ति अथवा दलाल द्वारा ऐसा प्रस्ताव दिया जाता है कि आपको मॉडल बना देंगे, फिल्म या नाटकों में काम करवाएंगे। ऐसी दशा में कभी उनके बहकावे में न आकर तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। इस तरह के लोगों की विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए और तभी किसी कार्य हेतु आगे बढ़ना चाहिए।

● मानव तस्करी को रोकने के लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों को संगठित होकर कार्य करना चाहिए। इस तरह की कार्यप्रणाली से हमें इसको समूल नष्ट करने में काफी मदद मिलेगी। केंद्र एवं राज्य सरकारों को ग्राम स्तर पर गरीब तबकों आत्मनिर्भर को बनाने के लिए स्वरोजगार स्थापित करने हेतु कुटीर उद्योग धंधे स्थापित करने चाहिए।

● समाज के सभी वर्गों की यह महती आवश्यकता है कि वह घरेलू हिंसा को समाप्त करें। विवाह में दहेज की मांग कदापि स्वीकार न करें। छोटे-मोटे घरेलू दंगे-फसाद एवं हिंसा होने की दशा में उनका निपटारा मिल-बैठकर एवं आपसी समझ-बूझ से करें। घरेलू हिंसा का सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपसी मतभेद एवं नशे की लत। इनकी वजह से अधिकत्तर मामलों में घरेलू हिंसा होती रहती है। इनसे जहां तक संभव हो दूर रहें।

● भारत की राजधानी दिल्ली में मानव तस्करी के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर हाल ही में सरकार ने सभी राज्यों में मानव तस्करी निरोधक सेल तथा हेल्प लाईन सेवा शुरू की है। नियंत्रित सेल को खोलने का एकमात्र मकसद यही है कि मानव तस्करी की घटनाओं को किसी तरह नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों व

आमजनों से सहयोग लिया जा रहा है।

● प्रत्येक माता-पिता और संरक्षकों को अपने पुत्र-पुत्रियों के चाल-चलन, आवागमन, आचार-विचार, रहन-सहन, खान-पान पर निगरानी रखनी चाहिए। उनको सदा संज्ञान में होना चाहिए कि उनके बेटे-बेटियां किस तरह के लोगों के संपर्क में हैं और कहां जा रहे हैं, क्या कार्य करते हैं। उनके संबंध किनके साथ हैं और वे किस तरह के समाज के व्यक्ति हैं। सभी अभिभावकों को चाहिए कि वह अपने बच्चों के साथ मधुर एवं मित्रवत् संबंध स्थापित करें उन्हें बात-बात पर धमकाएं नहीं और न ही उनकी भावनाओं को ठेंस पहुंचाएं।

● मानव तस्करों एवं दलालों के नामों का पर्दाफाश करना चाहिए और उन्हें समाज से निष्कासित करना चाहिए। ऐसे लोगों के चंगुल से अपने बच्चों, किशोर-किशोरियों को दूर रखने की सकारात्मक पहल भी करनी चाहिए।

● सदा सजग, सचेत एवं सतर्क बने रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के लालच में न आकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए एवं हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जैसी अपेक्षाएं आप अपने बच्चों एवं परिवारों से रखते हैं वैसी ही अपेक्षाएं आपको दूसरों के परिवारों से रखनी चाहिए तभी एक सशक्त एवं उज्ज्वल समाज का निर्माण करने में आप योगदान कर सकते हैं।

● समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलजुल कर दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। ग्राम स्तर पर संचालित प्रत्येक सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं, बाल श्रमिक संगठनों, श्रम विभाग, पुलिस प्रशासन के साथ संपर्क साधने के साथ-साथ गरीबी एवं अमीरी के बीच की खाई एवं भेदभाव को मिटाकर कार्य करने की जरूरत है।

● सभी अर्द्धसैनिक बलों एवं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर इस प्रकार के कुकृत्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़नी चाहिए और इन अपराधों में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने का प्रावधान बनाया जाना चाहिए। ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प हृदय में संजोकर एवं कर्तव्यनिष्ठ होकर यदि प्रत्येक बल इस बुराई के खिलाफ अपनी अग्रिम एवं सकारात्मक पहल करेगा, तो इस कुकृत्य को समूल नष्ट किया जा सकता है। एस.एस.बी. द्वारा इस विषय पर समय-समय पर अनेक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

सरकार द्वारा संचालित अनेक श्रमिक संगठन, महिला आयोग, श्रम विभाग, शक्तिवाहिनियों के द्वारा समय पर सुदूर ग्रामीण स्तरीय एवं अति पिछड़े इलाकों में आम जनमानस के लिए मानव तस्करी के विषय पर 'जागरूकता कार्यक्रम' संचालित करना अति आवश्यक है। "यदि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने देश से प्यार करते हैं, तो अपने विचारों को साफ-सुथरा बनाएं।"

आहार, वस्तु और निर्माण पदार्थों में मिलावट और न्यायिक विज्ञान की भूमिका

अरुण कुमार पाठक
द्वारा श्री चक्रपाणि मणियार, 113/4, शिवकुटी
(अपट्रान टी.वी. फैक्ट्री के पीछे)
इलाहाबाद-211004

आज बाजार में बिकने वाली वस्तुओं में शुद्धता की गारंटी धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। खाद्य पदार्थों, तेलों, घी, चायपत्ती, पिसे मसालों, दूध, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मादक पेयों, कृषि-संबंधी उत्पादों, सीमेंट डीजल, पेट्रोल में मिलावट की शिकायतें आम हैं। इस प्रकार का काम करनेवाले जमाखोर व मुनाफाखोर समाज के प्रति अपराध करते हैं। इनके अपराध से कभी-कभी आम जनता को जान से हाथ धोना पड़ता है। यदि मृत्यु नहीं हुई तो स्वास्थ्य को भारी क्षति होती है और शरीर के अंग को क्षति होती है। पुलिस विभाग को अक्सर ऐसे मिलावटी सामानों को बेचे जाने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं लेकिन जब तक कोई बड़ी घटना घटित नहीं हो जाती तब तक पुलिस भी ऐसी सूचनाओं पर अभियोग पंजीकृत नहीं करती है और न ही कोई कार्रवाई करने में रुचि प्रदर्शित करती है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रकरणों को *खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम* की धारा-7 में पारिभाषित किया गया है तथा धारा-16 में इसके दंड का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त *खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006* की धारा-48 में अपराध को परिभाषित किया गया है तथा तथा धारा-49 से 64 तक विभिन्न स्थितियों में दंड का प्रावधान तथा धारा-65 में उपभोक्ता की मृत्यु होने या क्षति होने पर दंड का प्रावधान है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी निम्न वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री या संग्रह नहीं किया जाएगा—

1. कोई भी अपमिश्रित खाद्य,
2. कोई भी असल खाद्य पदार्थ की नकल,
3. ऐसा खाद्य पदार्थ, जिसके विक्रय हेतु लाइसेंस लेना अनिवार्य है, लाइसेंस की शर्तों के अनुसार विक्रय करेगा।
4. ऐसा खाद्य पदार्थ, जिसकी बिक्री स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनहित में उस समय रोक लगाई गई है।
5. ऐसा खाद्य पदार्थ, जिसकी बिक्री पर इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार रोक है।

इस धारा में अपमिश्रण का अर्थ निर्धारित योग्यता से निम्न स्तर का पदार्थ बेचना, या निर्धारित स्तर के खाद्यान्न में निम्न स्तर के खाद्य को मिलाना है। निम्न स्तर की वस्तु को योग्य स्तर की बताई जाने हेतु उसमें किसी वस्तु को मिलाना, रंग देना भी अपमिश्रण की श्रेणी में आता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्य निरीक्षकों को दुकान या संस्थान से नमूना लेने हेतु अधिकृत किया गया है। नमूने का परीक्षण साधारणतया राज्य सरकार द्वारा अधिकृत जन विश्लेषक द्वारा किया जाता है। यदि जिसके पास से अपमिश्रित नमूना खाद्य निरीक्षक द्वारा संग्रहीत किया गया है, वह चाहे तो सक्षम न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर न्यायालय के निर्देश पर *सेंट्रल फूड लेबोरेटरी, कोलकाता* में विश्लेषण हेतु भिजवा सकता है। जन विश्लेषक व सेंट्रल फूड लेबोरेटरी के विश्लेषण में अंतर होने पर सेंट्रल फूड लेबोरेटरी का निर्णय मान्य होगा।

किसी भी दुकानदार या व्यापारी से अपमिश्रित खाद्य पदार्थ, वस्तु बरामद होने पर धारा-7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का अपराध पंजीकृत

होगा। अधिनियम की धारा-16 में दो वर्ष के कारावास व अर्थदंड का प्रावधान है।

जनविश्लेषक की रिपोर्ट बिना उसे साक्ष्य में बुलाए न्यायालय द्वारा प्रमाण में ग्राह्य है लेकिन यदि अभियुक्त चाहे तो जनविश्लेषक को प्रति परीक्षा हेतु बुला सकता है। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा-48 में वर्णित है कि—(1) जो कोई व्यक्ति किसी खाद्य वस्तु को इस जानकारी के साथ कि वह मानव उपभोग के लिए बिक्री की जा सकेगी या विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की जा सकेगी या वितरित की जा सकेगी, निम्नलिखित संक्रियाओं में से किसी एक या अधिक संक्रिया द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकर बनाता है, अर्थात्—

(क) खाद्य में कोई वस्तु या पदार्थ मिलाकर,

(ख) खाद्य की तैयारी में किसी अवयव के रूप में किसी वस्तु या पदार्थ का उपयोग करके,

(ग) खाद्य से किसी संघटक को निकालकर, या

(घ) खाद्य के साथ कोई अन्य प्रक्रिया या उपचार करके।

(2) इस बारे में अवधारण करने में कि क्या कोई खाद्य असुरिक्षत या स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा—

(क) (i) उपभोक्ताओं द्वारा खाद्य के उपयोग की सामान्य दशाएं और उसके उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण के प्रत्येक प्रक्रम पर रखरखाव।

(ii) उपभोक्ताओं को दी गई जानकारी, जिसके अंतर्गत लेबल पर दी गई जानकारी भी सम्मिलित है या किसी विशिष्ट खाद्य या खाद्य के किसी प्रवर्ग से स्वास्थ्य पर विनिर्दिष्ट प्रतिकूल प्रभाव से बचाव के संबंध में और उसका उपभोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर उस खाद्य के संभावित, तात्कालिक या अल्पकालिक या दीर्घकालिक प्रभावों से बचाव के संबंध में उपभोक्ताओं को साधारण तथा उपलब्ध अन्य जानकारी,

(iii) संभावित संचयी विषाणु प्रभाव,

(iv) जहां खाद्य उपभोक्ताओं के किसी प्रवर्ग के लिए आशयित है वहां उपभोक्ताओं के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग की विशिष्ट स्वास्थ्य संवेदनशीलता पर, और

(v) उसकी सामान्य मात्रा में उपभोग करनेवाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर उसी संरचना के खाद्य की संचयी प्रभाव की भी संभावना।

(ख) यह तथ्य कि जहां ऐसे किसी वस्तु की जो प्राथमिक खाद्य है, क्वालिटी या शुद्धता विनिर्दिष्ट मानकों से नीचे गिर गई है या उसके संघटक ऐसी मात्राओं में विद्यमान हैं जो भिन्नता की विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर नहीं आती और दोनों ही मामलों में प्राकृतिक कारणों से हुई है तथा मानव अभिकरण के नियंत्रण से परे है तब ऐसी वस्तु असुरक्षित या अवमानक या बाह्य वस्तु से युक्त खाद्य नहीं माना जाएगा।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'क्षति' के अंतर्गत कोई ह्रास भी है चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी और "स्वास्थ्य के लिए हानिकर" की तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

बाजार में सामान्य तौर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर गुणवत्ता का निशान *एगमार्क* या *आई.एस.आई.* लगा होता है। कुछ सामान बिना किसी निशान के भी बाजार में बिकते रहते हैं। कुछ सामान ब्रांडेड कंपनियों के रैपरों की हू-ब-हू नकल करके नाम में एकाध शब्द इधर-उधर करके भी बिकते रहते हैं। ये मिलावटी प्रकृति के हो सकते हैं। ये सामान न तो खाने के लिए उपयोगी हैं और न ही स्वास्थ्य के लिहाज से उचित हैं। अब तक सामान्य प्रचलन में कुछ पदार्थों में मिलावट के प्रसंग सामने आए हैं, उनका विवरण जानकारी के लिए आपको दिया जा रहा है—

1. हल्दी पाउडर में मिलावट—हल्दी पाउडर में अवैध अपमिश्रण करनेवाले मेटानिल पीला रंग मिलाते हैं।

2. चाय पाउडर में मिलावट—चाय पाउडर में लकड़ी के बुरादे को मिलाते हैं।

3. काली मिर्च पाउडर में मिलावट—काली मिर्च के पाउडर में पपीते के बीजों को पीसकर मिश्रित करते हैं।

4. घी में मिलावट—घी में मिलावट के लिए साबुन के कारखानों के लिए आयातित पदार्थ 'टैलो' मिलाते हैं।

5. दूध में मिलावट—दूध को गाढ़ा करने के लिए उसमें मांड़ मिलाते हैं।

6. सरसों तेल/अलसी तेल में मिलावट—सरसों/अलसी के तेल में पिली-पोप्पी (धतूरा) बीजों से निकलने वाले आर्जीमोन तेल को मिलाते हैं। यह आर्जीमोन तेल मानव शरीर के लिए स्लो पौइजन का कार्य करता है।

7. पेय पदार्थों में मिलावट—कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशकों को मिलाते हैं। कृषि उत्पादों में भी कीटनाशक मिले होते हैं।

मिलावटी आहार/वस्तु/पदार्थ का परीक्षण करने के लिए आजकल आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियां, यथा–
–पेपर एंड थिनलेयर क्रोमाटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रयोग किया जाता है।

मिलावटी वस्तुओं का परीक्षण सामान्य तौर पर राज्य सरकार की तरफ से नियुक्त जन विश्लेषक द्वारा किया जाता है। कुछ सामान्य परीक्षण तरीके निम्नवत हैं—

क्र. सं.	खाद्य पदार्थ का नाम	मिलावटी वस्तु का नाम	मिलावट का पता करने वाला परीक्षण
1.	खाद्य तेल	आर्जीमोन तेल	इस प्रकार के खाद्य तेल के परीक्षण के लिए नमूने में सांद्र नाइट्रिक एसिड मिलाकर खूब हिलाए जाने पर गाढ़ा लाल या लाल मिश्रित गेहुंआ रंग की अम्ल परत बन जाती है। इससे आर्जीमोन तेल की मिलावट की बात निर्धारित होती है।
2.	खाद्य तेल	खनिज तेल	दो मिलीलीटर खाद्य तेल लेकर उसमें 0.5 एन. क्षार पोटाश उतनी ही मात्रा में मिलाने पर तथा उसके बाद मिश्रण को गरम पानी में 15 मिनट तक गरम करने के पश्चात उसमें 10 मिली लीटर सादा पानी मिलाएं। यदि तेल में कचरा दिखाई दे तो यह सिद्ध करेगा कि खाद्य तेल में खनिज तेल मिश्रित है।
3.	खाद्य तेल	अलसी या रेंडी का तेल	खाद्य तेल थोड़ी मात्रा में लेकर पेट्रोल में मिलाइए तथा उस मिश्रण को परखनली में रखकर गर्माइए। फिर उसे ठंडा करके बर्फ लवण उसमें मिलाइए। यदि 5 मिनट में कचरा दिखाई दे तो यह सिद्ध करेगा कि खाद्य तेल में अलसी या रेंडी का तेल मिला है।
4.	घी या मक्खन	शाकीय घी	एक चम्मच घी या मक्खन को पिघला लें तथा उतनी ही मात्रा में उतनी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर एक परखनली में रखकर उसमें थोड़ी मात्रा में चीनी डालकर एक मिनट तक हिलाइए। फिर पांच मिनट स्थिर छोड़ दें। यदि परखनली में नीचे क्रिमिशन रंग दिखाई दे तो यह स्पष्ट करेगा कि घी में मिलावट है।

5.	हल्दी	मेटानिल पीला रंग	परखनली में एक चम्मच हल्दी पाउडर में कुछ बूंदें गाढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें। तुरंत बैंगनी रंग आ जाए तथा पानी मिलाते ही बैंगनी रंग गायब होकर पीला रंग आ जाए और थोड़ी देर तक बना रहे तो यह सिद्ध करेगा कि हल्दी पाउडर में मेटानिल हल्दी (कोयला, तार या डाई रहित) मिलाया गया है।
6.	दूध	माँड़	थोड़ी मात्रा में दूध परखनली में लेकर उसमें टिंक्चर आयोडिन मिलाने पर यदि नीला रंग दिखाई दे तो यह सिद्ध करेगा कि दूध में मांड मिला है।

भवन निर्माण सामग्री में मिलावट की बात अक्सर सामने आती है। कई बार निर्माणाधीन इमारतें गिर जाने से काफी व्यक्ति मर जाते हैं। ऐसे में निर्माण सामग्री को कब्जे में लेकर उसका परीक्षण कराने की जरूरत पड़ती है। निर्माण सामग्री यथा सीमेंट मिश्रण, ईंटें, चूना, रेत आदि संचयित करके इस बात की जांच कराई जाती है कि निर्माण हेतु प्रयोग किए गए पदार्थों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप है अथवा नहीं?

सीमेंट में मिलावट की काफी शिकायतें आती हैं। सीमेंट कई प्रकार के होते हैं। सामान्य निर्माण कार्यों के लिए पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग होता है। बाजार में सस्ती प्रकृति का पोजोलाना सीमेंट भी बिकता है। विभिन्न प्रकार के सीमेंट में मुख्य रूप से सिलिका सैंड, कैल्शियम क्रमशः 21 से 25 प्रतिशत तथा 60 से 65 प्रतिशत तक रहते हैं। 7 से 15 प्रतिशत तक एल्युमीनियम, लौह आक्साइड भी रहता है। परीक्षण के दौरान सीमेंट की दृढ़ता, संपीड़क शक्ति, सेटिंग का समय व अन्य भौतिक गुण-धर्म का परीक्षण किया जाता है।

भवनों के निर्माण के दौरान ढह जाने पर प्रयोगशाला में भेजने हेतु प्रदर्शों का चयन निम्नवत् करना चाहिए—

1. प्रयोग किए जा रहे सीमेंट की न्यूनतम 10 प्रतिशत बोरियां नमूने के लिए लाट के बीच-बीच से निकालनी चाहिए तथा उनमें से प्रत्येक से 1-1 किलोग्राम नमूना प्लास्टिक के सूखे जार में रखना चाहिए।

2. गिरे भवन के सीमेंट-चूने-कंक्रीट के मिश्रण, सरिया के नमूने, कंक्रीट मिश्रण को भी नमूने हेतु लेना चाहिए। कंक्रीट मिश्रण कम-से-कम 5 कि.ग्रा. तथा उसे सुखाकर ही सील करना चाहिए।

3. बिल्डिंग के खड़े हिस्से में से 3-4 स्थानों से 1-1 कि.ग्रा. माल का नमूना भी तोड़कर एक प्लास्टिक के डिब्बे में अलग-अलग सील करना चाहिए।

4. अलग-अलग 3-4 स्थानों से ईंटों के नमूने भी एकत्र करने चाहिए।

भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली में भेजकर इन पदार्थों का परीक्षण कराया जा सकता है।

बिल्डिंग मैटेरियल का परीक्षण भौतिक एवं रासायनिक दोनों ही पद्धतियों से किया जाता है। भौतिक पद्धति में ब्रोमोफाम द्रव-पद्धति, एक्स-रे विवर्तन, अंतरीय थर्मल (तापीय) विश्लेषण जैसी पद्धतियां प्रयोग की जाती हैं।

इसी प्रकार डीजल व पेट्रोल में किरोसीन (मिट्टी के तेल) की मिलावट की जांच के लिए गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफ तकनीक का प्रयोग किया जाता है।

अतः मिलावट के प्रकरणों में सदैव सतर्क रहकर प्रदर्शों का उचित ढंग से संग्रहण कराकर उनका निर्धारित प्रयोगशाला में परीक्षण कराना चाहिए, क्योंकि पूरे समाज के विरुद्ध कुचक्र रच रहे मुनाफाखोरों व अपराधी व्यवसायियों की अवैध प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके।

भारत में बालकों का संरक्षण एवं पुलिस

जालम सिंह
द्वारा बी.एस. राठौड़, उप डाकपाल, उप डाकघर,
बीएसएफ, जैसलमेर-345001 (राजस्थान)

समाज बालकों के विकास एवं वृद्धि के लिए एक छाते की तरह कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 21, 21-ए, 22, 23, 24, 39, 45, 47, 51ए, (K) सहित अनेक उपबंधों में राज्य पर यह सुनिश्चित करने का प्राथमिक दायित्व अधिरोपित किया गया है कि बालकों की सभी आवश्यकताएं पूरी की जाएं और उनके बुनियादी मानवीय अधिकारों का पूर्ण रूप से संरक्षण किया जाए; और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 नवंबर, 1989 को बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को अंगीकार किया है; और बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय ने ऐसे कुछ मानदंड विहित किए हैं, जिनका बालक के सर्वोत्तम हितों को प्राप्त करने के लिए सभी पक्षकार राज्यों द्वारा पालन किया जाना है और बालक के अधिकारों से संबंधित अभिसमय ने न्यायिक कार्रवाइयों का सहारा लिए बिना संभव सीमा तक पीड़ित बालकों को समाज में पुनः मिलाने के लिए बल दिया है; और भारत सरकार ने उक्त अभिसमय का 11 दिसंबर, 1992 को अनुसमर्थन कर दिया है; और किशोरों से संबंधित विद्यमान विधि के अधिकारों से संबंधित अभिसमय में विहित मानकों, किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम, 1985 (बीजिंग नियम), अपनी स्वतंत्रता से वंचित संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण नियम (1990) और सभी अन्य सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय लिखतों को ध्यान में रखते हुए पुनः अधिनियमित करना समीचीन है।

भारत में लंबे समय से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ शिक्षकों, प्रशासन एवं रिश्तेदारों द्वारा अपराध प्रकाश में आ रहे हैं, इस परिपेक्ष्य में पुलिस की भूमिका बाल संरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है।

हालांकि भारत में पुलिस का सृजन 1861 को पुलिस एक्ट के तहत किया गया है जिसमें 1860 के पुलिस आयोग के कानूनों को लागू करने का काम पुलिस को सौंपा गया है। कुछ राज्यों ने अपने-अपने राज्यों के नाए पुलिस अधिनियम बनाए हैं, साथ ही राज्यों ने भारत के राजपत्र के नोटिफिकेशन के अनुसरण में किशोर न्याय अधिनियम पारित किए हैं। उन अधिनियमों की पालना में पुलिस विभाग ने अपने-अपने जिलों में पुलिस अधीक्षक कार्यालयों एवं थानों में क्रमशः विशेष किशोर पुलिस यूनिट का निर्माण किया है साथ ही थानों में चाइल्ड हेल्प डेस्क गठित की है। वर्तमान में बढ़ती मानवाधिकारों की मांग व विभिन्न आयोगों एवं समितियों ने पुलिस को बाल संरक्षण के प्रति जाग्रत किया है।

जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को प्रभावी बनाने के पीछे यह बात प्रभावी रही है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय बाल उत्पीड़न की 2007 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर तीन में से एक बच्चा शारीरिक हिंसा का शिकार होता है।

इस मामले में सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट, शहरी हो या देहाती, सबके यहां 'बिन भय होई न प्रीत' दर्शन सिलेबस की तरह लागू है और शिकार होने वालों में 73 फीसदी लड़के और 65 फीसदी लड़कियां शामिल हैं साथ ही-साथ-नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2009 से 2013 के बीच 38868 बच्चों से दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए। दुष्कर्म करने वालों में ज्यादातर उनके अपने घरों के लोग या पड़ोसी थे। वहीं यूनीसेफ की 'बाल अधिकार समिति' ने सामान्य टिप्पणी के क्रमांक 8 में बच्चों को दी जाने वाली शारीरिक हिंसा यानी कारपोरल पनिशमेंट को लेकर दो टूक कहा है 'कोई भी सजा जिससे बच्चे को चोट लगे, दुःख पहुंचे, भले ही वह हल्के ढंग की ही हो,

शारीरिक हिंसा मानी जाएगी।" समिति के अनुसार— अपमान करना, नीचा दिखाना, बदनाम करना, धमकी देना, दागी करार देना, उपेक्षा करना और मजाक उड़ाना शाब्दिक हिंसा है और किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है।

शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से जुड़े वरिष्ठ शिक्षाविद् अनंत गंगोला कहते हैं, "शारीरिक हिंसा दिख जाती है। कई बार बच्चे या उनके दोस्त अभिभावकों को बता भी देते हैं, लेकिन शाब्दिक या मनोवैज्ञानिक हिंसा बच्चों के व्यक्तित्व पर असर करती है और वह आजीवन हीनता बोध से नहीं निकल पाते।"

अतः इस परिदृश्य में पुलिस की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है।

भारत में बाल संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान

किशोर न्याय बोर्ड : किशोर न्याय (बालक की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 4 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड का गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड का गठन कर सकेगी। एक बोर्ड यथास्थिति एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा दो सामाजिक कार्यकर्ताओं जिनमें कम-से-कम एक स्त्री होगी, से मिलकर बनेगा। कोई मजिस्ट्रेट बोर्ड के एक सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह बाल मनोविज्ञान या बाल कल्याण की विशेष जानकारी नहीं रखता हो।

चाइल्ड वेलफेयर कमेटी : किशोर न्याय (बालक की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 जिसे 2006 में संशोधित किया गया जिसके तहत राज्य सरकार इस कमेटी का गठन कर सकती है जिसका एक चेयर पर्सन और चार अन्य सदस्य होंगे। चेयरमैन भलीभांति बाल मनोविज्ञान का अनुभवी होगा जिसके समक्ष पुलिस या आमजन एन.जी.ओ. या चाइल्ड हेल्प लाईन के माध्यम से किशोरों या बालकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश किया जाएगा व कमेटी साक्षात्कार या अन्य माध्यमों से किशोर की मनोदशा को समझकर आगे की कार्रवाई करेगी तथा इन्हें मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी।

जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस यूनिट : राज्य सरकार प्रत्येक जिला स्तर पर कम-से-कम एक विशेष किशोर पुलिस यूनिट का गठन करेगी, जो किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 63 के अंतर्गत गठित की जाएगी जिसमें जिला स्तर पर पुलिस निरीक्षक के अधीन यह यूनिट कार्य करेगी जिसमें दो सामाजिक कार्यकर्त्ता होंगे। जिसमें एक महिला होगी एवं दूसरे सदस्य में बाल मनोविज्ञान का अनुभव होना अनिवार्य होगा।

थाना स्तर पर चाइल्ड हेल्प डेस्क : दो पुलिस कर्मचारी जो उपनिरीक्षक या सहायक उप निरीक्षक रैंक के होंगे, इस कार्य एवं उद्देश्य हेतु प्रतिनियुक्त किए जा सकेंगे जिन्हें किशोर/ बाल कल्याण अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।

कर्तव्य :

1. बालकों का संरक्षण,
2. बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना,
3. किशोरों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करना।

बालकों के अधिकार : किशोर न्याय (बालक की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत धारा 10, 17, 21, 23, 24, 25, 26 के अंतर्गत बालकों के विभिन्न अधिकार दिए गए हैं जिन्हें विस्तार से निम्न प्रकार व्याख्यायित किया जा सकता है :—

1. धारा 10 : विधि के साथ संघर्ष में किशोर का पकड़ा जाना—किशोर को पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर विशेष किशोर पुलिस इकाई या उस नाम निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी के भार साधन के अधीन रखा जाएगा जो बोर्ड के एक सदस्य को मामले की शीघ्र रिपोर्ट करेगा।

2. धारा 17 : किशोर के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन कार्रवाई—किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी और आदेश भी कथित अध्याय संहिता के (अध्याय 8 दंड प्रक्रिया संहिता परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति के संबंध में है) के अधीन किशोर के विरुद्ध पारित नहीं की जाएगी।

3. धारा 21 : अधिनियम के अधीन एक कार्रवाई में अंतर्ग्रस्त किशोर के नाम इत्यादि के प्रकाशन पर प्रतिषेध—शिनाख्त की ओर ले जाने का कोई प्रयास एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

4. किशोर या बालक की क्रूरता के लिए दंड— बालक के साथ मारपीट, उसका परित्याग या जानबूझकर उसकी उपेक्षा जिससे बालक को शारीरिक या मानसिक कष्ट होता हो या कष्ट होने की संभावना हो तो ऐसी कालावधि के कारावास से जिसकी अवधि छह माह तक या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

5. धारा 24 : भीख मांगने के लिए किशोर या बालक का नियोजन—ऐसी कालावधि का कारावास जिसका विस्तार तीन वर्ष तक की अवधि तक हो सकेगा और जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

6. धारा 25 : किशोर या बालक को नशीली शराब या स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ती—ऐसी कालावधि का कारावास जिसका विस्तार तीन वर्ष तक की अवधि तक हो सकेगा और जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. धारा 26 : किशोर या बालक कर्मचारी का शोषण—बालक को खतरनाक नियोजन के प्रयोजनार्थ उपाप्त करना या ऐसा उपार्जन का प्रयोग करता है। ऐसी कालावधि का कारावास जिसका विस्तार तीन वर्ष तक की अवधि तक हो सकेगा और जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

8. धारा 27 : विशेष अपराध—धारा 23, 24 और 26 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होंगे।

अन्य प्रावधान

1. पुलिस द्वारा किसी किशोर को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर-भीतर किशोर न्याय बोर्ड या नजदीकी मजिस्ट्रेट को पेश किया जाएगा।

2. मेडिकल चेकअप—जहां तक संभव हो अभिरक्षा में रखने वाला पुलिस अधिकारी किसी चिकित्सा अधिकारी से बालक या किशोर का चिकित्सीय परीक्षण कराएगा तथा इसकी रिपोर्ट को केस के साथ संलग्न करेगा।

3. नि:शुल्क विधिक सहायता दी जाएगी।

4. बालकों की गिरफ्तारी संबंधी सूचना मीडिया में रिलीज नहीं की जाएगी।

5. भारतीय दंड संहिता की धारा 82, 83 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी बालक की उम्र 7 वर्ष से कम हो व 7 वर्ष से 13 वर्ष के बीच हो तो किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।

यूनिसेफ के पुलिस प्रशिक्षण के संबंध में प्रावधान : यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण के संबंध में साथ ही नालसा गाइडलाइन फार पुलिस ट्रेनिंग के अनुसार तथा विदेशों से सीख लेकर पुलिसकर्मियों को गहन प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई है।'

नालसा गाइडलाइन के अनुसार पुलिस प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम निम्न प्रकार है :

1. किशोर न्यायशास्त्र का परिचय

2. बालकों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1989

3. किशोर न्याय के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम (द बीजिंग रूल्स), 1985

4. संयुक्त राष्ट्र की बाल अपराध रोकथाम संबंधी गाइडलाइन (द रियाध गाइडलाइन), 1990

5. भारतीय संविधान में बालकों के संरक्षण प्रावधानों की जानकारी

6. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, 2006 (संशोधित)

7. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) मॉडल नियम 2007, राज्यों द्वारा अपने राज्य में पारित बाल संरक्षण संबंधी नियमों की जानकारी

8. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (हरिराम बनाम राजस्थान राज्य, शीला बारसे बनाम भारत संघ, गोपीनाथ घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, बबलू पासी बनाम झारखंड राज्य)

9. बालकों की साक्षी संबंधी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान एवं भारतीय दंड संहिता के बालकों संबंधी प्रावधान

10. अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958

केस अध्ययन : जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने महिला थाना गांधी नगर में यूनीसेफ के सहयोग से वन स्टाप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर फार चिल्ड्रन और विशेष किशोर पुलिस इकाई 'स्नेह आंगन' का शुभारंभ दिनांक 27 जून, 2014 को किया। जिसमें बालश्रम, बाल विवाह, लैंगिंग हिंसा आदि के अंतर्गत किशोरों एवं बच्चों पर होनेवाले अत्याचारों एवं शोषण को रोकने तथा इस प्रकार के शोषितों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने एवं उनकी निगरानीकर्ता के रूप में पुलिस कमिश्नरेट ने विशेष पहल की है। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त (पूर्व) डा. अमनदीप सिंह कपूर ने बताया कि बाल हितैषी पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित देश का यह पहला ऐसा केंद्र होगा, जिसमें पुलिस के संपर्क में आने वाले बच्चों को एक ही छत के नीचे आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। यह केंद्र स्वयंसेवी संगठनों, पंचायतों एवं सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय करते हुए बच्चों एवं किशोरों के हितों के मुद्दों पर कार्य करेगा।

राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर की पहल : राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ने किशोर न्याय अधिनियम की पालना में अपने प्रशिक्षण में 'सेंटर फार सोशल जस्टिस एंड जेंडर स्टडिज' की शुरुआत की है जिसमें वर्ष 2010-11 में अकादमी में किशोर न्याय अधिनियम 2005, बाल श्रम निषेध अधिनियम एवं विनियम अधिनियम 1986, मानव व्यापार निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा, लैंगिंग मुद्दे, बाल संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के संबंध में प्रशिक्षण की कड़ी में 700 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा इसके लिए आर्थिक सहायता यूनीसेफ, राष्ट्रीय सामाजिक प्रतिरक्षा संस्थान एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदान की गई। अकादमी में यह कार्य शुरू करते हुए इस विचार का समर्थन किया गया कि संयुक्त राष्ट्र अपने मिलेनियम डवलपमेंट गोल के तहत इस मुद्दे को संपोषणीय विकास की कड़ी में महत्वपूर्ण तत्व मानता है।

बाल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

1. जस्टिम वर्मा कमेटी 2012, 'भारत में शिक्षकों की शिक्षा का दृष्टिकोण, स्तर और नियामक' नाम की रिपोर्ट में जो 6 क्षेत्रों से संबंधित 30 सुझाव दिए गए थे। इसमें मुख्य तौर पर नौकरी से पहले शिक्षक की शिक्षा, नौकरी के दौरान शिक्षक की शिक्षा का स्तर एवं शिक्षक का प्रदर्शन और उसकी जांच-पड़ताल को रेखांकित किया गया है। इसे तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने की जरूरत है। अक्टूबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वर्मा कमेटी के सुझावों को अनिवार्य रूप से लागू करने का जो आदेश दिया था उसे व्यवहारिक रूप में अमल में लाए जाने की महत्ती जरूरत है। पुलिस द्वारा पुलिस संबंधी जो सुझाव वर्मा कमेटी ने दिए हैं उनका अध्ययन कर अपने विभाग में थाना स्तर तक इन सुझावों को प्रभावी बनाने की विशेष आवश्यकता है।

2. पुलिस थानों में बालकों एवं किशोरों के लिए आवासीय वातावरण भारतीय परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं है। अतः जिन मामलों में जमानत लेनी आवश्यक हो तो

थानाधिकारी स्वयं उसके घर जाकर जमानत लेगा।

3. पुलिस चाइल्स हेल्प पर 24 घंटे ड्यूटी आफिसर उपस्थित होना अनिवार्य है तथा वह हेल्प लाइन नंबर 1098 से जुड़ा होना अनिवार्य है।

4. जहां-जहां सरकारी स्कूल स्थित हैं वहां-वहां पुलिस द्वारा शिकायत पेटी का लगाना अनिवार्य है ताकि स्कूलों में घटित शोषण के संबंध में पुलिस को रिपोर्ट प्राप्त हो सके और पुलिस त्वरित कार्रवाई कर सके।

5. बाल सुधार गृहों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाए, बालकों एवं किशोरों की सुरक्षा के लिए भूतपूर्व सैनिकों को गार्ड के रूप में लगाया जाए उन्हें प्रतिदिन संबंधित थाने का थानाधिकारी, उपखंड अधिकारी, अन्य भारसाधक अधिकारी चेक करेगा और अपनी टिप्पणी चेकिंग रजिस्टर में लिखेगा। यह रजिस्टर किशोर न्याय बोर्ड के न्यायाधीश द्वारा चेक किया जाएगा। न्यायाधीश महोदय द्वारा विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

6. बालकों को स्कूल ले जाने वाली बाल वाहिनियों की संख्या एवं उनका रूट स्कूल, बच्चों की संख्या, वाहनचालकों के लाइसेंस, बैज संख्या आदि का इंदराज संबंधित बीट कांस्टेबल द्वारा संधारित रजिस्टर में किया जाना चाहिए।

7. स्कूल संचालकों को बाल वाहिनियों के बच्चों को उतारने के लिए स्कूल के भीतर खाली जगह में खड़ा करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

8. पुलिस द्वारा बच्चों की सुरक्षा के संबंध में समय-समय पर स्कूल संचालकों व स्कूल प्रधानाध्यापकों की प्रतिमाह समीक्षा मीटिंग ली जानी चाहिए।

9. पुलिस द्वारा विभिन्न सांप्रदायिक दंगों के दौरान दंगाइयों को गिरफ्तार करते समय बड़ी ईमानदारी एवं तटस्थता की पालना की जानी चाहिए। दंगाइयों के बालकों के प्रति स्नेहपूर्वक व्यवहार किया जाए। प्रायः यह देखा गया है एवं अनुभव किया गया है कि पुलिस दंगों को शांत करने के लिए या मामले को रफा-दफा करने के लिए विशेष समुदाय के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है तथा घटनास्थल पर पुलिस वास्तविक अपराधियों से हटकर बालकों को गिरफ्तार कर लेती है। प्रायः विभिन्न मानव संगठनों को खासकर राष्ट्रीय बाल आयोग, महिला एवं बाल विकास विभाग, किशोर न्याय बोर्ड को ऐसे मामले प्रकाश में आने पर पुलिस के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि पुलिस द्वारा बालमन के प्रति जिम्मेदाराना स्नेहित व्यवहार किया जा सके।

10. केंद्र/राज्य बलों को विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की वर्तमान समय में बहुत ही महत्ती आवश्यकता है, क्योंकि प्रायः इन बलों को बालकों की गिरफ्तारी के संबंध में नियमों की न्यून जानकारी होती है। राज्य सशस्त्र बल बालकों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं जिससे बालकों का पुलिस के प्रति खौफनाक चेहरा प्रकट होता है। बालक बड़ा होकर पुलिस के प्रति घृणित व्यवहार करते हैं। प्रायः समाज एवं पुलिस की दूरी घटने के बजाय खाई का रूप ले लेती है।

11. पुलिस बल को संसाधन युक्त बनाया जाए। प्रत्येक विशेष किशोर पुलिस यूनिट को मोटरवाहन, अन्य साजोसामान जो बालकों के संरक्षण एवं मानव तस्करी को रोकने के लिए जरूरी हो, सरकार द्वारा यथासंभव उपलब्ध कराया जाए। इस यूनिट के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को मेहनत एवं लगन से ड्यूटी हेतु प्रेरित किया जाए। इस यूनिट का प्रभारी जिला मुख्यालय पर स्थित स्कूलों/रेलवे स्टेशनों पर प्रायः गश्त करेंगे। प्रायः यह अनुभव किया गया है कि इस यूनिट अधिकारियों/ कर्मचारियों को इनकी ड्यूटी से हटकर अन्य ड्यूटियों में लगाया जाता है जिससे बालकों के संरक्षण में सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में दिए गए बाल संरक्षण के नियमों एवं विनियमों की समय पर पालना नहीं होती है और पुलिस को लोगों द्वारा बाल संरक्षण के प्रति गैर जिम्मेदार समझा जाता है।

निष्कर्ष

भारत में बाल संरक्षण के संबंध में जो कानून एवं नियम बनाए गए हैं उनके प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकारें प्रतिबद्ध तो हैं, परंतु वर्तमान परिदृश्य में पुलिस प्रशासन की जवाबदेही को बढ़ाए जाने की महत्ती आवश्यकता है। हालांकि बालकों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें मजबूत इच्छाशक्ति का प्रदर्शन कर रही है। वर्तमान में घटित कुछ जघन्य अपराधों में नाबालिगों की संलिप्तता ने सरकार को बालकों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए चिंतित किया है। हाल ही में नई दिल्ली के मदनगीर में कुछ बाल अपचारियों द्वारा एक युवक सचिन की दौड़ा-दौड़ाकर, पीटकर हत्या कर देना एवं बच्चों को अपराधी गैंग के संपर्क में आने की घटनाएं बढ़ी हैं, उनमें स्कूल के प्रति समर्पण की भावना में कमी आई है। राजधानी दिल्ली में बाल अपराध का ग्राफ प्रतिदिन बढ़ रहा है, आंकड़े बताते हैं कि शहर में होने वाले कुल अपराधों में से 37 से 40 फीसदी को नाबालिग अंजाम दे रहे हैं। हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में किशोरों की संलिप्तता तेजी से बढ़ रही है। अधिकांश किशोर आरोपियों की उम्र 16 से 18 के बीच है। वर्ष 2011 में जहां बाल अपराध में 29.25 फीसदी का इजाफा हुआ था, वहीं वर्ष 2012 में बाल अपराध 37 फीसदी तक बढ़ गए। वर्ष 2006 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन कर बालिग होने की उम्र 16 से 18 कर दी गई। गंभीर अपराध के मामलों में 2013 में 35 फीसदी नाबालिग आरोपियों की संख्या बढ़ी। 2012 में गंभीर अपराधों के नाबालिग आरोपी 24932 थे। वर्ष 2013 में गंभीर अपराधों के नाबालिग आरोपियों की संख्या बढ़कर 33706 हो गई। दुष्कर्म के मामलों में वर्ष 2013 में 60 फीसदी नाबालिग आरोपियों की संख्या बढ़ी। इस प्रकार पुलिस को भी बाल संरक्षण के प्रति ईमानदारी एवं सचरित्रता से अपने व्यवहार में बदलाव लाना है ताकि समकालीन परिस्थितियों में बाल संरक्षण के प्रति गंभीरता बरती जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डा. सुभाष काश्यप, हमारा संविधान : भारत का संविधान एवं संवैधानिक विधि, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली, तीसरा संस्करण 2012

2. जोगिंद्र सिंह, "इनसाइड इंडियन पुलिस", ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2009

3. किशोर न्याय (बालक की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000

4. द इंडियन पुलिस जनरल, वोल्यूम एल-11 न. 4 अक्टूबर-दिसंबर, 2005

5. दैनिक भास्कर, रविवार, 3 अगस्त, 2014, जैसलमेर-पोखरण संस्करण

6. मार्निंग न्यूज, 28 जून, 2014, जयपुर संस्करण

7. हिंदुस्तान, 07 अगस्त, 2014, नई दिल्ली संस्करण

8. भारतीय दंड संहिता 1860

वैबसाइट्स

1. www.nipccd.nic.in
2. www.rpa.rajasthan.gov.in
3. www.ncpr.gov.in

लोक अदालत : शीघ्र न्याय हेतु बढ़ती लोकप्रियता

आशीष जायसवाल
डी 1ए/115, जनकपुरी, नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र ने कहा था कि लोगों को तुरंत ही कम खर्च पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए। लोक अदालत के माध्यम से इस काम को बखूबी किया जा सकता है। लोक अदालत भारत की न्याय प्रक्रिया की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसमें मुवक्किलों के समय की बचत तो होती ही है, उन्हें अनावश्यक परेशानियां से भी बचाया जा सकता है। अदालत शुल्क आदि की बचत होती है, सो अलग। यह विधिवेत्ताओं की जिम्मेदारी है कि लोक अदालत को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाएं।

अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पति या नजदीकी संबंधी की सड़क दुघर्टना में मृत्यु पर उसकी पत्नी या रिश्तेदार पर वज्रपात हो गया। न्यायालयों में कुछ लाख मुआवजा स्वरूप मुकदमा दायर करने पर भी कुछ नतीजा वर्षों तक हासिल न हुआ व कोर्ट के लगातार चक्कर काटने पड़े। तारीखें पड़ती रहीं। अंत में वे लोक अदालत की शरण में पहुंचे जहां शीघ्र व उचित न्याय मिला।

राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों (जैसा कि भारतीय संविधान के 39ए अनुच्छेद) में यह अंतर्निहित है कि सबको समान रूप से न्याय तथा जरूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाए। कोई नागरिक केवल आर्थिक या अन्य कर्मियों के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। इसी सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए 'दि लीगल सर्विसेज अथारिटीज एक्ट-1987' की संरचना हुई जिससे नागरिकों को समान अवसर, निःशुल्क कानूनी सहायता व शीघ्र न्याय प्रदान किया जा सके। राष्ट्रपति महोदय ने 11 अक्टूबर, 1987 को अपनी सहमति प्रदान कर दी। उस कानून में 1994 में (एक्ट 59/94) के तहत कुछ सुधार किए गए, जिसके हिसाब से वह आज के नागरिकों के हेतु और भी उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

इस कानून के उद्देशिका के अनुसार यह दो मुख्य ध्येय हेतु बताया गया है :

1. प्रथम तो यह कि समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क व न्यायोचित सेवाएं प्रदान की जा सकें, जिससे उन्हें आर्थिक या अन्य ऐसे कारणों से वंचित न रखा जाए। तथा;

2. लोक अदालतों का आयोजन किया जाना— जिससे समान न्याय व्यवस्था प्रदान करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

यह सर्वविदित है कि भारतीय न्याय प्रक्रिया में ऐसे अंतर्निहित कारण है जिससे 10-20-30 वर्षों या उससे भी अधिक समय तक मुकदमों का फैसला हो ही नहीं पाता। आंकड़ों के अनुसार भारतीय न्यायालयों में 3 करोड़ से भी अधिक मामले लंबित पड़े हैं व न्याय की प्रतीक्षा में हैं। प्रतिवर्ष निचली अदालतों में 83 लाख अपराधिक तथा 30 लाख व्यावहारिक और उच्च न्यायालयों में 6 लाख विवाद निर्णय के लिए पहुंचते हैं। इन सबका निष्पादन हो पाना वर्तमान प्रणाली में कठिन कार्य है। इस प्रकार लंबित मामलों की सूची बढ़ती ही जाती है। मुकदमों में 5 से 30 वर्षों का समय लग जाना मामूली बात है। एक प्रसिद्ध बेतिया राज विवाद के निष्पादन में 200 वर्ष लगे। 70 वर्ष के बाद यह विवाद पटना उच्च न्यायालय पहुंचा। लेखक द्वारा सी.बी.आई. से अन्वेषण किए गए कुछ मुकदमें अभी भी 1969 से पटना न्यायालयों के विचाराधीन हैं।

ऐसे लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है जो न्याय

की जटिलता व देरी के कारण लोक अदालतों में गये हैं। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय तक विवाद का जाना, अपील की व्यवस्था, एक सदस्यीय खंडपीठ, बहु सदस्यीय खंडपीठ, पुनर्विचार याचिका इत्यादि सीढ़ियों के कारण न्याय की पहुंच लंबी होती जा रही है। इसी परिपेक्ष्य में लोक अदालत संस्था न्याय व्यवस्था की पूरक के रूप से उभरी है।

एक सिद्धांत है कि जिस न्याय में देरी हो, वह वास्तव में न्याय नकारने के बराबर है। किसी भी न्याय प्रणाली का यह भी आधारभूत सिद्धांत है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, अपितु ऐसा दिखना भी चाहिए। यदि लंबे समय तक न्याय न मिले तो उसका औचित्य ही क्या? देश में न्याय व्यवस्था की इस बोझिल स्थिति ने लोक अदालत नाम की संस्था को जन्म दिया। भारतीय समाज में हमेशा पंच-परमेश्वर का वर्चस्व रहा है। आपसी झगड़ों का निपटारा पंचायतें सदियों से करती आई हैं। पंचों के फैसलों को समाज ने हमेशा मान्यता तथा महत्व दिया है। न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या जब बढ़ने लगी, तब न्यायालय के विकल्प के प्रयास किए गए। इस दिशा में विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली के प्रयास सराहनीय कहे जा सकते हैं।

'लोक अदालत' क्या है, यह खुलासा भी जरूरी है। लोक शब्द का मतलब है जनता या लोग। 'अदालत' का तात्पर्य है कोर्ट या न्यायालय। साधारण शब्दों में यह जनता का न्यायालय है या जन-कोर्ट। यह 1987 के कानून के मुताबिक स्थापित हुआ।

यह एक ऐसी संस्था है जो कानूनी मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु सहायता प्रदान करती है। यह तब होता है जब मामले में पार्टी की सहमति हो तथा लोक अदालत में आए या अपने झगड़ों का आपसी सहमति से निपटारा चाहें। यह ऐसी संस्था है जो शांतिप्रिय समाज की स्थापना चाहती है, सहिष्णुता व आपसी समझौतों से झगड़ों का निष्पादन चाहती है। अपने ध्येय की प्राप्ति हेतु परामर्श देना इसका मुख्य हथियार है।

लोक अदालत एक अनौपचारिक स्वैच्छिक संस्था है जिसमें आपसी सहमति, विचार-विमर्श एवं समझौते के द्वारा विवाद का निष्पादन किया जाता है। किसी पक्षकार के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह लोक अदालत में अपने विवाद को ले जाए। सबकुछ उसकी इच्छा पर निर्भर करता है।

विधिक सेवा कानून, 1987 जिसे असल रूप में 1995 में लागू किया गया, के अंतर्गत लोक अदालत को कानूनी मान्यता दी गई है। अपने निर्णयों हेतु शुरू में लोक अदालतों को कानूनी अधिकार नहीं थे। 1987 के एक्ट में 1994 में विस्तृत क्षेत्र प्रदान कर आमूलचूल परिवर्तन किए गए। नतीजा यह है कि लोक अदालत अब उन सभी अधिकारों को प्राप्त कर उभरकर सामने आई है, जो सामान्य न्यायालयों को प्राप्त हैं।

उपरोक्त कानून की धारा 19 (5) के अनुसार लोक अदालत के द्वारा ऐसे किसी विवाद का निष्पादन या समझौता किया जा सकता है, जो जिस अदालत के द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, के सामने लंबित है या अभी तक विवाद संबंधित अदालत के सामने नहीं लाया गया है। कानून के तहत अपराध की गंभीरता के कारण यदि कोई मुकदमा समझौते के योग्य नहीं है तब लोक अदालत को इस पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा।

उपरोक्त कानून के अनुसार लोक अदालत को निम्नलिखित मामलों में पूर्ण समझौता कराने का प्रमुख अधिकार है :

1. कोई मामला जो न्यायालय में विचाराधीन हो,
2. कोई मामला जो अभी न्यायालय में जाना हो,
3. कोई आपराधिक मामला जो किसी कानून के अंतर्गत ऐसा हो जिसमें समझौता हो सके।

जहां मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें पार्टियों की सहमति होनी चाहिए कि मामला लोक अदालत देखे अथवा एक पार्टी भी इस हेतु अर्जी दे सकती है। संतुष्ट होने पर ही कोर्ट द्वारा मामला लोक

अदालत को भेजा जाता है।

लोक अदालत से आम जनता को बहुत लाभ हैं। तुरंत बिना खर्च न्याय होता है, अदा की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है, सालों कचहरी के चक्कर काटने से, वकील की फीस से, गवाहों के नाज-नखरों से मुक्ति मिलती है, जो भी तय की गई राशि है उसका भुगतान तुरंत होता है; इज्जत से पक्षकारों को बुलाया जाता है; स्वयंसेवी संस्थाएं भोजन कराती हैं, आने-जाने का खर्च देती हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है मन की शांति। चैन से जीवन जीने का अधिकार मिलता है। प्रचार-प्रसार पर भी खर्च किया जाता है। सभी काम जन सहयोग से होते हैं। न्याय के लिए न तो अदालतों के चक्कर काटने पड़ें, न ही वकीलों की मोटी फीस भरनी पड़े, यानी कि चैन से मुकदमे का निबटारा हो जाए। जी हां, लोक अदालतों में ऐसा ही होता है। यही कारण है कि ये अदालतें अधिक लोकप्रिय हो रही हैं।

छुट्टी के दिन उच्चतम न्यायालय की सहमति से तहसील स्तर या जिला स्तर पर लोक अदालत लगती है। जितने भी मामले उस न्यायालय में लंबित हैं, उनके सभी पक्षकारों को बुलाया जाता है। सहमति पत्र भरने पर लोक अदालत में आने की सलाह दी जाती है। नागरिकों का समझौता बोर्ड दोनों पक्षों से चर्चा कर राजीनामे की शर्तें प्रस्तावित करता है। पक्षकारों के राजी होने पर दोनों पक्ष अदालत को आवेदन देते हैं और समझौते के अनुसार डिक्री बनती है।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्रा, अहमदी, जे.एस. शर्मा ने जनसाधारण में जागरूकता लाकर इस आंदोलन को जनमुखी बनाया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जैसे अन्य कई न्यायमूर्तियों की मेहनत और लगन इसके सफलता हेतु काम आई है।

मध्य प्रदेश में इस आंदोलन में बिना बजट के ही बड़ी सफलता पाई गई है। वर्ष 1995 में 150 लोक अदालतों में राजीनामा कराया गया और 13 करोड़ रुपये की राशि पक्षकारों को दिलाई गई। प्रत्येक लोक अदालत में लगभग 1 हजार प्रकरणों का निराकरण होता है और आंदोलन को जनता का सहयोग मिलता है। अदालत और उसके कर्मचारी पूरी लगन, आस्था व ईमानदारी से काम करते हैं एवं अपना सामाजिक दायित्व निभाते हैं।

लोक अदालतों में भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा, दुर्घटना के लिए क्षति पूर्ति, पारिश्रमिक दावा, नगरपालिका कानून से संबंधित विवाद, राजस्व विवाद, वैवाहिक विवाद, भरण-पोषण दावा, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद तथा समझौता योग्य आपराधिक मामले ले जाए जा सकते हैं। ढुलाई के दौरान सामान के खो जाने तथा नष्ट हो जाने की स्थिति में रेलवे से क्षतिपूर्ति का दावा लोक अदालत में लाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार लोक अदालत में गैस पीड़ितों के दावों पर भी विचार हो सकता है। लोक अदालत में नए विवाद सीधे लाए जा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं लगता। अदालत में लंबित मामले जब लोक अदालत में आते हैं और उनमें समझौता हो जाता है, तो पहले जमा की गई शुल्क राशि वापस कर दी जाती है।

विधिक सेवा कानून 1987 की धारा-20 के अनुसार ऐसे मामले भी लोक अदालत में भेजे जा सकते हैं जिनमें लोक अदालत का आयोजन कर रही समिति यदि संतुष्ट है कि विवाद लोक अदालत द्वारा निष्पादन के योग्य है। यदि किसी एक पक्ष के आवेदन पर विवाद लोक अदालत को भेजा जाता है, तो ऐसा करने के पहले दूसरे पक्ष को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना जरूरी है। पक्षकारों के बीच समझौता कराने के लिए लोक अदालत के द्वारा न्याय के मान्य सिद्धांतों का पालन करने की अनिवार्यता है।

लोक अदालत का कार्य मुख्यतया विवादों का फैसला करना नहीं, वरन् संबंधित पक्षकारों के बीच समझौता करवाना है। लोक अदालत में पक्षकारों की बात ध्यान से सुनी जाती है एवं उनके विवाद से संबंधित

पक्ष को यह भी बता दिया जाता है कि वह समझौता करने के लिए बाध्य नहीं है तथा चाहे तो न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया के तहत मुकदमा लड़ सकता है। यदि लाए हुए मुकदमें का निष्पादन लोक अदालत में नहीं हो पाता, तो पुनः उसी अदालत को वापस भेज दिया जाता है, जहां से लाया गया था। यदि कोई मुकदमा सीधे लोक अदालत में लाया गया है तो समझौता न होने की स्थिति में दोनों पक्षों को बता दिया जाता है कि वे चाहें तो सामान्य अदालती प्रक्रिया के तहत न्याय मांग सकते हैं।

1994 में एक्ट में सुधार के पूर्व लोक अदालत को राजीनामा उचित कोर्ट के समक्ष 'डिक्री' पास करने हेतु रखना पड़ता था। पहले अधिकतर केस मोटर दुर्घटना से संबंधित होते थे। अब लोक अदालत की न्याय प्रक्रिया में काफी परिवर्तन आ चुका है। इस प्रक्रिया से न केवल सस्ता व शीघ्र न्याय एवं न्याय व्यवस्था मुहैया कराई जाती है, वरन् अनेकानेक कानूनी कार्रवाईयों, अपीलों व पुनर्विचार याचिकाओं पर भी रोक लगती है। किसी भी लोक अदालत से यह अपेक्षा, 1987 के एक्ट (संशोधन एक्ट 59/94) के अंर्तगत की जाती है, कि वह न्याय व समानता के सिद्धांत पर चलेगी। जो समझौते व राजीनामे होते हैं, वे न्याय के मजबूत सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। अतः इनके 'एवार्ड' को सिविल कोर्ट की 'डिक्री' के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार आपराधिक मामलों में आपसी समझौता एक अपराधिक कोर्ट के फैसले या आर्डर स्वरूप ही माना जाता है। सबसे अनोखी व महत्वपूर्ण बात तो कोर्ट फीस की वापसी है, जैसा पहले वर्णित है।

एक और महत्वपूर्ण व जोर देनेवाली बात यह है कि लोक अदालत प्रक्रिया में एक नई बात यह है कि जो भी एवार्ड इनके द्वारा दिया जाता है, वह अंतिम है और सभी पार्टियों को मानना बाध्य है। इस एवार्ड के विरुद्ध कोई अपील कहीं भी पार्टियों द्वारा किसी कोर्ट में भी नहीं की जा सकती। अतः अपीलों व जवाबी अपीलों के सिलसिले का अंत हो जाता है। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत भूल या कपट की स्थिति में उसी अदालत से पुनर्विचार के लिए प्रार्थना की जा सकती है।

लोक अदालत को सिविल कोर्ट के बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। लोक अदालत द्वारा किसी भी गवाह को साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है तथा शपथ पर गवाह की जांच की जा सकती है। लोक अदालत को साक्ष्य की मांग एवं स्वीकार करने का अधिकार है। उन्हें किसी भी कार्यालय या न्यायालय से कोई भी सार्वजनिक सूचना या दस्तावेज मंगाने का भी अधिकार है।

लोक अदालतों की बढ़ती लोकप्रियता इस बात का सूचक है कि लंबित विवादों को निष्पादित करने के लिए लोक अदालत एक आसान तरीके के रूप में लोकप्रिय हुआ है। लोक अदालत वर्तमान विधि व्यवस्था का विकल्प नहीं, अपितु पूरक है। लोक अदालतों की सार्थकता के पीछे कई कारण हैं। प्रायः पाया जाता है कि बहुत सारे परिवारों में एक ही व्यक्ति जीविका का साधन कमाने वाला होता है। यदि उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, तो परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। मुआवजे के लिए अदालती मुकदमे में वर्षों लग जाते हैं। परिवार के सदस्यों के सामने उनके आर्थिक अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसी कारण लंबी प्रतीक्षा से यह अच्छा माना जाता है कि लोक अदालतों में समझौता कर लिया जाए।

लोक अदालतों में अधिकतर मुकदमे में मोटरयान दुर्घटना तथा रेलवे के पाए गए हैं। इन विवादों में एक पक्ष सामान्य व्यक्ति होता है जबकि दूसरा पक्ष सरकारी प्रतिष्ठान जैसे परिवहन निगम या रेलवे होता है। प्रभावित व्यक्ति की आर्थिक विवशताएं उसे समझौता करने को बाध्य करती हैं।

देश में लोक अदालत पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। इसका श्रीगणेश 1976 में ही महाराष्ट्र में हो चुका था। आज इनका आयोजन प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में हो रहा है। इस संस्था के संचालन के

लिए जिला कानूनी सलाहकार परिषद की स्थापना की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में तथा कानूनी सहायता कार्यान्वयन की केंद्रीय समिति के तत्वाधान से आवश्यक वित्तीय साधन मुहैया कराया जाता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, पत्रकारों विधिवेत्ताओं तथा विधि के छात्रों की सहायता भी ली जाती है।

एक्ट के अनुसार निम्नलिखित वर्ग में आने वाला कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता पाने का हकदार है :

1. अनुसूचित जाति एवं जन जाति,

2. मानव जीवन व्यापार का पीड़ित या भिखारी,

3. महिला या बच्चा,

4. मानसिक बीमार या अपंग,

5. गंभीर हालात से पीड़ित जैसे—बड़ी हिंसा, बाढ़, सूखा जातीय संघर्ष, भूकंप आदि,

6. औद्योगिक कर्मी,

7. हिरासत में, सुरक्षाहीन (अनैतिक व्यापार, बाल अपराधी, मनोरोग गृह आदि),

8. 9000 रुपये से कम प्राप्त प्रति माह आमदनी या जो रकम राज्य सरकारें निर्धारित करें। अथवा यदि मामला उच्चतम न्यायालय में हो तो 12000/- से कम या जो केंद्र सरकार निर्धारित करे। आंध्र प्रदेश सरकार ने नियम बनाकर यह रकम 15000/- निर्धारित की है।

चूंकि यह सामाजिक कानून है व जनता के न्याय के लिए है, अतः कानूनी सेवा सहायता ऐसे मामले जो चुनाव, मानहानि, सामाजिक अपराध (खाद्य मिलावट आदि), जन न्यूसेंस (नगर कानून आदि के अंतर्गत), आर्थिक अपराध जो जनसाधारण पर असर डालते हैं, पर लागू नहीं होता।

कानून के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन अथारिटी है :

(क) राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथारिटी (केंद्र की),

(ख) राज्य कानूनी सेवाएं अथारिटी (राज्य की),

(ग) जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी (जो राज्य अथारिटी के अंतर्गत कार्यरत है)।

हर तालुक व मंडल में तालुक सेवाएं कमेटी हैं जो जिला प्राधिकरण के अंदर कार्य करती हैं तथा उच्च न्यायालय सेवाएं कमेटी व उच्चतम न्यायालय सेवाएं कमेटी भी हैं। केंद्र व राज्य प्राधिकरण के खर्चे भारत के कन्सालिडेटेड फंड व राज्य सरकार वहन करती है। इन प्राधिकरणों के मुख्य काम हैं—एक्ट के मुताबिक कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु नीति व सिद्धांत निर्धारण, समाज के गरीब तबके हेतु उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि के लिए कदम उठाना, गांवों, स्लम व श्रम कालोनियों आदि में कानूनी सहायता कैंप आयोजित करना जिससे उनके अधिकारों का ज्ञान व लोक अदालत द्वारा विवादों का निपटारा हो सके, कानूनी सहायता विशेषकर गरीबों हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देना, लोक अदालतों का आयोजन प्रक्रिया का ज्ञान बढ़ाना।

एक्ट के अंतर्गत अधिसूचना जारी करनेवाले राज्यों में प्रमुख हैं—आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु। 29 अक्टूबर, 1996 को पूरे देश में वृहत स्तर पर एकसाथ लोक अदालतों का आयोजन किया गया जो अपने आप में महत्वपूर्ण घटना थी। लोक अदालत के स्वरूप ने अब नई दिशा ली है तथा जनता के लिए अधिक खुला है। कानूनी सेवाएं प्राधिकरण इसे सफल बनाने व अधिक-से-अधिक प्रसारित करने हेतु लगे हैं। जिससे न्यायालयों में लंबित मामले घट सकें व आपसी राजीनामे से समझौते हो सकें।

आज की आवश्यकता है कि देश में शिक्षा व कानूनी शिक्षा जनता में फैलाई जाए। उन्हें अधिक ज्ञान प्रदान किया जाए। तभी एक शिक्षित समाज का निर्माण होगा। तभी जो हमें स्वतंत्रता मिली, उसकी रक्षा तथा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त गारंटी (शीघ्र न्याय हेतु) का ध्येय निकट भविष्य में प्राप्त हो सकेगा जो काफी लाभकारी होगा।

लोक अदालतों की लोकप्रियता इससे भी विदित

होती है कि आजकल दिल्ली में ही लगातार बिजली (लोक) अदालत, टेलीफोन (लोक) अदालत, प्रतिमाह बिजली अदालत आदि का आयोजन हो रहा है। हाल ही में दिल्ली विद्युत बोर्ड ने लोक अदालत लगाकर 117 मामलों में से 35 का सफलतापूर्वक उपभोक्ताओं की संतुष्टि के अनुरूप निपटारा किया। इससे 25,50,000/- की रिकवरी हुई। अदालतों की सफलता को देखते हुए ही आगे ऐसे आयोजन निरंतर किए जा रहे हैं। इनमें अधिकारियों के अतिरिक्त सेवानिवृत्त उच्च अधिकारी तथा पारदर्शिता व निष्पक्षता बनाए रखने हेतु हर जिला अदालत का चेयरमैन उसी जगह का एक प्रमुख व्यक्ति होता है, जिसे वहां की समस्याओं का पूरा ज्ञान होता है। साथ ही मौके पर ही विवादों के निपटारे पर जोर दिया जाता है।

निःसंदेह ही लोक अदालत तुरंत व सस्ते न्याय का साधन है। लोगों को तुरंत व कम खर्च पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। लोक अदालतों के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध व वैवाहिक समस्याओं पर अधिक बल देने की जरूरत है। प्रायः यह भी देखा जाता है कि परिवहन निगम या रेलवे के अधिकारी पहले से ही मुआवजा राशि निश्चित करके लोक अदालत में आते हैं। आहत व्यक्ति पहले से ही निर्धारित राशि स्वीकार करने के लिए कई बार आर्थिक रूप से बाध्य रहता है। लोक अदालत व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए विधि मान्य सिद्धांतों के आधार पर ही मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए। एक न्यूनतम मानदंड निर्धारित करने से सबल पक्ष अपनी इच्छा को कमजोर पक्ष पर आरोपित नहीं कर पाएगा।

लोक अदालत सामान्य न्याय व्यवस्था का विकल्प नहीं है। इसकी सफलता के लिए सामान्य न्याय व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है ताकि दबाव नहीं बढ़े। व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर सामान्य न्यायालय को भी समझौता कराने का अधिकार दिया जाना चाहिए। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने विधिक शोध केंद्र तथा केरल राज्य के बीच विवाद में कहा था कि लोक अदालत प्रक्रिया में चिह्नित संस्थानों की सहभागिता को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है।

न्यायिक देरी तथा समय से मामलों के निपटारों हेतु बराबर चिंता व्यक्त की गई है। जहां एक प्रमुख सुझाव न्यायालयों में पूरा स्टाफ शीघ्र बढ़ाने का है, वहीं इस सुझाव पर जोर दिया जा रहा है कि लोक अदालत आंदोलन को पूरा बढ़ावा दिया जाए। लोक अदालतें राजस्थान में भी अच्छा कार्य कर रही हैं जिसके हेतु वहां के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय निरंतर प्रयासरत हैं। वहां लगभग सभी न्यायालयों द्वारा महीने के आखिरी शनिवार के दिन लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार प्रतिवर्ष 50,000 मामलों का निपटारा किया जाता है। वास्तव में प्रत्येक जज महोदय की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का उसे हिस्सा बनाकर तथा बार कौंसिल के सहयोग से लोक अदालत अभियान को इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी बढ़ावा दिया जा सकता है। देश में वर्तमान न्यायिक व्यवस्था में न्यायिक देरी एक गंभीर कमी है। लोक अदालत के माध्यम से यह कमी बखूबी पूरी की जा सकती है।

स्थायी लोक अदालत : दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि दिल्ली प्रशासन, दिल्ली विकास प्राधिकरण, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, म्युनिसिपल कार्पोरेशन, दिल्ली, दिल्ली विद्युत बोर्ड, नई दिल्ली नगर पालिका व साधारण बीमा निगम में आदेश की तिथि 25/1/99 से चार सप्ताह के अंदर स्थायी लोक अदालत बैठाए जाएं।

इन कोर्टों की स्थापना से, जो इन विभागों से लंबित हजारों मामले हैं, जो अनेकों न्यायालयों में विभिन्न स्तर पर पड़े हैं, वे लोक अदालतों के हस्तांतरित कर दिए जाएंगे, जिससे इन अदालतों का बोझ काफी कम हो जाएगा। सामान्य अदालतों में चूंकि कार्य का भार काफी

है, लोक अदालतें उनका कार्य हल्का करने हेतु एक पर्याय बन सकती हैं।

न्यायपूर्ति अनिलदेव सिंह ने जो कई जनहित याचिकाओं में सुनावाई कर रहे थे, उपरोक्त आदेश 15 जनवरी, 1999 को पारित किया। उन्होंने बताया कि जनता की शिकायतें केवल दिल्ली विद्युत बोर्ड तक ही सीमित नहीं थीं वरन् डी.डी.ए., एम.टी.एन.एल. तथा ऐसी अन्य संस्थाओं के प्रति भी हैं। उन्होंने भारत सरकार एवं दिल्ली प्रशासन को नोटिस जारी किए कि सरकार तथा अन्य लोगों एवं कर्मचारियों के बीच जो झगड़े हैं, उनके निपटारे हेतु स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के आदेश क्यों न जारी किए जाए? नेशनल लीगल सर्विसेज अथारिटी और दिल्ली राज्य कानूनी सेवा अथारिटी ने भी पहले 28 अक्टूबर, 98 को स्थायी लोक अदालत की स्थापना हेतु सहमति जाहिर की थी।

उत्तर प्रदेश में इस बात पर बल दिया गया है कि लोक अदालत में समझौते के अनुरूप फैसला करा देने की क्षमता के कारण मामलों के शीघ्र निपटारे एवं न्याय का पर्याय देने के गुण हैं। एक लोक अदालत के समक्ष दोनों पार्टियों के एक बार आ जाने मात्र से ही शायद मामले का पूरा हल न निकल पाए जो लोक अदालत अभी एक या दो दिन के लिए लगाए जाते हैं। अतः स्थायी लोक अदालतों की जरूरत है जो निरंतर चलते रहें।

प्राप्त डाटा के अनुसार अभी विभिन्न कोर्टों में बहुत अधिक मामले विचाराधीन हैं, और लंबित पड़े हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस देश में प्रति मिलियन जनसंख्या पर केवल 10.5 जज हैं। 'न्याय दीप' के जुलाई 98 के अंक के अनुसार मार्च 1998 तक लगभग 22,452 लोक अदालतें लगाई गईं। इन लोक अदालतों के माध्यम से लगभग 66,28,270 मामलों का निपटारा हुआ। इसीलिए लोक अदालत सिस्टम को संसद ने लीगल सर्विसेज अथारिटी एक्ट, 1987 के माध्यम से मान्यता प्रदान की। सभी मामलों के एक ही जगह केंद्रित होने के बजाय उनके विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। आदेश में यह भी वर्णित है कि हमने एक साम्राज्यवादी कानूनी व्यवस्था पाई है। यह विक्टोरियन काल की परंपरा है, जिसमें ऐसे परिवर्तन होने जरूरी हैं जो बदलते समय के अनुरूप हों।

लोक अदालत की विचारधारा की शुरुआत पंचायत व्यवस्था से हुई जिसकी जड़ें इस देश के इतिहास व सभ्यता में हैं। यह 1987 का कानून कार्य व्यवस्था को बदल देने का ध्येय नहीं रखता, वरन् इसके अनुपूरक स्वरूप हैं। इस प्रकार वह न्यायालयों के भारी बोझ को कम कर सकता है। एक्ट के मुताबिक काफी विस्तृत कार्यक्षेत्र लोक अदालतों को प्रदान किया गया है, जिसके अनुसार न केवल जो मामले विचारधीन हैं, उनके अतिरिक्त जिसमें अभी मुकदमा शुरू न हुआ हो (प्रि-ट्रायल), वे दोनों ही लोक अदालत को भेजे जा सकते हैं। परंतु यह ध्याय देने योग्य बात है कि इस एक्ट का विधान आपराधिक मामले, जो किसी अपराध से संबंधित हैं और जिनमें समझौता नहीं हो सकता, जघन्य अपराध लोक अदालत की परिधि के बाहर हैं। 1987 के एक्ट के मुताबिक लोक अदालत के एवार्ड को सिविल कोर्ट की डिक्री के रूप में माना जाना है। ऐसा प्रत्येक एवार्ड अंतिम है तथा मामले की दोनों पार्टियों के लिए मान्य हैं। इस निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। चूंकि लोक अदालत की अध्यक्षता एक कार्यरत जज या न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाती है, अतः लोगों को यह स्वतः स्वीकार्य व विश्वसनीय मानी जाती है। अगर लोक अदालत निर्णय नहीं दे पाती तो केस उस कार्यालय को वापस कर दिया जाता है, जहां से वह आया था।

आज हमें निर्णय लेना है एक अति बोझ वाली कार्ट-व्यवस्था में तथा दूसरा झगड़ों के सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था व मशीनरी लोक अदालतों के बीच।

नेशनल लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर, 2013 को मनाया गया। इसमें लोक अदालत की व्यवस्था भी सम्मिलित थी। लोक अदालत, मोबाइल लोक अदालत

व जनहित हेतु स्थायी लोक अदालत की व्यवस्था की जाती है जिससे आपसी सहमति से अंतिम फैसला किया जा सके। ऐसे मामलों में दीवानी मामले व Compoundable क्रिमिनल मामले Plea Bar gaving द्वारा सम्मिलित हैं, जो न्यायालयों में लंबित हो अथवा स्टेज पर हों।

शनिवार 12 अप्रैल, 2014 को नेशनल लीगल सर्विसेज अथारिटी ने राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की, जिसमें उच्चतम न्यायालय से लेकर तालुक कोर्ट तक के मामले समझौते के हेतु सम्मिलित थे—लेबर मामले, फौजदारी, पारिवारिक कानून, मुआवजा मामले, Mercantile, व्यावसायिक लेन-देन, बैंकिग भी तथा सर्विस मामले।

इनमें लोक अदालतों ने पीड़ितों को दिलाया 70.19 करोड़ रुपये। अदालतों पर बोझ कम करने व पीड़ितों को शीघ्र राहत देने के लिए दिल्ली के सभी जिलों में 12.4.14 को लोक अदालतें लगाई गईं। इनमें आपसी रजामंदी से 42,841 मामले निपटाए गये। इसके अलावा पीड़ित पक्षों को 70.19 करोड़ रुपये समझौता राशि के रूप में दिलवाए गए। लोक अदालत का आयोजन दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया। 11 जिला अदालतों व तीन डी.आर.टी. (डेबट रिकवरी ट्रिब्यूनल) में लगी लोक अदालतों के लिए 218 बेंच गठित की गई थीं।

अदालतों पर बड़े पैमाने पर लोग मामलों का समझौता कराने पहुंचे थे। इसमें चेक बाउंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, लेबर ला, वैवाहिक मामले व ट्रैफिक चालान से जुड़े मामले निपटाए गए। सड़क हादसे से जुड़े मुआवजे के लिए मामले में भी आपसी रजामंदी से पीड़ितों को समझौता राशि दिलाई गई। इसके अलावा बैंक लोन से जुड़े मामलों का भी निबटारा किया गया। ट्रैफिक चालान सहित सरकारी महकमे से जुड़े मामलों की समझौता राशि सरकारी विभागों के पास जाएगी। जबकि लोगों से जुड़े मामलों में समझौता राशि पीड़ित पक्ष को मिलेगी। लोक अदालतों ने आदेश दिया कि जिन मामलों का निबटारा हो गया है, उन पर दुबारा अपील नहीं की जा सकती है।

लोक अदालत ने पति-पत्नी का 15 साल पुराना प्रापर्टी का एक झगड़ा भी निबटाया। यह एक बड़ी सफलता थी। मेगा लोक अदालत ने अपनी बैठकों में पति को इस बात पर राजी कराया कि यदि पत्नी सभी केस वापस ले ले, तो वह 75 लाख रुपये देगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की लोक अदालतों द्वारा शीघ्र निपटाने हेतु बड़ी सफलता मिली है। इनमें Moter Accident Claims Tribunal (MACT) तथा बिजली से संबंधित मामलों में अधिकतम सफलता प्राप्त हुई है।

मेगा लोक अदालत में एक हाई कोर्ट जज व एक सीनियर अधिवक्ता होते हैं। कमेटी सदस्यों के बीच Pre-sitting भी होती है, जो ऐसे मामलों की चयन व पहचान करते हैं। लोक अदालतों का मुख्य ध्येय मुख्य कानूनी प्रक्रिया को एक alternative देना है। पारिवारिक मामलों में मुख्य ध्येय महिलाओं को तुरंत सहायता देना है, जो कानून की लंबी प्रक्रिया से परेशान रहती हैं।

People's Court में 2012-13 में 475 पारिवारिक या Matrimonial मामले निबटाए गए। 29,347 चेक बाउंस के केस, जिनमें 59.33 करोड़ का निवारण, मई में 2014 में लोक अदालतों के ग्यारह जिलों के 43 बेंच में 24, 26 मामलों का निबटारा व 153 फौजदारी मामले निबटाए गए।

मामलों के त्वरित निपटारे के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी जी व न्यायमूर्ति बी.डी. अहमद के निर्देश पर दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 अगस्त, 2014 को भी लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली की सभी जिला अदालतों में कुल 2,911 मामलों का निपटारा किया गया। ग्यारह जिला अदालतों में कुल 45 जजों द्वारा लोक अदालतें चलाई गईं।

इनमें चेक बाउंस बिजली चोरी, वैवाहिक संबंध विवाद, यातायात चालान और समझौता योग्य छोटे अपराध से संबंधित कुल 2,662 केसों का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन सड़क दुर्घटना में मुआवजे संबंधी 13 केसों का निपटारा लोक अदालतों में कर पीड़ितों को कुल 32 लाख 57 हजार रुपये का मुआवजा दिलवाया गया। वहीं प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से 188 केसों का निपटारा किया गया।

अदालतों से संबंधित आवश्यकता है ज्यादा प्रचार की। जनता यह समझने लगे कि लोक अदालतों में राजीनामा करने में उनका लाभ है। इससे समय की बचत होती है और मानसिक शांति मिलती है। इसके विपरीत मुकदमा लड़ने से धन और प्रतिष्ठा की हानि होती है। मुकदमेबाजी को दिया जाना वाला समय अगर समाज की भलाई के कार्यों में दिया जाए, तो समाज व देश का भला ही होगा।

निश्चत ही लोक अदालत एक जन आंदोलन है और न्यायिक व सामाजिक दृष्टि से इसके अनेक फायदे हैं। अतः इनको बढ़ावा मिलना ही चाहिए। जिन राज्यों का ध्यान अभी इस ओर पूरी गति व लगन से इसे प्रभावित करने हेतु नहीं गया है, उन्हें पूर्ण ध्यान देने की नितांत आवश्यकता है।

पंजाब विश्वविद्यालय के पुलिस प्रशासन केंद्र ने वर्ष 2007-08 के शैक्षिक सत्र से पुलिस प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम को आरंभ किया है। इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को पुलिस प्रशासन, सुधारात्मक प्रशासन, अपराध विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान, पुलिस मनोविज्ञान, पुलिस प्रशासन से संबंधित कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता है। पंजाब विश्वविद्यालय में इस विषयों में एम.फिल. और पीएच. डी. भी कराई जाती है। इस स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम की कुल 46 सीटों में से 10 सीटें कार्यरत् पुलिस कार्मियों के लिए आरक्षित है। इसी तरह एम.फिल. पाठ्यक्रम की कुल 10 सीटों में से 4 सीटें इन्हीं पुलिस कार्मियों के लिए आरक्षित हैं। पुलिस कार्मिक कृपया इस संदर्भ में उपरोक्त पाठ्यक्रमों में आरक्षित सीटों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

अधिक जानकारी के लिए पंजाब विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.puchd.ac.in देखें।

पंचायतों में राजनैतिक सहभागिता के अन्य आयाम : भ्रष्टाचार

डा. आर.के. सक्सैना
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र एवं शोध अध्ययन, डा. भगवत सहाय शास. महाविद्यालय, ग्वालियर
डा. प्रीति सिकरवार
अतिथि व्याख्याता, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर, (म.प्र.)
द्वारा श्री भैरोसिंह सिकरवार, थोराट की गोठ, लोहिया बाजार, लश्कर, ग्वालियर, (म.प्र.)

भ्रष्टाचार :

भ्रष्टाचार एक विशेष प्रकार का आचरण है जो सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहारिक प्रतिमानों के विपरीत होता है। जब कभी कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ या लाभ के लिए अपने पद या सत्ता का दुरुपयोग करता है, तो उसको भ्रष्टाचार कहा जाता है।

इलियट एवं मैरिल[1] का कथन है कि जब एक व्यक्ति सगे संबंधियों, मित्रों या स्वयं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ या अन्य लाभ उठाता है तो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। राजनैतिक भ्रष्टाचार भी व्यक्ति के द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा निषिद्ध कार्य को करना अथवा निर्दिष्ट कर्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना करना होता है।

रोबर्ट बुक्स[2] ने भी उस गैर कानूनी कार्य को भ्रष्टाचार कहा है जो कोई मूर्त या अमूर्त लाभ उठाने के लिए किया जाता है। इस तरह से स्पष्ट है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य करना अथवा अपने परिवार जनों या निजीजनों के लाभ के लिए किया जाता है।

ग्राम पंचायत के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि सरपंचगण नजराने को या कमीशन को भ्रष्टाचार नहीं मानते। वे इसे विधि सम्यत कार्य मानते हैं साथ ही इसे शालीनतापूर्ण व्यवहार भी मानते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार का यह रूप घूसखोरी नहीं है, वरन यह समाज द्वारा स्वीकृत प्रतिमान है। मुरैना जिले में सरपंचों ने यह माना कि पंचायत के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए भ्रष्टाचार आवश्यक है।

सारणी क्रमांक-1

भ्रष्टाचार अनिवार्य है									
क्र. उम्र	हां			नहीं			योग		
	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1. 30 से कम	4	1	5	1	x	1	5	1	6
2. 30-40	46	12	38	8	9	17	54	21	75
3. 40-50	50	43	93	5	6	11	55	49	104
4. 50-60	45	24	69	6	5	11	51	29	80
5. 60-70	18	4	22	4	5	9	99	9	31
6. 70 से ऊपर	1	1	2	1	1	2	2	2	4
योग	164	85	249	25	26	51	189	111	300

सारणी क्र. 1 से स्पष्ट है कि 83 प्रतिशत सरपंच पंचायत के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए भ्रष्टाचार को अनिवार्य मानते हैं। 189 पुरुष सरपंचों में से मात्र 25 सरपंच (13.227 प्रतिशत) भ्रष्टाचार को अनिवार्य नहीं मानते। 111 महिला सरपंचों में से 26 ने (23.423 प्रतिशत) भ्रष्टाचार की अनिवार्यता को अस्वीकार किया है। नजराना देना या कमीशन देना इन लोगों के अनुसार भ्रष्टाचार नहीं है। 30 वर्ष से कम उम्र के 5 सरपंचों में से 4 का मानना है कि भ्रष्टाचार के बिना पंचायत कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता। मात्र एक सरपंच इससे सहमत नहीं हैं। 30 से 40 वर्ष उम्र के 77.33 प्रतिशत सरपंचों ने भ्रष्टाचार को अनिवार्य स्वीकारा है। 75 में से मात्र 17 सरपंच इसे अस्वीकारते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के सरपंच 104 हैं। इनमें से 93 का मानना है कि

पंचायत कार्य के सुचारू संचालन के लिए भ्रष्टाचार अनिवार्य है जबकि इस वर्ग के 10.58 प्रतिशत सरपंच भ्रष्टाचार को अनिवार्य नहीं मानते। 50 से 60 वर्ष के 80 सरपंचों में से मात्र 11 का मत है कि यदि अपना कार्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से किया जाए तो भ्रष्टाचार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जबकि 69 (86.25 प्रतिशत) सरपंचों ने स्वीकारा है कि भ्रष्टाचार हर कदम पर सामने आता है। 60 से 70 वर्ष के प्रौढ़ सरपंचों में भी 31 में से 22 ने भ्रष्टाचार की अनिवार्यता स्वीकारी है। जबकि 70 वर्ष से ऊपर के 50 प्रतिशत सरपंचों ने इसे अस्वीकारा हैं। इस तरह से स्पष्ट है कि लगभग 83 प्रतिशत सरपंच पंचायत के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए भ्रष्टाचार को अनिवार्य मानते हैं। इनका कथन है कि पंचायत के लिए स्वीकृति धनराशि को निकलवाने के लिए सरपंचों को नजराना तो देना ही पड़ता है साथ ही प्रत्येक चरण पर घूस भी खिलानी पड़ती है। इसके बिना अधिकारीगण स्वीकृत शुदा फंड को रिलीज ही नहीं करते और दोष सरपंचों के मत्थे मढ़ दिया जाता है कि धन राशि स्वीकृत होने पर भी कार्य नहीं हुआ। सरपंचों ने यह भी स्वीकारा कि इस भ्रष्टाचार में उनका भी प्रतिशत तय रहता है। चुनाव में उन्होंने जो खर्च किए हैं उसके लिए उसे उधार लेना पड़ा है। इसे पटाने के लिए उन्हें कुछ-न-कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। आगामी निर्वाचन के लिए कोष जुगाड़ना उनके लिए आवश्यक है। सभी को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें यह काम करना पड़ता है फिर चाहे वह मार्ग वैध हो या अवैध।

पंचायतों में भ्रष्टाचार के प्रकार :

1. जाति प्रमाण-पत्र प्रदान करते समय सरपंचगण ग्राम पंचायतों के नाम पर निर्धारित शुल्क लेते हैं और कई बार वे निर्धारित शुल्क से अधिक पैसा लेते हैं। विशेष करके जब जाति का झूठा प्रमाण-पत्र देना होता है, तो इस समय सरपंचगण अपनी पद-प्रतिष्ठा और प्रभाव के अनुरूप पैसा कमाते हैं।

2. आय का प्रमाण-पत्र देते समय भी सरपंचगण पैसा उगाहने से नहीं चूकते। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनकी सूची बनाते समय जो घपला हो जाता है उसे सरपंच घूस नहीं मानते वरन् वह नजराना या सुविधा शुल्क मानते हैं।

3. विद्यार्थियों को जन्म प्रमाण-पत्र या आय का प्रमाण-पत्र या जाति का प्रमाण-पत्र देते समय सरपंचगण निजी स्वार्थों की पूर्ति कर लेते हैं।

4. भारत शासन की विभिन्न योजनाओं से किसानों को ऋण प्रदान किया जाता है। कई बार बैंकों से भी किसानों को ऋण मिलता है। ऐसे समय में सरपंच का प्रमाणीकरण आवश्यक होता है कि ऋणी अपने ऋण का भुगतान यथा समय करता रहेगा। ऐसे समय पर रकम का कुछ प्रतिशत भाग वे अधिकारियों के नाम पर, ग्राम पंचायतों के नाम पर वसूल कर लेते हैं। यह विधि-सम्मत तो नहीं होता लेकिन ऋण प्राप्त करने हेतु अनिवार्य होने से ऋणी को मांगी हुई धनराशि देनी पड़ती है।

5. खाते का प्रमाणीकरण करते समय या खेत के लेन-देन की बिक्री या नामांतरण के समय पटवारी से मिलकर सरपंच भी यथासंभव धन उगाहते हैं।

6. विकास के कार्यक्रमों में जिन-जिन को लाभ मिलने वाला होता है, उनकी सिफारिश करके वे पर्याप्त धन कमा लेते हैं। इस कार्य में स्थानीय नेताओं का सहयोग या राजनैतिक नेताओं के प्रभाव का भी ये लोग उपयोग करते हैं।

7. पुलिस के प्रकरणों में लगभग हर बार सरपंचों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। पुलिस भी सरपंचों को मानती है। कर्नाटक में श्री आनंद ने एक प्रकरण में कहा कि पुलिस ने व्यक्ति को जवाब दिया कि न वह पंच है, न सरपंच, इसलिए वे उनकी मदद नहीं करेंगे।

इस प्रकार के हस्तक्षेप करते समय पुलिस को तो घूस देनी ही पड़ती है। उस घूस में से बिचौलियों का जो हिस्सा है वे सरपंचगण भी झटक लेते हैं। इस तरह

पुलिस के प्रकरणों में उनकी हस्तक्षेप की प्रभावी भूमिका का निर्वाह होता है। सरपंचों का कथन है कि उन्हें अपने बड़े अधिकारियों को नजराना या घूस देनी पड़ती है और उनके वैध या अवैध आदेशों का पालन करना पड़ता है। पुलिस प्रकरणों में भी थानेदार दरोगा और सिपाही उन्हीं के पास पूछने को आते हैं। उनके दबाव में सरपंचों को सुविधा शुल्क जुटाना पड़ता है। इसे कई बार वे अपने पास से देते हैं। विकास कार्यों के लिए भी जो आवंटित धनराशि है, उसे प्राप्त करने के लिए उनको वरिष्ठ अधिकारियों को एक निश्चित कमीशन देना पड़ता है। इसके साथ ही कलेक्टर (जिलाधीश) कई बार एक निश्चित राशि जमा करने के लिए तहसीलदार को कहता है। तहसीलदार उस राशि का विभाजन विकास खंड अधिकारी (बी.डी.ओ.) को करता है और ये (बी.डी.ओ.) उक्त राशि का विभाजन ग्राम स्तर तक कर देते हैं। उक्त राशि ग्राम पंचायतों से भी वसूलते हैं। जिसकी रसीद भी ग्राम पंचायत को नहीं मिलती।

सारणी क्रमांक-2

मुरैना जिले में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार					
क्र.	मुरैना जिला	पुरुष	स्त्री	योग	प्रतिशत
1.	होता है	169	85	254	84 प्रतिशत
2.	नहीं होता हैं	20	26	46	15 प्रतिशत
3.	योग	189	111	300	100 प्रतिशत

उपरोक्त सारणी क्रमांक 2 से स्पष्ट होता है कि मात्र 20 पुरुष सरपंच और 26 महिला सरपंचों ने माना कि विकास कार्यों में भ्रष्टाचार नहीं होता है। महिलाओं का तो यह कहना था कि उसके पति विकास कार्यों की देख-रेख करते हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार होता है या नहीं वह यह नहीं कह सकती। 84 प्रतिशत सरपंचों का कहना है कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनमें भ्रष्टाचार अनिवार्य रूप से होता ही है। यहां तक कि विकास कार्यों के लिए निविदाएं स्वीकार की जाती हैं उनमें भी भ्रष्टाचार होता है। मुरैना विकास खंड के एक सरपंच ने चंबल नदी पर बने सड़क पुल का उदाहरण देते हुए कहा कि ब्रिटिश कंपनी ने यह पुल बनाया था और शर्त रखी थी, कि प्रत्येक खंबे पर दो-दो ट्रोली गिट्टियां प्रतिवर्ष डाली जाएं ताकि गंधक की चट्टानों पर खड़ा पुल स्थिर रह सके। जब चंबल का पुल टूटा तो ब्रिटिश कंपनी के प्रतिनिधियों ने मौका मुआयना किया। उन्होंने पाया कि रिकार्ड में दर्ज है कि प्रति खम्बे पर चार ट्रोलियां प्रतिवर्ष डाली गईं। किंतु मौके पर उन्हें गिट्टियां नदारद मिलीं। इस तरह बिना कार्य हुए पूरा-पूरा पैसा भ्रष्टाचार की गोद में चला गया। विकास कार्यों में कितना प्रतिशत भ्रष्टाचार होता है, इस संबंध में भी अन्वेषिका ने जानकारी ली। भ्रष्टाचार राशि के विभाजन का प्रतिशत संग्रहीत किया जो तालिका क्रमांक 3 में दर्शाया गया है।

सारणी-3

भ्रष्टाचार राशि के विभाजन का प्रतिशत					
क्र.	मुरैना जिला	पुरुष	स्त्री	योग	प्रतिशत
1.	10 प्रतिशत से कम	5	5	10	3 प्रतिशत
2.	10 से 15	31	15	46	15 प्रतिशत
3.	15 से 20	28	18	46	15 प्रतिशत
4.	20 से 25	45	25	70	23 प्रतिशत
5.	25 से अधिक	80	48	128	42 प्रतिशत
	योग	189	111	300 प्रतिशत	

उपरोक्त सारणी क्रमांक 3 से स्पष्ट है कि 254 सरपंचों का मानना है कि विकास कार्यों के लिए जो निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं उनकी स्वीकृति के लिए सभी लोग पहले से ही अपना कमीशन बांध लेते हैं। यह कमीशन 25 प्रतिशत से भी कई बार अधिक होता है। विकास कार्य की बजटेड राशि, विकास कार्य का स्वरूप और विकास कार्य के लिए निविदाएं आहूत करने वाले और स्वीकृति करने वाले अधिकारी वर्ग पर भी कमीशन निर्भर किया करता है। 80 सरपंचों और 50 महिला सरपंचों ने यह स्वीकार किया कि अधिकांश विकास

कार्यों में जो निविदाएं स्वीकार की गई हैं, उसमें 25 प्रतिशत से अधिक बजट में आवंटित की गई राशि पूर्व में ले ली जाती है। 23 प्रतिशत सरपंचों का कथन है कि बजट में दर्शाये गई राशि का पंचमांश घूस में ले लिया जाता है। 20 प्रतिशत लोगों का कहना यह है कि यह राशि 15 से 20 प्रतिशत तक रहती है। 15 प्रतिशत यह उससे कम कमीशन लेने वाले सरपंचों की संख्या 47 है। इन लोगों का मानना है कि विकास कार्यों में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। इससे यहां स्पष्ट होता है कि विकास कार्य के लिए आवंटित धन, सरकारी धन का पूरा सद् उपयोग नहीं होता और उसका एक चौथाई भाग प्रारंभ में ही कमीशन के रूप में ठेकेदारों से वसूल कर लिया जाता है।

इस भ्रष्टाचार से प्राप्त हुई राशि का विभाजन किस-किस प्रकार होता है इसका भी विवरण अन्वेषिका ने प्रयत्नपूर्वक किया है। उसे ज्ञात हुआ कि स्थानीय नेताओं और पंचों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ-साथ वरिष्ठ शासनीय अधिकारियों के लिए, बिचौलियों के लिए और डकैतों के लिए भी इस राशि का विभाजन होता है।

स्थानीय पंचों के लिए 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक इस प्रकार से प्राप्त की गई राशि को बांटा जाता है। यह जरूरी नहीं है कि प्रतिशत इतना ही रहे। बिचौलिए या दलाल शेष राशि का विभाजन राजनैतिक नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच करते रहते हैं। कर्नाटक के तीन जिलों का अध्ययन करने वाले आनंद[3] इन बांथन और डी.वी. गोपालप्पा ने बिचौलियों या दलालों को फिक्सर की संज्ञा दी है।

नील (1983) ने यह कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो साहूकार हैं, वे फिक्सर का ही कार्य करते हैं। यह भी सत्य है कि इन साहूकारों का वह सम्मान नहीं होता जो राजनैतिक नेताओं और दलालों का होता है। रेड्डी एवं हरगोपाल (1985) ने भी इन बिचौलियों का अध्ययन करते समय ग्रामीण क्षेत्रों की जनता और प्रशासन के बीच में काम करने की एक कड़ी के रूप में फिक्सर को बताया है। उनके अनुसार ये फिक्सर पारंपरिक ग्रामीण अधिकारी पटेल या कारनास कहलाते थे। राजनीतिक नेतागण जो औपचारिक राजनैतिक स्थिति को धारण किए हुए थे। वे पिरावीकर्स (Pyraveekars) कहलाते थे और अधिकारियों के बीच कार्य को पूरा कराने का काम करते थे। ये बिचौलिये जीवनयापन के साधन के रूप में दलाली का ही काम किया करते थे। मेनारे 2000 ने इन दलालों को स्थानीय जनता और प्रभावशाली व्यक्तियों (नौकरशाह एवं प्रमुख राजनैतिक नेता) के बीच माध्यम का काम करने वाले बताया है। कतिपय बिचौलिए ऐसे भी थे जो क्लर्क, वकील और किसान थे। यह कहना कठिन है कि फिक्सिंग का यह कार्य कब भ्रष्टाचार की सीमा में आता है। श्री आनंद[3] का कहना है कि :—

"There are occasions when the action of fixers or of fixing, can be construed as corruption but not always."

संरक्षक भी अपने अधीनस्थ नेताओं, दलालों आदि का ध्यान रखते हैं। इसमें रुपये का लेन-देन नहीं होता, वरन् प्रभावशाली आदमी अपने प्रभाव से काम कराते रहते हैं। इन दोनों में अंतर यह है कि फिक्सर और फिक्सिंग के काम में औपचारिक रूप से धन का या सेवाओं का लेन-देन होता है। जबकि संरक्षण में जरूरी नहीं है कि धन का लेन-देन हो। फिर भी प्रभावी संरक्षक अपनी राजनैतिक सफलताओं के लिए या निर्वाचन में सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य किया करते हैं। इस तरह से कार्य करने का मुआवजा उसे प्राप्त रहता है। कर्नाटक के "मांडया" जिले में संरक्षण की व्यवस्था पर लिखते हुए आनंद[3] ने कहा है कि :—

"Thus, they already had some power (To effect political decisions) through their status village elite, but their power was enhanced through the political sphere, they can effect decisions in favour of those who sought their

help and this was a part of a system of patronage. However, their ability to generate political support at election time (Through vote banks for example) made them more important to political than the fixers who did not command such local support."

संरक्षणकर्ताओं और बिचौलियों या दलालों के बीच में अंतर स्पष्ट है। संरक्षण का संबंध जिनका कि वे काम करते हैं, अधिक समय तक बना रहता है। जबकि बिचौलियों का संबंध व्यापारिक होता है। काम पूरा हो तो पैसा मिले। काम पूरा नहीं हुआ तो पैसे नहीं मिले। लेकिन काम के पश्चात संबंध समाप्त हो जाते हैं। दलालों के संबंध औपचारिक होते हैं। जबकि सरंक्षक के संबंध बहुत कुछ वैयक्तिक होते हैं। संरक्षणकर्ता व्यापारिक क्रियाओं में लिप्त नहीं रहता। उसे धन कार्य करने के लिए नहीं दिया जाता। कई बार वह अपने पास से धन लगाकर भी दूसरे का कार्य कर देता है। जबकि दलाल ऐसा नहीं करते। ये कार्य विधिसम्मत भी होते हैं और अवैध भी हो सकते हैं।

अन्वेषिका ने अंत में यह पूछा कि क्या भ्रष्टाचार

सारणी क्रं. 4

भ्रष्टाचार आज के युग की विवशता																										
क्र		पोरसा			अम्बाह			मुरैना			जौरा			सबलगढ़			पहाड़गढ़			केलारस			योग		
		M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
अनु. जनजाति	हां	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	2	1	1	2	2	2	4
	नहीं	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	नहीं मालूम	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	योग	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	2	1	1	2	2	2	4
अनु.जाति	हां	2	2	4	3	1	4	6	3	9	4	1	5	3	1	4	2	1	3	4	1	5	24	10	34
	नहीं	1	1	2	1	1	2	2	2	4	2	X	2	1	X	1	1	1	2	X	X	X	8	5	13
	नहीं मालूम	X	1	1	1	1	2	3	1	4	1	X	1	1	X	1	2	1	3	1	1	2	9	5	14
	योग	3	4	7	5	3	8	11	6	17	7	1	8	5	1	6	5	3	8	5	2	7	41	20	61
अन्य पिछड़ा वर्ग	हां	2	3	5	3	1	4	6	4	10	8	7	15	8	5	13	4	1	5	3	2	5	34	23	57
	नहीं	1	1	2	1	1	2	2	1	3	3	1	4	2	1	3	1	1	2	2	1	3	12	7	19
	नहीं मालूम	X	1	1	1	1	2	5	1	6	4	3	7	4	2	6	1	1	2	1	X	1	16	9	25
	योग	3	5	8	5	3	8	13	6	19	15	11	26	14	8	22	6	3	9	6	3	9	62	39	10
अनारक्षित	हां	4	6	10	7	3	10	16	8	24	5	2	7	6	1	7	9	3	10	8	4	12	53	27	80
	नहीं	2	1	3	1	X	1	6	3	9	2	X	2	1	1	2	2	2	4	4	2	6	18	9	27
	नहीं मालूम	1	3	4	2	3	5	3	5	8	X	X	X	1	1	2	4	1	5	2	1	3	13	14	27
	योग	7	10	17	10	6	16	25	16	41	7	2	9	8	3	11	13	6	19	14	7	21	84	50	134
महायोग	हां	8	11	19	13	5	18	28	15	43	17	10	27	17	7	24	14	6	20	16	8	24	113	162	175
	नहीं	4	3	7	3	2	5	10	6	16	7	1	8	4	2	6	4	4	8	6	3	9	38	21	59
	नहीं मालूम	1	5	6	4	5	9	11	7	18	5	3	8	6	3	9	7	3	10	4	2	6	38	28	66
	योग	13	19	32	20	12	32	49	28	77	29	14	43	27	12	39	25	13	38	26	13	39	189	11	300

आज के युग की विवशता है। इस संबंध में प्राप्त प्रत्युत्तरों को सारणी 4 में दर्शाया गया है।

उपयुक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति के शत-प्रतिशत सरपंचों ने यह स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार आज के युग की विवशता है। अनुसूचित जाति के 55.7 प्रतिशत सरपंचों का कथन है कि भ्रष्टाचार आज के लिए अनिवार्य है। जबकि अनुसूचित जाति के 13 सरपंचों ने इसका निषेध किया है। 14 सरपंच इसका उत्तर देने से टाल गए। अन्य पिछड़े वर्ग के 56.44 सरपंच भ्रष्टाचार को आज की अनिवार्यता मानते हैं। 25 अन्य पिछड़ा वर्ग के सरपंचों ने इस प्रश्न को टाल दिया। अनारक्षित वर्ग में भी 59.70 प्रतिशत सरपंच भ्रष्टाचार को आवश्यक मानते हैं। जबकि 27 सरपंच इसकी अनिवार्यता को नकारते हैं और 27 ही सरपंच इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 58.33 सरपंच भ्रष्टाचार को आज के युग के लिए अनिवार्य मानते हैं। जबकि 19.67 प्रतिशत सरपंच इसकी अनिवार्यता को अस्वीकार करते हैं और 22 प्रतिशत सरपंच इस प्रश्न को टाल देते हैं। मुरैना जिले के सातों जनपदों में भी लगभग इसी प्रकार का उत्तर प्राप्त हुआ है। पोरसा में 59.37 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार अनिवार्य है। अंबाह के 56.25 प्रतिशत सरपंचों ने स्वीकारा है कि भ्रष्टाचार आज के युग की विवशता है। मुरैना विकास खंड के 55.8 प्रतिशत सरपंच इसकी अनिवार्यता को स्वीकारते हैं। जौरा के 62.79 सरपंचों का कथन है कि भ्रष्टाचार आवश्यक है। सबलगढ़ के 61.53 सरपंचों ने इसकी अनिवार्यता को स्वीकारा है। पहाड़गढ़ के 52.63 प्रतिशत सरपंचों ने माना है कि भ्रष्टाचार आवश्यक ही कैत्वारस के 61.54 प्रतिशत सरपंचों का कथन है कि बिना भ्रष्टाचार के आज के युग में कोई काम होता ही नहीं है। इस तरह से 300 सरपंचों में से 175 प्रतिशत सरपंचों का कथन है कि भ्रष्टाचार, आवश्यक अनिवार्य है। आज के युग की विवशता है। जबकि 66 सरपंच इस प्रश्न का उत्तर देना ही टाल गए और 59 सरपंचों ने भ्रष्टाचार की अनिवार्यता को नकारा है।

अतः म.प्र. में पंचायती राज में विकास योजनाओं में आने वाले धन व अनुदान ने सरपंचों को भ्रष्ट बना दिया है। सरपंचों में अधिक-से-अधिक भ्रष्टाचार का धन कमाने की होड़ देखी गई है। जिसे रोकना आवश्यक है।

संदर्भ :

1. Elliott and Merrill - Social Disorganization, P. 250.

2. Robert C. Brooks - Corruption in American Politics and life. P.91

3. Anand inbanathan - Fixer Patronage 'Fixing' and Local Governance in karnataka, Sociological Bulletin, 52 (2) Sept. 2003.

न्यायालयिक कीटक विज्ञान

डा. बी.डी. माली
सहायक निदेशक, (से.नि.)
डी-5, चाणक्यपुरी, फेज 1, शाहानूरवाडी,
औरंगाबाद-431005 (महाराष्ट्र)

पुलिस के कार्यों में आपराधिक जांच प्रकरणों में विभिन्न प्रकार के साक्ष्य जुटाने में न्यायालयिक प्रयोगशालाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रयोगशाला में विज्ञान के समस्त क्षेत्रों के (रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीवविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, मनोविज्ञान आदि) वैज्ञानिकों का समावेश होता है। एडमंड लोकार्ड के पारस्परिक विनिमय सिद्धांत के अनुसार जब कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आती है तो उस वस्तु के कुछ तत्व अपने साथ ले जाती है तथा अपने कुछ तत्व दूसरे वस्तु पर छोड़ देती है। इसका मतलब है कि कोई भी अपराधी घटनास्थल पर कुछ न कुछ तत्व अवश्य छोड़ जाता है और घटनास्थल से कुछ तत्व अपने साथ ले जाता है। इसीलिए घटनास्थल का निरीक्षण महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ गंभीर अपराधों में घटनास्थल से पुलिस को कोई भी भौतिक साक्ष्य नहीं मिलता। इसका एक ही कारण है कि आजकल अपराधी बहुत चालाक हो गए हैं। वे घटनास्थल पर कुछ भी चिह्न या वस्तु नहीं छोड़ते। या घटनास्थल अस्तव्यस्त कर देते हैं, जिससे पुलिस कार्मियों को अपराध की जांच में कठिनाइयां आती हैं और अपराध सुलझाने में समय लगता है।

शहरों में हत्या करके मृतक का शव घर में बंद करते हैं, कभी-कभी तो वे निर्जन जगह पर डाल देते हैं। इससे शव सड़कर (Purifaction) नष्ट हो जाएगा, ऐसा अपराधी का अनुमान होता है। वह शव सड़ने के बाद भी विधि वैज्ञानिक (Forenisc Scientist) शव वहां कबसे पड़ा? और दृढ़ किसका है? इसका अनुमान लगाते है, वह कैसे? यह हम देखते हैं।

प्रकृति सिद्धांत के अनुसार सभी जीव मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। अगर प्रकृति में सड़ने की क्रिया न होती तो पूरे संसार में कूड़े के ढेर लगते। यह सड़ने की क्रिया जीवजंतु करते हैं। वह मानव सहित जीवधारी के मलमूत्र और शव का विघटन विविध कार्बनिक घटकों में करके प्रकृति साफ रखने में मदद करते हैं। इस सड़ने की क्रिया से गंदगी फैलती है। जिससे मक्खियां आकृष्ट होती हैं। कुछ शवभक्षी, परभक्षी और परजीव रूपी कीड़े भी वहां गंदगी से आकर्षित होते हैं। इस घटना की खबर पुलिस को मिलती है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अनुसार अपराध की जांच शुरू हो जाती है। ऐसी दुर्गंधयुक्त जगह पर सामान्य आदमी जाता नहीं, लेकिन पुलिस को वहां जाकर अपराधी जांच तो करनी ही पड़ती है। जिस समय शव पर मक्खी और लार्वा की भरमार होती है। शव पर जीवित रहने वाले यह कीड़े घटनास्थल के सच्चे गवाह होते हैं। उनके जीवन चक्र से शव वहां कितने समय से पड़ा है, इसका अनुमान सिर्फ कीट वैज्ञानिक लगा सकते हैं। इसीलिए यह कीड़े पकड़कर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में ले जाने पड़ते हैं। इस प्रकार के शवभक्षी कीड़ों के परीक्षण को ही न्यायालयिक कीटक विज्ञान कहते हैं। आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम इन विकसित राष्ट्रों में न्यायालयिक कीटक विज्ञान में संशोधन जारी है। लेकिन आज तक भारत में कीटक विज्ञान का उपयोग अपराधों की जांच के लिए बहुत ही कम किया गया है।

मृत शरीर के सड़ने की प्रक्रिया तापमान, आर्द्रता, मृतक का स्वास्थ्य और बाह्य वातावरण पर निर्भर रहता है। मृत्यु के पश्चात मृतक के शरीर में मांसपेशियों का एंजाइम स्तर बढ़ता है। जिससे मृत्यु के 3-4 घंटे बाद मांसपेशियां नरम बनती हैं। आंतरिक जीवाणु भी पेट में से निकलकर शिराओं में से सभी शरीर में फैल जाते हैं। यह जीवाणु कई प्रकार के एंजाइम पैदा करके मृत शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पर कार्य करते हैं। मृत शरीर में जीवाणु

प्रवेश करके सड़ने की प्रक्रिया तेज कर देते हैं।

यदि मृत शरीर शहर या गांव में पड़ा हो तो वहां पहले घरेलू मक्खियां आकृष्ट होती हैं। बाद में सड़ने की गंदगी से मांस अक्षव करनेवाली मक्खियां और कीड़े आकर्षित होते हैं। इसमें ब्लो फ्लाइज (हरे और नीले रंग की मक्खियां), बीटल (काले रंग के कीड़े) और इसके साथ ही घरेलू मक्खियां भी मृतक के ऊपर मंडराती हैं। कुछ समय के बाद ये मक्खियां मृत शरीर के ऊपर सफेद अंडे डालती हैं। अंडे प्राथमिकता से मृतक के शरीर के घावों, उसकी नासिका, कानों, आंखों, ओंठों पर, मूत्रमार्ग और गुदा में अत्यधिक देखने को मिलते हैं। एक दिन में ही यह अंडे लार्वा में परिवर्तित होते हैं, और यह लार्वा रेंगते हुए मृत शरीर में जाकर नरम मांसपेशियों का सफ़ाया करते हैं। 5-6 दिनों में लार्वा भूरे रंग की प्यूपा में परिवर्तित हो जाता हैं, जो अगले 5-6 दिनों में एक वयस्क मक्खी का रूप धारण कर लेते हैं। मक्खी का जीवन चक्र बाह्य तापमान पर आधारित है। गर्मी के दिनों में जीवन चक्र 7-12 दिन में ही पूरा होता है तो शीतकाल में 15-20 दिन तक लंबा भी हो सकता है। ब्लो फ्लाई मृत शरीर के ऊपर ही सफेद अंडे डालती है। जीवन चक्र में एक दिन में ही अंडे से लार्वा परिवर्तित होता है, जो एक दिन में ही लार्वा की दूसरी अवस्था और एक दिन में लार्वा की तीसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। तीसरी अवस्था का लार्वा 4-5 दिन में भूरे रंग के प्यूपा में और 5-6 दिन में वयस्क मक्खी का रूप धारण करती है। यह लार्वा मृतक के घावों और शरीर के छेदों में विचरते दिखते हैं। ब्लो फ्लाई लार्वा और घरेलू मक्खियों का जीवन-चक्र अलग-अलग होने से कीटकवैज्ञानिक कौन-सी है, यह तभी पहचान जाते हैं। वैसे ही लार्वा का प्यूपा होकर प्यूपा में मक्खी बाहर आने वाली है, इसका अनुमान भी करते हैं। यह अनुमान वे सूक्ष्मदर्शी के नीचे लार्वा/ प्लूपा को देखकर करते हैं। डर्मस्टिड बीटल मृत शरीर के नीचे से मांस भक्षण करके शरीर पर आते हैं।

कभी-कभी घर में या छोटे गांव में हत्या करके शव खेत में डाल देते हैं। उस पर घरेलू मक्खियां और शवभक्षी मक्खियां मिलती हैं। कीटक वैज्ञानिक की रिपोर्ट से पुलिस अनुमान निकालती है कि घर में हत्या करके शव खेत में डाल गया है। इससे अपराध सुलझाने में मदद मिल जाती है। ऐसी घटनाओं में कीटक वैज्ञानिक यह अनुमान लगाते है कि कीटक कितने दिन से शव भक्षण कर रहा है, या घटनास्थल पर कितने दिन से शव पड़ा है। इसे शव-परीक्षा का समयांतराल भी कहते हैं। हत्या दिन में हुई या रात में और घटना का सही समय का पता चल जाए तो मृतक उस वक्त कहां था? या उसके साथ में कौन था? इसके आधार पर पुलिस को अपराधी तक पहुंचने में नई दिशा मिल सकती है। जिससे हत्या या बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों पर प्रकाश डाला जा सकता है।

यदि मृतक के शरीर पर घाव छुरा या चाकू भोंकने का या बंदूक की गोली का हो तो खून निकलता है। तब मांस भक्षी मक्खियां शव पर आकर्षित होती हैं और उन्हें शरीर में जाने का एक आसान रास्ता मिल जाता है। इससे कीटक वैज्ञानिक यह अनुमान लगाते है की, मृतक के शरीर पर के घाव उसके मृत्युपूर्व हैं। यदि मृत्यु के पश्चात मृतक के शरीर पर घाव हों तो वहां ज्यादा कीटक आकर्षित नहीं होते, क्योंकि यह घाव सूखे और साफ रहते हैं। कीटक वैज्ञानिक इसे मृत्यु पश्चात हुए घाव कहते हैं।

कभी-कभी मृतक का शरीर सड़ने के अंतिम चरणों में रहता है। तभी सरकारी अस्पताल के डाक्टर शव का पोस्टमार्टम करके विसरा नहीं निकाल पाते। जिससे न्यायालयिक प्रयोगशाला में रासायनिक परीक्षण करने के लिए कोई भी जैविक नमूने रहते नहीं। तो पीड़ित की मृत्यु विष से हुई या कैसे हुई इसका अनुमान नहीं निकलता। यह समस्या न्यायालयिक कीटक विज्ञान सुलझाता है। तब शव चिकित्सा करनेवाले डाक्टर शव भक्षी कीटक जमा करके विसरे के बदले यही जैविक नमूने न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण एवं रिपोर्ट हेतु भिजवाते हैं। जहां विष की पहचान और विष

का प्रमाण निकाला जाता है।

शव भक्षी कीटक केवल मांसपेशियां खाते नहीं, तो वे मृतक के शरीर की मांसपेशियों में जैव संचय किया हुआ विष या कोई भी मादक औषधियां खाते हैं। जहां पोस्टमार्टम के समय मृतक के शरीर में मांसपेशियां नहीं हों वहां शवभक्षी कीटकों में ही विष या मादक औषधियों की पहचान हो जाती है। मांसपेशियों में बचा हुआ विष या उसका मेटाबोलाइट कीटकों की संख्या कम कर सकता है, तो भी कीड़ों की भरमार होने से मृत शरीर के कौन से कीड़े विष पहचानने को मिलते हैं। इस विष या मादक औषधि से पीड़ित के मृत्यु के समय उसके शरीर में होने का अनुमान निकलता है।

विभिन्न देशों की अलग-अलग ऋतु में शवभक्षी कीटक भिन्न-भिन्न होते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के वैज्ञानिकों ने बहुत सारे कीटकों के जीवन चक्र की जानकारी का संग्रह किया है। अमेरिका स्थित जोर्जिया विश्वविद्यालय के शास्त्रज्ञ डा. ट्रासी ने अलग-अलग क्षेत्रों की ब्लैक ब्लो फ्लाई का अध्ययन किया। इस मक्खी के क्यूटीकल में उन्हें कई हाइड्रोकार्बन मिले। इससे पता चलता है कि एक ही जाति की मक्खी शव पर होगी तो भी उनके क्यूटिकल में हाइड्रोकार्बन अलग-अलग होते हैं, जिससे उनकी अलग-अलग पहचान की जा सकती है। इस अनुसंधान से कीटक विज्ञान से जुड़े अपराध की जांच में और भी सुधार हो सकता है।

न्यूयार्क के अभ्यासक डा. मार्क बेनेक ने कुछ अलग अंदाज से कीटक विज्ञान का उपयोग अपराध की जांच में किया है। यदि संदिग्ध व्यक्ति को घटनास्थल पर कीड़े-मकोड़े ने काटा हो तो उसका संबंध अपराध से स्थापित हो सकता है। यदि हत्या जैसे अपराध एक विशिष्ट क्षेत्र में करके पीड़ित का शव दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में पुलिस को मिलता है, तो ऐसे अपराध सुलझाने में पुलिस को बड़ी देर लगती है। इसी अपराध में मृतक के ऊपर मंडराते कीड़े यदि शव जिस क्षेत्र में मिला हो, वहां के नहीं हों तो हत्या दूसरे क्षेत्र में होने का अनुमान निकलता है। डा. मार्क बेनेक को बलात्कार जैसे अपराध सुलझाने में कीटक विज्ञान की सहायता महत्वपूर्ण लगती है। बलात्कार में शरीर पर या बाल की जुंए जैसे कीड़े की अदला-बदली हो सकती है। जुंओं द्वारा ने चुसे हुए खून से संदिग्ध अपराधी का नाता अपराध से जोड़ा जा सकता है।

वन्य जीव की हत्या करना दंडनीय अपराध है तो भी घने जंगलों में वन्य जीव की हत्या होती है। उन्हें कीटनाशक डाला हुआ मांस खाने को देकर उनकी हत्या करते हैं और उनकी चमड़ी, नाखून, दांत निकालकर तस्करी करते हैं। इस संबंध में न्यायालयिक कीटक विज्ञान की मदद से वन्यजीव की हत्या के समय का आंशिकरूप में अनुमान लगा सकते हैं। जिससे वन और पुलिस विभाग को संदिग्ध हत्यारे तक पहुंचना आसान हो जाता है।

न्यायालयिक कीटक विज्ञान की कुछ सीमाबद्धता भी थीं। जैसे कुछ साल पहले इस विषय में वैज्ञानिकों ने मांसपेशी की सड़न के बारे में अनुसंधान करके एक आधार रेखा बनाई थी। यह आधार रेखा अमानवी माडल पर प्रयोग करके बनाई थी। जिसमें अभ्यासकों ने कई मृत प्राणियों पर प्रयोग किए थे, क्योंकि सामान्यतया मानवी शव नैतिक, सामाजिक, धार्मिक और कानून के बंधन से अनुसंधान के लिए नहीं मिलता था। इसलिए जो आधार रेखा प्राणियों पर बनाये है, वह इकस्ट्रैपलेट करके मानवी शव को विधि मान्यता करना न्यायालयिक मुकदमे में अक्सर संदेह उत्पन्न करती थी। इसलिए आज संसार के कई विकसित देशों के वैज्ञानिकों ने मानवी मांसपेशियों सड़ने के बारे में ज्ञात अपराधों पर आधारित डेटा तैयार किया है जो सभी न्यायालयिक कीटक वैज्ञानिकों को उपयुक्त है।

न्यायालयिक कीटक विज्ञान की सफलता मांसभक्षी कीड़ों का वर्गीकरण, परिसंस्था और जीवन विज्ञान विषयक भलीभांति ज्ञान पर निर्भर है। मेरा विश्वास है कि पुलिस जांच में जो मानवी हत्या, बलात्कार और हत्या, वन्य जीव की हत्या ऐसे अपराध सुलझाने में उपरोक्त जानकारी सहायक हो सकती है जिससे संसार में कई मामलों को सुलझाया जा सकेगा।

भारतीय पुलिस की डरावनी छवि : कारण एवं निवारण

डा. तरुण कुमार शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर, मनोविज्ञान
एल-1/26, स्टाफ कालोनी
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कैंपस,
उदयपुर (राजस्थान)

किसी भी आधुनिक सभ्य समाज में कानून-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस एक अनिवार्य तंत्र है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय पुलिस की छवि आमजन के मनोमस्तिष्क में नकारात्मक रूप से स्थापित हो गई है। ब्रिटिश शासकों के हितों की रक्षार्थ बनी यह पुलिस आज भी उपनिवेशवादी मनोवृत्तियों से ग्रस्त है तथा इसका दुष्परिणाम यह निकला है कि स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक समाज में पुलिस तथा आमजन दो किनारों पर खड़े हैं। स्थिति यह बन गई है कि देश की पुलिस ही 'डर' का पर्यायवाची हो गई है। जबकि आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस तथा जनता के मध्य विश्वासपूर्वक अंतःक्रिया हो तथा दोनों एक-दूसरे के पूरक बनें।

डर के मूल कारण

कुछ डर तो जन्मजात होते हैं जो स्वयं की सुरक्षा और उत्तरजीविता हेतु होते हैं। अन्य प्रकार के डर सीखे गए होते हैं। सीखे गए डर की पुनः भुलाकर कम किया जा सकता है। डर की वह मूलभूत संवेग है जिसके आधार पर गुस्से का निर्माण होता है। कहने का मतलब यह है कि गुस्सा भी किसी-न-किसी प्रकार के डर का ही परिणाम होता है। उदाहरण के लिए दमित व्यक्ति दमनकर्ता के विरुद्ध गुस्से/प्रतिशोध की भावना इसलिए रखते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी स्वायत्तता के छिन जाने या अहं को क्षति पहुंचाने का या अन्य किसी प्रकार का डर होता है। आमजन यदि पुलिस के प्रति गुस्सा भी रखता है तो यह किसी प्रकार के डर का परिणाम हो सकता है।

डर कई प्रकार के होते हैं। कार्ल अल्ब्रेट ने डर की पांच मूल श्रेणियां बताई हैं। आम व्यक्ति पुलिस से जिन-जिन कारणों से डरता है, वे सभी निम्न पांच श्रेणियों में आ जाते हैं—

1. विलुप्तता का डर : मृत्यु होने, अस्तित्व खोने का डर, विनाश, अभाव का डर।

2. अंग-भंग का डर : शरीर के किसी भाग के खोने, चोटिल होने, प्रभावित होने, शरीर के किसी भाग की अपंगता, अक्रियाशीलता होने या स्वयं की शारीरिक सीमा में किसी अन्य के घुसपैठ करने का डर।

3. स्वायत्तता के खोने का डर : प्रतिबंधित, वेष्ठित, सीमित होने, किसी मामले में फंस जाने, कारावासित होने या अन्य द्वारा नियंत्रित किए जाने का डर, अगतिशील होने, लकवाग्रस्त होने का डर।

4. विच्छेद/ वियोजन/ वियोग का डर : समाज में अलग-थलग पड़ने, एकाकीपन का डर, समूह में इच्छित सम्मान, आदर न मिलने का डर, मित्रों-परिजनों का साथ खोने का डर।

5. अहम को चोट पहुंचना : अपमान होने का डर, शर्मनाक स्थिति में पड़ने का डर, स्वयं के मूल्यों के विरुद्ध कार्य होने पर स्व-अस्वीकृति से उत्पन्न डर, अखण्डता, नैतिक मूल्यों को ठेस लगने का डर, स्वयं की क्षमता, पात्रता आदि भावनाओं के विघटन का डर आदि।

सामान्य रूप से आम व्यक्ति के पुलिस से डरने के निम्नलिखित संभावित कारण होते हैं—

- **अज्ञात का भय—**कभी पुलिस से काम नहीं पड़ा तो यह सोचना कि पुलिसकर्मी न जाने किस प्रकार के होते होंगे या किस प्रकार का व्यवहार करते होंगे आदि।
- **अनिश्चितता का डर—**यह सोचना कि पुलिस

के साथ अंतःक्रिया के क्या परिणाम होंगे तथा पुलिस की कार्य प्रक्रिया क्या होगी?

● स्वयं द्वारा देखे गए अन्य उदाहरणों या मीडिया में दिखाए गए मामलों से सीख लेकर कभी भी पुलिस के पचड़ों में नहीं पड़ने का निर्णय।

● अनावश्यक मामलों में घसीटे जाने या इनके लंबे खिंच जाने का डर और कानूनी जटिलताओं का डर।

● किसी मामले में पुलिस/पीड़ित की मदद करने पर स्वयं के संसाधनों के खर्च होने का डर।

● गवाही आदि हेतु अनावश्यक यात्राएं करने तथा उत्पीड़ित होने का डर।

● आर्थिक नुकसान होने का डर, क्योंकि नौकरी/व्यवसाय से कुछ समय दूर रहना पड़ सकता है।

● **सामाजिक प्रतिष्ठा खोने का डर—**यह सोचना कि परिवार, रिश्तेदार क्या कहेंगे तथा लोगों से यह सुनना कि देखो वह पुलिस के चक्कर काट रहा है (भले ही वह किसी की मदद के लिए ही क्यों न हो)।

● परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा रोक-टोक किए जाने का डर।

● स्वयं या परिवार के अन्य सदस्यों को शारीरिक या अन्य प्रकार की क्षति पहुंचने का डर।

● **समय का अभाव—**दैनिक जीवन की आपाधापी में अतिव्यस्तता के कारण आवश्यक पुलिस कार्रवाई हेतु समय न निकाल पाना।

● **पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की आशंका—**थानों में मारपीट, दुर्व्यवहार एवं बलात्कार जैसे कुछ मामलों के करण आमजन के मन में गहरा डर बैठ जाता है।

● किसी से दुश्मनी मोल न लेने का डर, गवाही देने पर जान और माल का नुकसान हो सकता है।

● पुलिस की लिस्ट में गवाह या अन्य किसी रूप में नाम जुड़ने आदि संबंधी भ्रांतियां व्याप्त हो सकती हैं।

● पुलिस प्रक्रियाओं, कानूनी प्रक्रियाओं, पीड़ित की मदद किए जाने के तरीकों के बारे में जानकारी का अभाव होना।

● स्वयं पर विश्वास न होने के कारण उत्पन्न यह डर कि कहीं कुछ गलती न हो जाए।

● पुलिस का एक तनावदायक तंत्र के रूप में देखा जाना।

● आमजन में पुलिस की इस डरावनी एवं नकारात्मक सामाजिक छवि को दूर कैसे किया जाए?

सामुदायिक पुलिसिंग : एक वैकल्पिक राह

पुलिसिंग का अर्थ एक ऐसी क्रिया के रूप में है जिसके माध्यम से समाज/तंत्र में व्यवस्था को बनाए रखा जाता है, उसे निर्देशित या नियंत्रित किया जाता है। समाज के प्रत्येक सदस्य की यह जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक तंत्र को निर्बाध रूप से चलाने में अपना योगदान दे। पुलिसकर्मी समाज के ही वे कुछ लोग हैं जिन्हें इस व्यवस्था को बनाए रखने हेतु पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके माध्यम से राबर्ट पील यह कहना चाहते हैं कि पुलिस कभी भी समाज से विलगित होकर कार्य कर ही नहीं सकती, क्योंकि वह तो स्वयं समाज का ही एक भाग है। सामुदायिक पुलिसिंग का अर्थ है कि पुलिस की स्थानीय समुदाय के साथ अंतःक्रिया हो और समुदाय से पुलिस को अपराधों के नियंत्रण में सहयोग मिले। इस प्रकार की प्रणाली में पुलिसकर्मी स्वयं को उस समुदाय का ही भाग मानते हैं न कि सरकारी तंत्र के समान दुर्व्यवहार करते हैं।

आमजन में पुलिस के डर को कम करने हेतु सामुदायिक पुलिसिंग की महत्ता को रेखांकित करते हुए सर राबर्ट पील ने पुलिस के लिए नौ सिद्धांत दिए हैं, जो इस प्रकार हैं—

1. पुलिस की स्थापना मुख्यतः अपराध एवं अव्यवस्था को रोकने हेतु हुई है।

2. पुलिस द्वारा निष्पादित होने वाली कार्यक्षमता जनता के अनुमोदन पर निर्भर करती है।

3. जनता का आदर संरक्षित एवं संधारित करने के लिए पुलिस को स्वेच्छा से जनता द्वारा कानून की देखभाल

में सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

4. जितनी मात्रा में जनता का सहयोग पुलिस को मिलेगा, उतनी ही मात्रा में पुलिस को शारीरिक बल प्रयोग कम करना पड़ेगा।

5. पुलिस, जनता से सहयोग की मांग तथा उसके संरक्षण को जनमत के निर्माण द्वारा नहीं बल्कि कानून के निष्पक्ष पालन-प्रदर्शन द्वारा प्राप्त करे।

6. पुलिस केवल उसी स्थिति में तथा समुचित मात्रा में शारीरिक बल प्रयोग करे जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखनी हो तथा जहां समझाना, परामर्श तथा चेतावनी देने की प्रक्रियाएं अपर्याप्त सिद्ध हो चुकी हों।

7. पुलिस को हर समय जनता से संबंध बनाए रखने चाहिए ताकि 'पुलिस ही पब्लिक तथा पब्लिक ही पुलिस है' की ऐतिहासिक परंपरा को जीवंत किया जा सके। पुलिस प्रत्येक नागरिक एवं समुदाय के कल्याण तथा पूर्ण समय ध्यान रखनेवाली संस्था है जो जनता में से बनी है तथा उसे इस हेतु भुगतान मिलता है।

8. पुलिस को हमेशा अपने कृत्यों को प्रत्यक्षतः अपने दायित्व के संदर्भ में करना चाहिए न कि ऐसा लगे कि पुलिस ने न्यायपालिका की शक्तियां हड़प ली हैं।

9. पुलिस की कार्यकुशलता अपराधों एवं अव्यवस्था की अनुपस्थिति से प्रमाणित होती है न कि इनसे जूझने में दिखाई देने वाली गतिविधियों से।

भारत में सामुदायिक पुलिसिंग के प्रयास

ऐसा नहीं है कि भारतीय पुलिस ने समुदाय के साथ जुड़ने का कभी प्रयास नहीं किया हो और इस ओर कदम नहीं उठाए हों। भारत में सामुदायिक पुलिसिंग के प्रयोग का लंबा इतिहास है। नवीनतम प्रयासों में 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली में हुए गैंग रेप की घटना के बाद बैंगलुरू में 'जनाग्रह' नामक एनजीओ ने 'एरिया सुरक्षा मित्र' कार्यक्रम के माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग की योजना बनाई। इस योजना में 7 पुलिस थानों को शामिल किया गया। पुलिस इन एरिया सुरक्षा मित्रों को प्रशिक्षण देती है।

कोलकाता पुलिस ने भी सन् 1997 में नबदिशा कार्यक्रम द्वारा एनजीओ के साथ जुड़ते हुए गली के बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार हेतु कार्य किया। प. बंगाल के नड़िया जिले में सहायता कार्यक्रम के तहत पुलिस थानों में सहायता केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों पर शिकायत बाक्स रखे गए जिनमें जनता अपनी शिकायत लिखकर डाल सकती है। इन शिकायत केंद्रों को पुलिस थानों से कुछ दूरी पर बनाया गया जिससे लोग निर्भीक होकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। इस योजना के तहत नागरिकों का समूह भी बनाया गया जो पुलिस के साथ जुड़कर कार्य करता था।

पुलिस-पब्लिक-पार्टनरशिप का एक उदाहरण आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित पुलिस के दोस्त (फ्रेंड्स आफ पुलिस—एफओपी) योजना भी है। पब्लिक का कोई भी व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो अथवा महिला एवं जो किसी अपराध, आपराधिक मामले में शामिल न रहा हो, एफओपी समूह का सदस्य बन सकता है। इस समूह का कार्य उस क्षेत्र में रात्रि गश्त में मदद, ट्रैफिक आदि में सहायता, सूचना संग्रहण, निषेध कार्यों पर नजर एवं सूचना संचरण के एक माध्यम के रूप में होता है।

कोयंबटूर में चलाई गई समर्थ योजना में सामुदायिक पुलिस एरिया कमेटी बनाई गई। इस योजना के तहत कमेटी में शामिल व्यक्तियों को स्थानीय समस्याओं की जानकारी करने, उन्हें सुलझाने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस की अभिवृत्ति परिवर्तन हेतु प्रशिक्षण सेमीनार करवाए गए। पुलिस को पब्लिक सहृदयता से बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

स्टूडेंट-पुलिस इंटरफेस के सड़क पर वाहनों की जांच, रेलवे व बस स्टेशनों पर सामान की तलाशी लेने आदि में विद्यार्थियों की मदद ली गई। इस कार्य के लिए उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया गया। विद्यार्थी संगठनों की मदद से यह एक महत्वपूर्ण सहयोग साबित हो सकता है।

त्रिची सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत कच्ची बस्ती क्षेत्रों को गोद लेने, जन चेतना जाग्रति करने

हेतु कार्यक्रम जिसमें मादक पदार्थों, एल्कोहाल का सेवन न करने, एड्स से बचाव संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह भी बनाए जा सकते हैं।

इस प्रकार की अन्य योजनाएं भी समय-समय पर भारत में चलाई गई हैं। असम में 'प्रहरी' योजना, हिमाचल प्रदेश में 'विश्वास योजना', आंध्र प्रदेश की 'मैत्री योजना', मुंबई में 'मोहल्ला कमेटी', मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब आदि में ग्राम/नगर रक्षा कमेटी, बालमित्र थाना, आपरेशन हमदर्द आदि योजनाएं चलाई गई हैं, जिनमें यह सिद्ध हुआ है कि देश में 'पुलिस-जनता' संबंध प्रगाढ़ किए जा सकते हैं तथा इनसे बेहतर एवं वांछित परिणाम भी मिल सकते हैं।

पुलिस की छवि सुधारने के अन्य उपाय

आज आम आदमी के मन में पुलिस के प्रति भय व्याप्त है। इस भय को दूर करने पर आम व्यक्ति एवं इनके समूह पुलिस के सहायक के रूप में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। सर्वप्रथम भय के संभावित कारणों की समझ प्रत्येक पुलिसकर्मी के लिए आवश्यक है। उसके बाद इन्हें दूर करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है।

लोगों के मन में इस भय का एक बड़ा कारण पुलिस की समाज में बनी छवि है। समाज में हर प्रकार के अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है तथा इस प्रकार की नकारात्मक खबरें समाचार-पत्रों, न्यूज चैनल्स आदि पर प्रमुखता से छाई रहती हैं। इस तरह की घटनाओं के होने, घटित घटनाओं में अपराधी की पहचान/पकड़ होकर उचित कार्रवाई न होने को सीधे पुलिस की कार्यक्षमता से जोड़कर देखा जाता है। इस समस्या का समाधान कार्य में सक्षम, जवाबदेह, त्वरित परिणाम देने वाली पुलिस फोर्स द्वारा ही हो सकता है। पूरी ईमानदारी के साथ तथ्यों की जांच हो। किसी भी स्तर का अधिकारी बिना किसी ऊपरी दबाव या व्यक्तिगत लालच के प्रभावित व्यक्ति की समस्या को सुलझाने पर ध्यान दे।

कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु पुलिस में रिक्त पदों पर भर्ती होने पर कार्य का भार भी कम होगा। प्रत्येक पुलिस थाने में पर्याप्त मानव संसाधन होने पर वह थाना उस क्षेत्र पर एक पैनी नजर बनाए रख सकता है, जिससे कि वहां की समस्याओं पर नियंत्रण, उनका समाधान संभव हो सके। पुलिस को दी जा रही मुलभूत सुविधाओं, पुलिस थानों के हालात, व्यवस्था में भी सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

पुलिस की छवि खराब होने के अन्य कारणों में कुछ पुलिस वालों द्वारा रिश्वत लेने की प्रवृत्ति प्रभावित व्यक्ति व उसके परिजनों के प्रति दुर्व्यवहार, शोषण, बार-बार पुलिस थानों के चक्कर लगवाना, उन्हें अनावश्यक परेशान, जांच में पक्षपातपूर्ण रवैया आदि प्रमुख हैं। मामलों को सुलझाने में जाति, धर्म, सामाजिक स्थिति या अन्य किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसके निवारण हेतु पुलिस प्रशिक्षण में नैतिक आचरण, नैतिक मूल्यों, सहानुभूति, परानुभूति, जनता के साथ उचित व्यवहार करने आदि पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों का वेतन उनके कार्य में शामिल जोखिम, उनकी कठिन दिनचर्या व कार्य की प्रकृति को देखकर निर्धारित होना चाहिए। आज भी हमारे देश में पुलिस विभाग के वेतनमान पर्याप्त नहीं हैं। कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि गरीब, मध्यवर्गीय परिवारों से हैं, जिनके परिवार की माली हालत अत्यधिक खराब है। इतनी कठिन दिनचर्या के बाद भी उनकी, परिजनों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। ये पुलिसकर्मी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसी चिंताजनक पारिवारिक सामाजिक स्थिति उन्हें रिश्वत लेने की ओर प्रवृत्त कर सकती है। कुछ पुलिस अधिकारी आर्थिक रूप से संपन्न होते हुए भी रिश्वतखोरी, साठगांठ के मामले में पकड़े गए हैं। इस हेतु कड़ी विभागीय व न्यायिक कार्रवाई करके ऐसे उदाहरण जनता के सामने प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिससे पुलिस की छवि में सुधार होगा। साथ ही अन्य पुलिसकर्मी ऐसे मामलों में लिप्त होने से बचेंगे।

मानवीय प्रवृत्ति नकारात्मक घटनाओं को अधिक याद रखने की होती है। कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा रिश्वतखोरी की घटनाएं होने, उनको मीडिया में देखे जाने पर जनता सभी पुलिसकर्मियों के लिए सामान्यीकरण करते हुए पूरी पुलिसफोर्स को ही बेईमान, रिश्वतखोर मान लेती है। इससे भी पुलिस की छवि बिगाड़ती है। इसीलिए ऐसे मामलों में कड़े त्वरित कदम उठाने आवश्यक हैं।

पुलिस की बिगड़ती छवि के परिणामस्वरूप कोई भी व्यक्ति पुलिस के संपर्क में आना ही नहीं चाहता है। कहा जाता है कि "पुलिस वाले की न दोस्ती भली है, न दुश्मनी"। समाज में व्याप्त ऐसी गलत धारणाओं का सीधा संबंध पुलिस की छवि से है। सभी पुलिसकर्मी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। बच्चों से यह कहना कि 'चुप हो जा नहीं तो पुलिस आ जाएगी' जाने-अनजाने शुरू से ही पुलिस के प्रति बच्चों में भय पैदा करता है। कई बार आमजन, पब्लिक के कुछ लोग जो कि किसी दुर्घटना/घटनास्थल पर मौजूद होते हैं, वे पीड़ित की मदद करते हैं, पुलिस तक प्रारंभिक सूचना पहुंचाते हैं, या उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं। ये वे व्यक्ति हैं जो लीक से हटकर इतनी भीड़ में से पहल करते हैं और पीड़ित की मदद करने का प्रयास करते हैं। यदि इन्हें ही कानूनी पचड़ों, औपचारिकताओं में घसीट लिया जाएगा तो इनकी मदद करने की प्रेरणा भी खत्म हो जाएगी। ये व्यक्ति अगली बार ऐसी स्थिति में होने पर भी पीड़ित की मदद नहीं करेंगे। साथ ही अन्य को भी यही संदेश देंगे कि पुलिस के पचड़े में कभी न पड़ें। यदि ऐसे व्यक्तियों को कम-से-कम औपचारिकताओं, प्रक्रियाओं में उलझाया जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इन मदद करने वाले व्यक्तियों के अपने संसाधनों का खर्च न हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से गवाही देने हेतु आवश्यक यात्राओं को कम किया जा सकता है। इस हेतु योजना बनाकर पुलिस को सुविधाएं, तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। गवाही देने वाले व्यक्ति, मदद करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। उनकी पहचान को गुप्त रखा जाए जिससे कि गवाह को या उसके परिवार को क्षति पहुंचने संबंधी डर को कम किया जा सके।

बीट स्तर पर एक सामुदायिक पुलिसिंग एक्शन काउन्सिल बने जिसमें स्थानीय व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, पार्षद, पंच, एनजीओ समूहों, अन्य इच्छित व्यक्तियों को भागीदारी देकर पुलिस के साथ जोड़ा जाए। सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से समाज के लोगों को पुलिस के साथ जोड़कर पुलिस-पब्लिक संवाद स्थापित होना महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक तौर पर आपसी संवाद के रूप में शुरू होकर यह उस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में भूमिका, महत्वपूर्ण सूचनाओं के एकत्रण, समस्याओं पर नजर बनाए रखने तक भी जा सकता है। स्थानीय समुदाय से जुड़े मामलों में आपसी समझाईश में भी ये सहायता कर सकते हैं।

मनोविज्ञान में डर या फोबिया को कम करने की एक तकनीक है जिसे 'सिस्टेमैटिक डिसेंसिटाइजेशन' कहा जाता है। इसमें व्यक्ति जिससे डरता है उसे ही क्रमिक रूप से उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है। डरने वाले उद्दीपक के बारे में बात करके, उसके चित्र दिखाकर फिर पास लाकर डर को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर से या ऊंचाई से डरता है तो चित्र दिखाने से लेकर वास्तविक उद्दीपक को स्पर्श करवाने के द्वारा डर को कम किया जाता है। इसी प्रकार यदि जनता पुलिस से डरती है तो धीरे धीरे जनता के साथ अंतःक्रिया को बढ़ाकर डर को कम किया जा सकता है। अतः सुझाव है कि पुलिसकर्मी स्कूल-कॉलेज तथा मोहल्लों में जाकर नियमित रूप से जनता से चर्चा करें तथा जनता का डर घटे तथा विश्वास बढ़े। अभी स्थिति यह है कि पुलिसकर्मी किसी अपराध के घटित होने पर ही छान-बीन करने हेतु समुदाय के बीच आते हैं। पुलिस को चाहिए कि वह शांतिकाल में भी जनता से नियमित रूप से मिलती रहे।

पुलिस द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत

आमजन को यह बताना चाहिए कि वह दुर्घटना के समय पीड़ित की मदद किस प्रकार करें, पुलिस को सूचना देने, उन्हें अस्पताल ले जाने, त्वरित मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाने हेतु क्या करे। सर्वेंट वेरिफिकेशन, महिला हेल्पलाइन तथा मानव तस्करी आदि के बारे में जानकारी दे। संवाद हेतु समय-समय पर पुलिस क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों, आमजन हेतु ऐसे कार्यक्रम आयोजित करे जिसमें किडनेपिंग, मानव तस्करी, छेड़छाड़ आदि के प्रति सचेत रहने, इनमें अपनी सुरक्षा करने आदि के बारे में जानकारी, प्रशिक्षण दे। ऐसे मामलों में फंस जाने पर पुलिस को सूचना किस प्रकार, कहां दी जा सकती है, इसके बारे में भी जागरूकता पैदा की जानी आवश्यक है। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आमजन में आत्मविश्वास भी पैदा करते हैं, जिससे वे पुलिस के साथ जुड़ने, गवाही देने, पीड़ित की मदद करने हेतु प्रवृत्त होते हैं। ऐसे कार्यक्रम आमजन में व्याप्त पुलिस से जुड़ी भ्रांतियां भी दूर करते हैं।

फिल्मों/मीडिया में कई बार पुलिस को नकारात्मक छवि में ही दिखाया जाता है। पुलिस की सफलता की कहानियां तथा सकारात्मक बातों को भी मीडिया में प्रमुखता से स्थान मिलना चाहिए। सिक्के के दोनों पहलुओं को यथोचित स्थान मिलना चाहिए।

यदि पुलिस को भय पैदा करना ही है तो यह भय अपराधियों में पैदा करना है, न कि आमजन में। आमजन से पुलिसकर्मी अपने व्यवहार में सौहार्द्रता लाएंगे तो पुलिस की छवि धीरे-धीरे ही सही, पर बदलेगी जरूर। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य "आमजन में विश्वास : अपराधियों में भय" तथा दिल्ली पुलिस की पंचलाइन "दिल्ली पुलिस : आपके साथ हमेशा"उसी स्थिति में साकार होंगी जबकि पुलिस की परंपरागत डरावनी छवि पूर्णतया बदली जाए।

संदर्भ

1. कार्ल अल्ब्रेट 'दी (ओनली) फाइव बेसिक फीयर्स वी ऑल लिव बाई' साइकोलोजीटुडे.कॉम/ब्लॉग/ब्रेनस्नेक्स, 22 मार्च, 2012

2. तपन चक्रवर्ती 'प्रोसपेक्ट्स आफ कम्युनिटी पुलिसिंग : एन इंडियन अप्रोच, इंडियन जनरल आफ पॉलिटिकल साइंस, अंक 64/नं. 3-4, जुलाई-दिसंबर 2003, पेज 251-262

3. एस. के. कटारिया 'पुलिस जनता अंतक्रिया' पुलिस विज्ञान, जुलाई-सितंबर 2009

4. 'कम्युनिटी पुलिस एक्सपीरिमेंट्स इन इंडिया' कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव वेबसाइट

अपराधों को नियंत्रित करने में पुलिस की रणनीति

एस.पी. सिंह
सहायक निदेशक (से.नि.)
महबुल्ला गंज, कटघर, निकट डिप्टी साहब का अस्पताल, मुरादाबाद (उ.प्र.)

कानून और व्यवस्था बनाए रखना, लोगों को शांति और सुरक्षा प्रदान करना और अपराधों की रोकथाम करना, पुलिस का मुख्य कार्य है और दायित्व भी है। पुलिस की सफलता इन्हीं बातों से आंकी जाती है कि जितना अपराध होने से रोक लेगी और घटित अपराधों में सही अभियुक्तों का पता लगाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। सफलता पर जनता अभिनंदन समारोह करेगी, प्रशंसा करेगी और असफलता पर आलोचना करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी और पुलिस अधिकारी को हटाने की मांग करेगी।

आज समाज के बदलते हुए स्वरूप और लोगों की बढ़ती हुई अपेक्षाएं पब्लिक आर्डर पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने के लिए पुलिस पर बोझ बढ़ता जा रहा है। लोग आज के माहौल में पुलिस से तुरंत और सही अपराधियों को चिह्नित कर पकड़ने (बेटर डिटेक्शन), ठीक और अच्छी विवेचना करने (बेटर इनवेस्टीगेशन), अपराधों को रोकने (प्रिवेंशन आफ क्राइम) और अपराध मुक्त (क्राइम फ्री एनवायरमेंट) वातावरण पैदा करने की मांग करते हैं। परंतु पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ तुरंत, ठोस एवं प्रभावकारी कदम न उठाने की वजह से बदमाश गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। पब्लिक को परेशान होना पड़ रहा है। लोगों का पुलिस से विश्वास उठ रहा है। हत्या की घटनाओं में भी दूसरी एजेंसीज से जांच कराने की मांग उठने लगी है। लोगों में आमतौर पर यह सुनने को मिलता है कि सियासी नजदीकी बढ़ाने की चाहत और पैसा कमाने की ललक से पुलिस अपना दायित्व भूलती जा रही है। जब चाहा किसी को पकड़ लिया और जब चाहा दबाव में छोड़ दिया। पुलिस की इसी कार्यप्रणाली ने लोगों के अंदर गुस्सा भर दिया है। पब्लिक खुद कानून अपने हाथ में लेने लगी है, तो कहीं बदमाश, कहीं भीड़ पुलिस पर हमलावर हो रहे हैं। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को यह समझना जरूरी है कि अपराधी कायर नहीं होता। जवाबी हमला न करने वाले कायर होते हैं। उत्तर प्रदेश की पिछले एक साल में मुख्य घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस रणनीति और हिम्मत दोनों ही मोर्चों पर पिछड़ रही है।

1. 5 जून, 2013 को सहारनपुर में सिपाही राहुल टाका को बदमाशों ने उसके सी. ओ. के सामने ही गोली से उड़ा दिया। सी. ओ. वहां से भाग खड़े हुए थे जिन्हें बाद में सस्पेंड (निलंबित) कर दिया गया।

2. 14 जून, 2013 को इलाहाबाद के बारा थाने के एस. ओ. राजेंद्र प्रसाद भी बदमाशों का पीछा करते हुए गोली का शिकार हुए।

3. 20 जुलाई, 2013 को बडौत में चौकी के अंदर सिपाही विक्रम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

4. 20 जुलाई, 2013 को रामपुर में बदमाशों ने अपनी साथी को छुडाने के लिए 2 सिपाहियों पर हमला किया। एक की राइफल छीन ली और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए, बाद में पुलिस ने राइफल बरामद कर ली।

5. सन् 2013 के शुरू में प्रतापगढ़ के सी.ओ. ज्याउल हक की हत्या का मामला तो देश की सुर्खियों में रहा।

6. 10 मई, 2014 को मेरठ में पुलिस की मौजूदगी में गोलीवारी और पत्थरवारी हुई जिसमें 1 व्यक्ति मरा और आधा दर्जन लोग घायल हुए।

7. 26 जुलाई, 2014 को सहारनपुर में सिक्ख और मुसलिमों के बीच संघर्ष में 3 की मौत हो गई और 21 लोग घायल हुए। 100 से अधिक दुकानें और वाहनों को फूंक दिया।

8. 3 साल पहले (सन् 2010) डींगरपुर, मुरादाबाद में बवाल हुआ। मौके पर भीड़ को समझाने डीआईजी/एस.एस.पी. को लोगों ने घेरकर पीटा और मरणासन कर दिया। एक दरोगा और एक सिपाही भी घायल हुआ। डी.एम. साहब वहां से भाग खड़े हुए। जो प्रदेश में आई.ए.एस. बनाम आई.पी.एस. इश्यू बना। आज भी यह विषय लोगों और पुलिसवालों के बीच चर्चा में रहता है।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है कि जब पुलिस का यह हाल है तो आम पब्लिक कितनी सुरक्षित है। आखिर क्यों बढ़ रहा है बदमाशों का दुस्साहस और खत्म हो रहा है पब्लिक का भरोसा। पुलिस महकमे की कमियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मगर इसके लिए अनुशासन और जिम्मेदारी का अहसास कराना जरूरी है जिससे कि वह मूल भावना से न भटके। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे मानवाधिकार आयोग का डंडा है। आयोग के डर से बदमाशों में पुलिस की दहशत खत्म हो गई है। पुलिस में आम धारणा बन गई है कि एनकाउंटर यानी बवाल। ऐसे में पुलिस वाले मुठभेड़ की स्थिति में भी बचाव की कोशिश कर रहे हैं और मारे जा रहे हैं। एनकाउंटर के बाद मजिस्ट्रेटी जांच, मानवाधिकार आयोग की जांच, सी.बी.सी., आई.डी. की जांच निश्चित है। ज्यादा जोर पड़ा तो सी.वी.आई. जांच भी हो सकती है। और सभी जांचों की सुई मुठभेड़ में शामिल पुलिसवालों पर घूमती है। दूसरा राजनैतिक दबाव है जिसकी वजह से पुलिस अपना कार्य अपराध शास्त्र के नियमों को छोड़कर राजनैतिक शास्त्र के नियमों/आदेशों के आधार पर कार्य कर रही है, इससे पुलिस की न केवल छवि खराब हो रही है, बल्कि इसका सीधा असर कानून और व्यवस्था पर पड़ रहा है।

पुलिस की रणनीति

1. अपराधों को रोकने या नियंत्रण करने के लिए "अपराध नियंत्रण योजना" (क्राइम प्रिवेंशन प्लान) बनाएं। इस योजना के तहत एक एक्शन प्लान बनाएं जिसमें थाना वाइज लक्ष्य निर्धारित करे और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय-सीमा निर्धारित करे।

2. अपराध की स्थिति का सही आकलन शहर या जिला स्तर पर करने के लिए छह माह तक इसे मानीटर करें।

3. अगर लक्ष्यों की प्राप्ति किन्हीं कारणों वश नहीं हो पाती है तो उस सीमा को आगे बढ़ा दे जिससे कि थाना प्रभारी तथा अन्य कर्मचारी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करें।

4. डी.एम. और एस.पी. एक टीम की भावना के रूप में काम करें इससे अधीनस्थ कर्मचारियों को अच्छा संदेश जाएगा और अपराधों में कमी आएगी। डी.एम. और एस.पी. अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पास जो मेन पावर या साधन है उनका ठीक प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। वह अगर सिक्स पी फार्मूले का पालन करे तो काफी हद तक अपराधों पर नियंत्रण में सफलता मिल सकती है।

(क) पहला पी (पेरेंट्स एंड प्रिंसिपल)

1. माता-पिता तथा शिक्षक बच्चों को बेसिक मूल्यों जिनमें नैतिक, चारित्रिक, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राष्ट्रीय प्रेम आदि शामिल हैं उनके बारे में बताए जिससे कि वह अपराध करने से डरें और अपराधिक गतिविधियों में लिप्त न हो। शिक्षक और शिक्षिकाएं अपराध रोकने की दिशा में बच्चों को शिक्षित और जागरूक करके बहुमूल्य योगदान अदा कर सकते हैं।

2. सीनियर सिटीजन (वरिष्ठ नागरिकों) का भी सहयोग ले, क्योंकि वह अनुभवी माता-पिता (पेरेंट्स) है उन्हें अपराध करने वालों, उन्हें संरक्षण देने वालों,

हथियार और गोला बारूद बनाने वालों और सप्लाई करने वालों, जुआ सट्टा कराने वालों, मादक पदार्थ और शराब बेचने वालों, सांप्रदायिक हिंसा कराने वालों, शरारती तत्वों तथा लड़की छेड़ने वालों तथा अन्य आपराधिक किस्म के लोगों के बारे में काफी जानकारी होती है। वरिष्ठ नागरिक पुलिस को अपराधियों के बारे में सूचना देने में भी मदद कर सकते हैं और अपराधियों को पकड़वा भी सकते हैं।

3. डा. ऐडिट शैंफर जो एक आस्ट्रीयन सामाजिक साइनटिस्ट और जेंडर एक्टीविस्ट हैं, उन्होंने यौन कुंठा पर एक रिसर्च की है। उन्होंने एक संगठन "सिस्टर्स अगेंस्ट वाइलेंट एक्सट्रिमिज्म" चलाया है। उन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया है कि मां की हैसियत परिवार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और वह अपने बच्चे की हर गतिविधि को सबसे पहले जानती है कि बच्चे को डर क्यों है, गुस्सा क्यों है, निराशा क्यों है। उसका उठना, बैठना, घूमना-फिरना, पढ़ना यानी दोस्ती किसके साथ हैं उसे यह भी मालूम है कि किसके प्रभाव में आकर उसने आपराधिक गतिविधि में हिस्सा लिया है। वह चाहे तो बच्चों को आपराधिक गतिविधियों से रोक सकती है क्योंकि उसके पास नैतिक शक्ति है। परिवार में प्रतिष्ठा है, हर बच्चा अपनी मां की बात मानता है। इसलिए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का यह दायित्व है कि वह आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए खास तौर यौन हिंसा, कट्टरता, उग्रवाद, आतंकवाद पर काबू पाने के लिए माता-पिता (पेरेंट्स एंड प्रिंसिपल) का सहयोग ले।

4. केरल में स्टूडेंट पुलिस कैडिट की यूनिट बनाई गई है। उसकी सफलता को देखकर आंध्र प्रदेश व राजस्थान में यह प्रस्तावित है। इसमें ट्रेंड हाईस्कूल स्टूडेंट खाकी यूनीफोर्म में स्वेच्छा से पुलिस की कानून व्यवस्था में, स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने में, ट्रेफिक रेगुलेट करने में और छोटे-छोटे क्राइम रोकने में मदद करते हैं। इसमें शिक्षिकों को कम्युनिटि पोलिसिंग के तहत जोड़ा गया है। यह व्यवस्था हर जगह अपनाई जा सकती है।

5. सी.ओ. और थानाध्यक्ष स्कूलों में जाए और शांति व्यवस्था के लिए शिक्षिकों/प्रिंसिपलों की भागेदारी सुनिश्चित करें। उन्हें कानून की जानकारी दें और मनचलों से बचने के उपाय बताएं। छेड़खानी करने वालों की सूची बनाएं और उनके खिलाफ प्रभावकारी कदम उठाएं। स्कूल/ कालेजो में सादा कपड़ों में पुलिस तैनात करें।

(ख) दूसरा पी (पुलिस)

1. अपराध और अपराधियों के खिलाफ पहली और सबसे प्रभावशाली रक्षापंक्ति पुलिस है। यानी अपराधियों के खिलाफ फ्रंट लाइन फोर्स है। यह न्यायिक प्रणाली का प्रवेश द्वार है। इसका काम अपराधियों में कानून का भय पैदा करना है जिससे कि वह अपराध न कर सकें। यदि आमतौर पर पुलिस चुस्त, दुरुस्त और चौकन्नी है तो वह अपराधियों को अपराध करने से रोक सकती है। आपराधिक घटना घटित हो जाने के बाद उन्हें पकड़ सकती है और उन्हें सजा दिलवा सकती है। (अ) यह काम तभी संभव है जब थाना स्तर मजबूत हो। वहां पर पूरा स्टाफ हो। थाने पर पूरा साजो-सामान उपलब्ध हो जिससे कि वह अपना काम प्रभावी तरीके से कर सके। (आ) प्रायः देखा गया है कि थाना स्टाफ कानून और व्यवस्था में लगा रहता है। वह सूचना एकत्र करने जैसे काम को महत्व ही नहीं देता। इंटेलिजेंस जैसे काम के लिए हमें बीट सिस्टम को मजबूत और विकसित करने की जरूरत है जो कि पूर्व में हमारी शक्ति होती थी, क्योंकि अच्छे पुलिसकर्मी अपने एरिया के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और अपने अधिकारियों को अवगत कराते हैं। खासतौर से सांप्रदायिक तनाव के बारे में त्योहारो पर होनेवाले सांप्रदायिक उपद्रव के संबंध में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति ना होने के कारण जन आंदोलन के संदर्भ में, छात्रों और श्रमिकों के आंदोलन के बारे में चुनाव के समय संभावित झगड़े के बारे में

राजनैतिक आंदोलन के संबंध में वी.आई.पी. विजिट पर उपद्रव के संबंध में आदि। (इ) यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि छोटे कर्मचारियों द्वारा लाई गई या बताई गई सूचनाओं पर ध्यान दें। सूचना लाने या देने में पद महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसलिए हर सूचना को विकसित करे, वेरिफाई करे और सही या उपयुक्त हो तो आवश्यक कार्रवाई करे।

2. पुलिस थाने में आने वाले पीड़ितों के साथ अच्छा व्यवहार करे। आधी समस्याएं तो पुलिस के व्यवहार से दूर हो जाती हैं। बखेड़ा तब होता है जब पुलिसकर्मी अपनी सीमाएं लांघते हैं।

3. पुलिस लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह सुने और सुलझाने का प्रयास करे। यानी शिकायतें सिर्फ सुनी न जाए बल्कि उन पर कार्रवाई हो और गुणवत्ता के आधार पर निस्तारित हो।

4. आजकल पुलिस आम जनता से दूर होती जा रही है और बिना जनता के सहयोग के पुलिस सफल नहीं हो सकती। इसके लिए व्यापार मंडल, सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा जनता के हर सेक्शन का सहयोग लिया जाए। हर क्षेत्र में पुलिस मित्र (फ्रेंड्स आफ पुलिस) बनाए। पुलिस शब्द को समझे (पी से पुलाइट, ओ से ओविडिएंट, एल से लीलियेंट, आई से इंटोग्रिटी, सी से कोंफीडेंट, ई से एफिशिएंट) और उसी को ध्यान में रखकर कार्य करे। इससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा होगा और अपराध को रोकने में सहयोग भी मिलेगा।

5. केसों की विवेचना सही ढंग से करे। किसी किस्म की कोई कमी न छोड़े जिससे अपराधी सजा पा सकें, केस डील करने में ईमानदारी, सच्चाई और निष्पक्षता से समझौता न करे। विवेचना के दौरान साइनटिफिक एड्स का सहारा ले। इससे केस को मजबूती मिलेगी। (क) मारकंडे कारजू जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और फिलहाल प्रेस कोंसिल आफ इंडिया के चेयरमेन हैं उनका मानना है कि पुलिस फोर्स के पास सबूत इकट्ठा करने के ज्ञान की बहुत कमी है। आपराधिक जांच एक विज्ञान है। किंतु दुर्भाग्य से हमारे देश में पुलिस न तो वैज्ञानिक जांच में प्रशिक्षित होती है और न ही उसके पास इसके लिए उपयुक्त उपकरण है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी पुलिस अधिक तत्परता और कुशलता से आपराधिक मामलों को सुलझाती है। (1) मौके से पुलिस खून, फिंगर प्रिंट, जले हुए अवशेष और यहां तक बाल के नमूने तक लेती है। (2) फिंगर प्रिंट को कम्प्युटर में डाला जाता है जो नेशनल कम्प्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। (3) बाल व खून के नमूनों को डी.एन.ए. जांच के लिए भेजा जाता है। (4) फाइबर या गोला बारूद की जांच फोरेनसिक लैब में होती है और तब जाकर पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है किंतु भारतीय पुलिस इतनी कुशल नहीं है। फिर भी उसे यह तो दिखाना ही पड़ता है कि उसने मामला सुलझा लिया है, अन्यथा जांच अधिकारी के निलंबन का खतरा बना रहता है।

6. प्रभावशाली लोगों की टेलिफोन नंबरों की डायरेक्टरी बनाए जो पुलिस को अपराध रोकने में और शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर सकें। या यह कहें कि समाज के संभ्रांत लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाय।

7. हर गांव और मोहल्ले को कम्युनीकेशन प्लान से जोड़ा जाए जिसमें ग्राम प्रधान से लेकर ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत सदस्य (बी.डी.सी. सदस्य) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चिकित्सक, बिजली का फील्ड स्टाफ, पटवारी, (लेखपाल) चौकीदार विकास अधिकारी को नेटवर्क से जोड़ा जाए।

8. जिन स्थानों पर पहले विवाद हुआ है उनको चिह्नित कर लिया जाए।

9. उन फैक्ट्रीज को जरूर चिह्नित कर लिया जाए जहां पर समय-समय पर श्रमिक आंदोलन होते रहे हैं, कहीं उनमें हिंसक नक्सलियों का प्रवेश तो नहीं हो गया है, क्योंकि ट्रेड यूनियनों में घूसपैठ कर श्रमिक अशांति

पैदा करना यह उनकी रणनीति का हिस्सा है।

10. मानवाधिकार के उल्लंघन से पहले कैसे बचें। इसके लिए अपराधी पकड़ने से पहले सबूत जुटा लें।

11. सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर अपने अधिकारिक एकाउंट बनाकर लोगों से सीधा संवाद शुरू किया जा सकता है, इससे मुखविरों की कमी दूर होगी। लोगों से सीधा संपर्क होने से भ्रांति दूर होगी और आफिस में फरियाद लेकर आए लोगों की संख्या भी कम होगी तथा पुलिस को अपनी छवि सुधारने में मदद मिलेगी।

12. वह अपराध जिनका समाज पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है उनको पुलिस को समझने की जरूरत है और उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे—यौन हिंसा से संबंधित मामले। या कहीं पर लूट की घटना हुई है, बैंक में डकैती पड़ी है, बैंक सरकार की अथोरिटी का सिंवल है, अगर पुलिसकर्मी इसे रोकने या अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रहते हैं तो इस नाकामी का जनता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पुलिस को इससे पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। व्यापारी एवं बैंक अधिकारियों के साथ बैठकर सुरक्षा उपकरणों की जानकारी ली जाए। इससे अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी।

13. पुलिस को स्कूटर, मोटरसाईकिल (टू व्हीलर) और कारों (फोर व्हीलर) पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इनका प्रयोग जघन्य अपराध करने में हो रहा है। जैसे आतंकवाद, लूट, कत्ल, डकैती आदि। इसके लिए कवाड़ी बाजार और वर्कशापों में संपर्क बनाने की आवश्यकता है।

14. गंभीर अपराधों को रोकने के लिए खतरों का सही आकलन करना जरूरी है और उसी को ध्यान में रखकर इस खतरे से निपटने के लिए अपनी प्राथमिकता निर्धारित करने की आवश्यकता है। खतरे का सही आंकलन न होने से न केवल पुलिस की तैयारियां व योजना प्रभावित होती है बल्कि आपराधिक घटना को रोकने में भी असफलता मिलती है। आजकल अपराध कितना गंभीर है, इसका आकलन, हिंसा कितनी और किस हद तक हुई है। इससे आंका जाता है इससे आम जनता की मनोवृत्ति पर कितना असर हुआ है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर विचार नहीं किया जाता है, अगर इसका मूल्यांकन कर लिया जाए तो स्थिति का सही अंदाजा हो सकता है और अपराध से निपटा जा सकता है। (क) अगर कहीं आंदोलन चल रहा है तो उस खतरे का आकलन करने के लिए जरूरी है कि वर्तमान आंदोलन भविष्य में किस हद तक प्रशासन के लिए सिर दर्द या चुनौती बन सकता है। (ख) इसको कहां से, किससे और कैसे समर्थन मिल रहा है। यानी सपोर्ट बेस क्या है। (ग) इसमें हिंसक तत्वों की संख्या कितनी है। (घ) इसके प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध किससे हैं या नहीं हैं। (ड.) इस आंदोलन का असली मकसद क्या है।

15. अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखे तो पुलिस कभी भी समाज के लोगों के नजदीक नहीं रही। इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस ने आम जनता से दूरी बना ली है या आम जनता से कट गई है। पुलिस आज भी सन् 1861 के ब्रिटिश शासन के कानून के तहत कार्य करती है। उस समय पुलिस ब्रिटिश शासकों के हित में काम करती थी और आज यह रूलिंग पार्टी के हाथों में खेलती है। आज भी यह ऐतिहासिक कमी है। उस चीज को हम लगातार जारी रखे हुए हैं। पुलिस को आज अपना कार्य कानून के तहत, कानून को सर्वोत्तम समझकर, ईमानदारी से कार्य करने की जरूरत है। (क) पुलिस अब पहले जैसी नहीं रहती है। चौतरफा दबाव झेल रही है। संसाधन अवश्य बढ़े हैं, तकनीकी में भी इजाफा हुआ है। लेकिन मेन पावर के हिसाब से काम ज्यादा है। पब्लिक पर सख्ती करना भी ठीक नहीं है। इससे भी आक्रोश बढ़ता है। बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से ही पब्लिक का विश्वास बढ़ेगा।

16. चोरों के पुराने गिरोह सक्रिय हो रहे हैं। घटना करने का ट्रेंड बदलता जा रहा है। अपराधियों के बदले

हुए ट्रेंड को समझना जरूरी है, क्योंकि अपराध कारित करने को लेकर हाइटेक व समझ से मजबूत है। सुबह का समय गश्ती पुलिस के आराम का है। ऐसे में अपराधियों ने यही समय चुना है जो पुलिस के लिये चुनौती है। कई जगह सुबह टहलने गए और चोर घर को इतनी देर में लूटकर फरार हो गए। चेन स्नेचिंग या रिक्शे में बैठकर जो सवारी बस या ट्रेन पकड़ने जाती है उनको लूटना आसान है।

17. किसी संदिग्ध के पास आने पर यह संदेह रखे कि वह हमलावर हो सकता है।

18. एक पुलिसकर्मी संदिग्ध की तलाशी ले, दूसरा उसे कवर करके रखे।

19. भीड़ में संदिग्ध की पहचान करने की कला विकसित करे।

20. दविश में ट्रेल पार्टी मुख्य पार्टी को कवर देती रहे। झुंड की शक्ल में न निकले।

21. कार में मुसाफिर संदिग्ध हो तो दूर से रोके। एक एक करके सवारों को उतारे और तलाशी ले।

22. पुलिस द्वारा प्रोपर गश्त की जरूरत है। आजकल गश्त में पुलिस अधिकारी व कर्मचारी एरिया कवर कर रहे हैं। वे लोगों को कवर नहीं कर रहे हैं। जीप से या मोटरसाइकिल से इधर-से-उधर निकल जाते है। अपराधियों में इसलिए भय भी नही है। अगर गश्त प्रोप्रर है, तो लावारिस खड़ी साइकिल, मोटरसाइकिल, कार भी दिखाई देगी। किनारे रखा बैग भी दिखाई देगा। पुलिस अचानक देखकर पूछताछ कर सकती है। कोई संदिग्ध अनजान व्यक्ति, मोहल्ले में रह रहा है या अचानक दोस्ती गांठने की कोशिश कर रहा है। बिना आई.डी. दिए सिम कार्ड प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है या खतरनाक केमिकल खरीद रहा है या कोई बोरा लेकर बस या ट्रेन में रखने के लिए जा रहा है तो पूछताछ की जा सकती है। यह प्रोपर गश्त से ही संभव है।

23. ट्रेनिंग को पूरा महत्व दे और समय-समय पर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण के लिए भेजते रहें। असलहों का अभ्यास और चैक करते रहें। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सर्विस के दौरान रिफरेशर कोर्सेस व अन्य ट्रेनिंग सेशन अनिवार्य कर दिए जाए।

24. पुलिस अधिकारी ट्रेनिंग सेंटर पर पोस्टिंग को दंड समझते हैं और वे कर्त्तव्यों को पूरा करने में रुचि नहीं लेते हैं। पुलिस अधिकारियों की तरक्की के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स पर नियुक्ति अनिवार्य कर दी जाए।

25. पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर फील्ड में काम का बोझ बहुत ज्यादा है जो विशेष परिस्थितियों में पर्सनल अनरेस्ट की वजह से साफ दिखाई भी देता है। इसके लिए वर्किंग एनवायरमेंट को अच्छा और खुबसूरत बनाने की जरूरत है।

26. अगर घटना घटित हो गई है तो यह देखने की जरूरत है कि वारदात की सूचना पर कितनी देर बाद टीमें निकली हैं। (ख) आला अफसरों को सूचना देने में कितना वक्त लगा। (ग) पुलिस कंट्रोल रूम का क्या रोल रहा। (घ) मुकदमा लिखाने वाले थाना जाने पर उनके साथ पुलिस का कैसा बरताव था। (ड़) जी.डी. में आमद और रवानगी भी देखी जाए। इससे लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

27. यू.पी. की नेपाल से 550 कि.मी. लंबी सीमा लगती है। वहां से आतंकवादी, नक्सलवादी, जाली मुद्रा के तश्कर, मादक पदार्थों के तश्कर, हथियार तथा विस्फोट पदार्थ प्रदेश में आते रहते हैं। कहरवादियों ने तो नेपाल में हिंदी फिल्में दिखाने तथा भारत की गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी को अंदर नहीं जाने दिया। बार्डर से लगे जिलों में जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती आदि से ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है।

28. अफवाह और आपत्तिजनक एस.एम.एस. भेजने वालों से सख्ती से निपटा जाए।

29. घरों में रहने वाले नए किराएदारों व नौकरों का सत्यापन करा लिया जाए।

30. शरारती तत्वों पर नजर रखी जाए। यानी गुंडे शहर से बाहर हों, अपराधी जेल में। वारदातों के स्थल चिह्नित करके वहां सादा वस्त्रों में पुलिस तैनात की जाए।

31. सभी संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर लिया जाए और वहां पिकेटिंग की व्यवस्था की जाए त्योहारों पर पहले से तैयारी कर ली जाए।

32. पुलिस लोकल न्यूज पेपर्स का गहराई से अध्ययन करे। उससे कभी-कभी अपराधियों के बारे में अच्छी सूचना मिलती है। पुलिस का काम है उसे वैरिफाई करके तथा स्थिति का मूल्यांकन करके कार्रवाई करना।

33. पुलिस अपराधियों के समर्थकों, मददगारों, उनको सुरक्षा और संरक्षता देने वालों, उनको उकसाने वालो, धन देनेवालों, मोटर वाहन देनेवालों, हथियार देनेवालों का पता लगाए। उनका पूरा रिकार्ड तैयार करे और फिर कार्रवाई करे। वांछित अपराधियों के खिलाफ टीम बनाकर पकड़ने का प्रयास करे।

34. संगठित अपराधियों, सफेदपोश अपराधियों, माफियाओ, आतकंवादियों, नक्सलियों के टेलिफोन नंबर को टेप कर उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने का प्रयास किया जाए।

35. पुलिस की छवि और कुशलता बहुत कुछ कंट्रोल रूम पर निर्भर करती है, क्योंकि सबसे पहले आपराधिक घटना की सूचना वहीं आती है। इसलिए कंट्रोल रूम में अच्छे व जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी पोस्ट किए जाएं। ताकि सूचना तुरंत अधिकारियों को संबंधित थानों को दी जा सके और बिना विलंब के कार्रवाई हो सके। कंट्रोल रूम में स्पेशल फोर्स रहे जो तुरंत सूचना मिलने पर मौके पर रवाना हो।

36. जनसंख्या वृद्धि भी अपराध में वृद्धि का कारण है, क्योंकि उसके हिसाब से पुलिस की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। (क) आबादी के बढ़ने से शहरों का, कस्बों का विस्तार हुआ है। वहां पर नई-नई कालोनिया विकसित हुई हैं, नई-नई फैक्ट्रियां बनी हैं। उन जगहों पर पुलिस की पहुंच बहुत कम है। ऐसी जगहों पर स्नेचिंग, चोरिया, लूट की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि खुली सड़क होने के नाते वहां से अपराधियों को अपराध करने के बाद निकलने में आसानी रहती है। (ख) ऐसी जगहो पर पुलिस की पहुंच कम होती है व वहां पर जुआ, सट्टा, शराब का अवैध धंधा खूब होता है। ऐसी जगहों पर मुखविरों के जरिए अपराध रोकने की जरूरत है। तथा चोरी, डकैती, लूट, वाहन चोरी के खिलाफ एक अभियान चलाने की जरूरत है।

37. देश में प्रतिदिन बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में शामिल तत्वों को पकड़कर कोर्ट तक पहुंचाए। साथ ही कोर्ट में सरकारी वकील के साथ लगातार तालमेल बनाकर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में प्रभावी पैरवी कराकर उसे सजा दिलाना भी सुनिश्चित करें।

38. पुराने मामलों को चिह्नित किया जाए। जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है उन मामलों की भी जानकारी हासिल कर आरोपी को सींखचों के पीछे पहुंचाने का प्रयास किया जाए।

39. अगर किसी संगठन ने अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने का निर्णय किया है या धमकी दी है पुलिस एवं खुफिया विभाग द्वारा यह देखने की जरूरत है कि अंदरखाने कुछ चल तो नहीं रहा है क्या योजना है और किस हद तक कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। यह भी देखने की जरूरत है कि आंदोलन का कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं है और वह किसी तरह के आंदोलन चलाने की तैयारी में तो नहीं है और उनकी स्थिति क्या है। सारी जानकारी एकत्र करके शासन एवं प्रशासन को अवगत कराया जाए।

40. पुलिस कहीं कोई ऐसा कदम न उठाए जो कानून और व्यवस्था का सवाल बन जाए।

41. आंदोलन के समय शांति भंग करनेवालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।

42. बैरियर लगाकर चेकिंग करे। मजिस्ट्रेट एवं

पुलिस अफसर स्वयं चेकिंग करें।

43. वीडियो कैमरे के साथ चेकिंग टीमें लगाई जाये।

44. रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों पर खास एहतियात बरती जाए।

45. कम्युनिटी पोलिसिंग से अपराध रोका जाए।

46. अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही कर हिस्ट्रीशीट खोले।

47. गवाहों को जरूरी सुरक्षा दे और अदालत में पेश कराए।

48. पुलिस को कानून और व्यवस्था, आपराधिक एवं आतंकवादी गतिविधियों का पूर्ण अनुमान लगाने के लिए साइबर पेट्रोलिंग शुरू करने की जरूरत है। इसमें कामयाबी सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ट्वीटर को मानीटर करने से मिल सकती है। इसके लिए पुलिस तथा स्पेशल ब्रांच के अनेक कर्मठ व्यक्तियों को नेटवर्किंग साइट पर अंडर कवर काम करने की आवश्यकता है। उनका काम सूचना एकत्र करना है। हर स्थिति पर नजर रखना खासतौर से ओफेंसिव कांटेक्ट आपराधिक झगड़ा करने से संबंधित विचार-लेख और क्या स्थिति बन सकती है। ऐसे प्रसार को रोकना है।

49. आजकल व्यापारियों के साथ घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। व्यापारी वर्ग अपनी तथा अपने संस्थानों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है, उत्तेजित है आंदोलित है। व्यापारियों के साथ घटित आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए (व्यापारी सुरक्षा दल) गठन किया जाए। इस दल को हाइटेक वाहन दिया जाए, जिसमें ओटोमेटिक लाइट कैमरे लगे हों। गाडी में एक एस.आई. फोर कास्टेबिल और एक ड्राइवर रहे तथा उनके पास एक आधुनिक हथियार भी रहे। इस दल का काम व्यापारियों की सुरक्षा करना, व्यापारिक प्रतिष्ठान और व्यापार बहुल इलाकों में राउंड दी क्लाफ गश्त करना तथा वारदात की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचना। कार्रवाई करना होगा।

50. कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा के मामले में अधिकारियों को वी.आई.पी. सिक्योरिटी और पब्लिक सिक्योरिटी में अंतर समझने की जरूरत है। नए संगठन बनाने में कोई हानि नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखे कि पुराने तथा एग्जिस्टिंग सिस्टम उतने ही कारगर है। नए सिस्टम में कास्टेबिल से जी.ओ. तक वेल ट्रेंड तथा पर्याप्त स्टाफ मुश्किल से मिलता है।

51. थोड़ी-सी ला एंड आर्डर की स्थिति होने पर केंद्रीय सुरक्षा बल को या फौज को बुलाना ठीक नहीं है। यह एक खतरनाक ट्रेंड है और इसका समाधान करने की जरूरत है।

(ग) तीसरा पी (प्रोसीक्यूशन)

1. अगर अपराधी को अपराध की सजा तुरंत मिल जाती है तो अपराध में कमी आएगी। यह पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट में पैरवी पर, गवाही तथा गवाहों की सुरक्षा पर काफी निर्भर करता है। अनुभव यह बताता है कि न्याय में देरी की वजह से समाज के हर क्षेत्र में अपराधीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। खासतौर से माओवादियों को, माफियाओं को, राजनैतिक नेताओं को, आतंकवादियों को कानून तोड़ने वाले, कानून के माननेवालों पर भारी पड़ रहे हैं।

2. हर जिले में मुकदमों का टारगेट रखा जाये जो केस बड़े क्रिमनल का है उसका निस्तारण जल्दी से गवाही कराकर किया जाए। गवाहों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए।

3. निर्णय के करीब आनेवाले मुकदमों को भी देखा जाए और उनकी पैरवी तेज करके अपराधियों को जल्द सजा दिलाई जाए।

4. जेल में बंद बंदियों को भी मुकदमे में मजबूती गवाही कराकर सजा दिलाने की कोशिश की जाए।

5. सप्ताह में एक दिन आपराधिक मुकदमों में अफसर स्तर पर पैरवी सुनिश्चित की जाए।

6. हो सके तो एस.पी./एस.एस.पी. को एक,

क्षेत्राधिकारी को 2 अपराधियों को चिह्नित करके इनसे जुड़े मुकदमों की पैरवी खुद करे।

7. अपराधी को अदालत में दंड मिलने पर प्रचार प्रसार किया जाए।

(घ) चौथा पी जेल (प्रिजन)

1. हर अपराधी कोर्ट द्वारा सजा पाने के बाद जेल में जाता है। इस सजा के पीछे मुख्य उद्देश्य अपराधी को आपराधिक कार्य का पश्चाताप का समय देकर सुधारना होता है तथा अपराधियों से समाज की सुरक्षा करना होता है।

2. थाना पुलिस को कौन-सा बंदी कब दाखिल हुआ, कब छूटा, किस न्यायालय से दंडित हुआ, जमानत पर या पैरोल पर कब रिहा हुआ, कौन-कौन मिलने आया, दाखिले के समय किस प्रकार की कितनी चोटें उसके शरीर पर थीं। ये सब जानकारी जेल से मिलती है।

3. मेरा सुझाव है कि जो जेल में बंद अपराधी है जैसे भाड़े के हत्यारे, सीरियल किलर, गेंगेस्टर, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी, साइबर क्राइम, सफेद पोश अपराधी, आतंकी योजनाओं में शामिल बंदी उनसे जेल में संपर्क कर साधारण अपराध करने की बारीकियों की जानकारी प्राप्त की जाए और फिर पुलिस उसी हिसाब से अपनी योजना बनाए और अपराधों को रोकने की कार्रवाई करे। (2) इसके लिए अच्छे तेज-तर्रार पुलिस कर्मी चुने जो जेल में जाकर इस आपरेशन को सफलतापूर्वक करे। (3) जेल में निगरानी भी रखवाए कि ऐसे अपराधियों से कौन-कौन मिलने आते हैं और क्या बात करते हैं। उनसे भी अपराध रोकने या अपराधियों के पकड़ने में मदद मिल सकती है। आजाद घूम रहे अपराधियों और आपराधिक मामलों को सुलझाने में मदद मिल सकती है।

4. जेलों में जैमर भी लगे होते हैं जो बहुत संवेदनशील होते हैं उन्हें आसानी से निष्क्रिय किया जा सकता है। ऐसा कर अपराधी घटनाओं को अंजाम दिला देता है। जेल का निरीक्षण कर जैमर चैक करायें। इसके लिए जेल अधिकारियों का सहयोग लिया जाये।

(घ) पांचवां पी (पोलिटीशियन)

1. राजनैतिक लोगों को पुलिस की हर स्तर पर मदद करनी चाहिए। जिससे कि वह अपराधियों के खिलाफ मजबूती से लड़ सके। रूलिंग पार्टी के नेताओं को पुलिस की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा कराने का प्रयास करना चाहिए।

2. पुलिस राजनैतिक पार्टी के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे। जो जायज काम हो उसे तुरंत कर दें। मगर जो नाजायज काम हैं उनको विन्रमतापूर्वक मना कर दें।

3. जनप्रतिनिधियों के साथ एक बार मीटिंग अवश्य करें और उनके द्वारा बताई गई समस्याओं का रजिस्टर तैयार करें।

(ड़) छठा पी (प्रेस)

1. प्रेस वाले चाहते हैं कि पुलिस अपने कामकाज में जनता और प्रेस के बीच पारदर्शिता रखे। यह ठीक है लेकिन कुछ चीजें लोगों की शांति और सुरक्षा के हित में छुपानी पड़ती हैं। और वह बाद में ही पता लगती है।

2. प्रेस से अच्छे संबंध रखे और उनमें ऐसी खबरें न छापने का आग्रह करें जिससे कानून और व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

अपराध के लिए कानून और पुलिस ही दोषी नहीं है। हर नागरिक को चाहे वह राजनैतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, शिक्षक हो, श्रमिक हो, उद्योगपति हो या वह सर्विस पेशे वाला हो। व्यक्तियों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है और दायित्व भी है। इसमें सभी का हित है और यह राष्ट्र की छवि और उन्नति के लिए आवश्यक है।

लेखकों से निवेदन

यदि पुलिस विज्ञान में प्रकाशन के लिए आपके पास पुलिस, शांति-व्यवस्था, अपराध न्याय-व्यवस्था आदि पर कोई लेख है या आप लेख लिखने में सक्षम हैं तथा रुचि रखते हों तो अपने लेख यथा शीघ्र भेजें। अच्छे लेखों को प्रकाशित करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। लेख टाइप किया होना चाहिए तथा इसके संबंध में फोटो, चार्ट आदि हों तो उन्हें भी साथ भेजना चाहिए। प्रकाशित होने वाले लेखों पर समुचित पारिश्रमिक की व्यवस्था है।

यदि आपने पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी विषय पर उपयोगी पुस्तक लिखी है और आप पुलिस विज्ञान में उसे कड़ी के रूप में प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो हमें पांडुलिपि भेजें।

यदि आप कर्मियों के कार्य को लेकर कहानी या अन्य किसी विधा में लिखने में रुचि रखते हों तो हम ऐसे साहित्य का भी स्वागत करेंगे।

यदि पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी हिन्दीतर भाषा के उच्चस्तरीय लेख का अनुवाद किया हो और आपके पास अनुवाद प्रकाशन का कापीराइट हो अथवा उनके कापीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख/सामग्री भी प्रकाशनार्थ आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों पर समुचित मानदेय देने की व्यवस्था है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित व अप्रकाशित है तथा इस पर कोई मानदेय नहीं लिया गया है। अनूदित लेख के कापीराइट के संबंध में भी सूचित करें।

विषय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस विज्ञान की नमूने की प्रति मंगाने के लिए संपर्क करें :—

संपादक
पुलिस विज्ञान
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
ब्लाक-11, चौथी मंजिल
सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003
फोन : 24360371 एक्स. 115

वैब साइट — डब्लू.डब्लू.डब्लू. बीपीआरडी.एनआईसी.इन

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए रचनाएं आमंत्रित की जाती हैं। मूल प्रकाशित पुस्तकों पर 5 पुरस्कार 30,000/- रु. प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है), दो पुरस्कार अनूदित मुद्रित पुस्तकों के लिए 14,000/- रु. प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है)। योजना के भाग दो में 40,000/- रु. के दो पुरस्कार हैं। जिसके लिए निर्धारित विषयों पर रूपरेखाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए **दिए गए विषय पर आवेदक उस विषय पर लिखने वाली पुस्तक में क्या-क्या सामग्री व अध्यायों आदि का उल्लेख करते हुए 5-6 पृष्ठ की एक रूपरेखा को प्रस्तुत करना होगा** तथा महिलाओं के लिए आरक्षित विषय में भी उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रचनाएं/रूपरेखाएं भेजने की अंतिम तिथि सामान्यतः 30 सितंबर होती है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपादक (हिंदी), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), ब्लाक सं. 11, 3/4 मंजिल, सी.जी.ओ. कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 से संपर्क करें।

(दूरभाष : 011-24362418, 24360371 एक्स-253 तथा फैक्स : 011-24362425)

अपराध विज्ञान तथा पुलिस विज्ञान में डाक्टरेट कार्य हेतु अध्येतावृति योजना

पुलिस विज्ञान तथा अपराध विज्ञान में डाक्टरेट कार्य हेतु ब्यूरो द्वारा 6 अध्येतावृतियों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत विज्ञापन प्रति वर्ष माह में भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून होती है। इसमें अभ्यर्थी को पी.एच.डी. के लिए विश्वविद्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें अभ्यर्थी को पहले 2 वर्ष 8000/- रु. तथा तीसरे वर्ष 9000/- रु. तथा इसके साथ फुटकर खर्च के लिए 10000/- रु. तथा जिस संस्था से वह पंजीकृत होगा उसे 3000/- रु. प्रदान किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए अनुसंधान एकक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ब्लाक सं. 11, 3/4 मंजिल, सीजीओ कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 से संपर्क किया जा सकता है। पूर्ण जानकारी कार्यालय की वेब साइट www.bprd.gov.in में भी देखी जा सकती है। (संपर्क के लिए फोन नं. 01124360371243)

पुलिस एवं कारागार संबंधी विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं आमंत्रित

पु.अनु.वि. ब्यूरो (गृह मंत्रालय) **पुलिस एवं कारागार** से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों व व्यक्तिगत शोधकर्ताओं को उनके संबंधित विश्वविद्यालयों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 30 सितंबर होती है। विस्तृत जानकारी के लिए उपनिदेशक (अनु.) एवं सहायक निदेशक (सी.सी.), ब्लाक सं. 11, 3/4 मंजिल, सीजीओ कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 (फोन नं. 01124362418 एवं 01124263872) पर संपर्क कर सकते हैं। तथा ब्यूरो की www.bprd.gov.in वेब साइट से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अंतर्गत ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

क्र. सं.	*पुस्तक का नाम*	*लेखक का नाम*	*मूल्य*
1.	**भारतीय पुलिस का इतिहास** (अतीतकाल से मुगलकाल तक)	डा. शैलेन्द्र चतुर्वेदी	54/-
2.	**भारत में केन्द्रीय पुलिस संगठन**	श्री एच. भीष्मपाल	65/-
3.	**ग्रामीण पुलिस : समस्याएं एवं समाधान**	श्री रामलाल विवेक	65/-
4.	**ग्रामीण पुलिस : समस्याएं एवं समाधान**	श्री शंकर सरौलिया	70/-
5.	**विकासशील समाज में समसामयिक पुलिस की भूमिका**	श्री आर.एस. श्रीवास्तव	105/-
6.	**स्वातंत्र्योत्तर भारत में पुलिस की भूमिका एवं जनता का दायित्व**	डा. कृष्णमोहन माथुर	210/-
7.	**मादक पदार्थ एवं पुलिस की भूमिका**	श्री हरीश नवल	—
8.	**सामाजिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की भूमिका का उद्‌भव**	प्रो. मीनाक्षी स्वामी	—
9.	**समग्र न्याय-व्यवस्था में पुलिस का स्थान एवं भूमिका**	श्री ललितेश्वर	600/-
10.	**पुलिस दायित्व एवं नागरिक जागरूकता**	डा. सी. अशोकवर्धन	568/-
11.	**महिला और पुलिस**	श्रीमती अमिता जोशी	100/-
12.	**मानवाधिकार और पुलिस**	डा. जी.एस. वाजपेयी	346/-
13.	**नई आर्थिक नीति एवं अपराध**	डा. अर्चना त्रिपाठी	183/-
14.	**बाल अपराध**	डा. गिरिश्वर मिश्र	225/-
15.	**न्यायालयिक विज्ञान की नई चुनौतियां**	डा. शरद सिंह	200/-
16.	**मानवाधिकार संरक्षण एवं पुलिस**	श्री रामकृष्ण दत्त शर्मा एवं डा. सविता शर्मा	510/-
17.	**सामुदायिक पुलिस व्यवस्था**	डा. तपन चक्रवर्ती, डा. रवि अम्बष्ट	205/-
18.	**संगठित अपराध**	श्री महेन्द्र सिंह आदिल	313/-
19.	**पुलिस कार्यों का निजीकरण**	डा. शंकर सरौलिया	330/-
20.	**साइबर क्राइम**	डा. अनुपम शर्मा	450/-
21.	**अपराधों की रोकथाम और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल**	डा. निशांत सिंह	545/-
22.	**अपराध पीड़ित महिलाओं की समस्याएं**	डा. ऋता तिवारी, डा. उपनीत लाली	775/-
23.	**वैध समस्याओं के निदान हेतु बढ़ती हिंसा प्रवृत्ति**	श्री राकेश प्रकाश	
24.	**आतंकवाद एवं जन साझेदारी**	श्री विश्वेश शर्मा	665/-
25.	**व्यावसायिक यौनकर्मियों का सुधार एवं पुनर्वास**	श्रीमती नीना लांबा	665/-
26.	**बंदियों का सुधार एवं पुनर्वास**	प्रो. दीप्ति श्रीवास्तव	665/-
27.	**नक्सलवाद और पुलिस की भूमिका**	श्री राकेश कुमार सिंह	1140/-

ब्यूरो द्वारा प्रकाशित उपरोक्त सभी पुस्तकें, नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 से प्राप्त की जा सकती हैं।